Laws of Uttar Pradesh, 2023
Volume 3
Uttar Pradesh Bills

Judges' Library Publication
High Court of Judicature at Allahabad
Prayagraj

U.P. BILL 2023
(Arranged in Alphabetical)

Sl. No.	Name of Bill	Page No.
1	Uttar Pradesh Appropriation Bill, 2023	1-19
2	Uttar Pradesh Appropriation Supplementary 2023-2024 Bill, 2023	20-33
3	Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2023	34-38
4	Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Bill, 2023	39-58
5	Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023	59--69
6	Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023	70-75
7	Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Bill, 2023	76-103
8	Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Disabled State University Bill, 2023	104-143
9	Uttar Pradesh Municipal Local Self-Government Law (Amendment) Bill, 2023	144-166
10	Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment) Bill, 2023	167-170
11	3 Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2023	171-174
12	4 Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Bill, 2023	175-178
13	Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2023	179-189
14	Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Vidheyak, 2023	190-193
15	Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Bill, 2023	194-220
16	Uttar Pradesh Shree Shuk Teerth Viikas Parishad Bill, 2023	221-244
17	Uttar Pradesh Shri Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Bill, 2023	245-272
18	Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2023	273-276
18	Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2023	277-286
19	Uttar Pradesh Town Planning and Development (Amendment) Bill, 2023	287-295
20	Uttar Pradesh University of Agriculture and Technology (Amendment), Bill, 2023	296-300

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–40

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2023

फाल्गुन 18, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या 392/वि0स0/संसदीय/36(सं)–2023
लखनऊ, 9 मार्च, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 3 मार्च, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023

31 मार्च, 2024 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2023-2024 के लिए 733723,39,84,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 733723,39,84,000 रुपये (रुपये सात लाख तैंतीस हजार सात सौ तेईस करोड़ उनतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	58588.36	--	58588.36
		पूंजी :	4235.00	--	4235.00
02	आवास विभाग	राजस्व :	44004.60	--	44004.60
		पूंजी :	653853.40	--	653853.40
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	104725.09	6.00	104731.09
		पूंजी :	87071.75	--	87071.75
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	7802.20	--	7802.20
		पूंजी :	310.00	--	310.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	14264.82	--	14264.82
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	76039.68	--	76039.68
		पूंजी :	1500.00	--	1500.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1075958.93	--	1075958.93
		पूंजी :	982695.17	--	982695.17
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	24833.70	--	24833.70
		पूंजी :	1080.95	--	1080.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	3051171.36	289506.43	3340677.79
		पूंजी :	1645160.72	440583.56	2085744.28
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	178610.52	320.14	178930.66
		पूंजी :	10451.58	--	10451.58
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	736836.73	20.05	736856.78
		पूंजी :	71161.84	--	71161.84
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	68610.14	--	68610.14

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	578973.36	17.50	578990.86
		पूंजी :	2330227.40	--	2330227.40
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1401581.32	--	1401581.32
		पूंजी :	57182.50	--	57182.50
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	271100.49	13.79	271114.28
		पूंजी :	26655.14	--	26655.14
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	19862.99	--	19862.99
		पूंजी :	6950.00	--	6950.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	45103.02	9.50	45112.52
		पूंजी :	50.00	--	50.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	109514.90	1800.00	111314.90
		पूंजी :	19750.00	2495.28	22245.28
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1370.21	--	1370.21
		पूंजी :	1943.00	--	1943.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	13358.25	12412.17	25770.42
		पूंजी :	600.00	154.00	754.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	368480.24	6.00	368486.24
		पूंजी :	2206400.10	0.50	2206400.60
22	खेल विभाग	राजस्व :	26551.79	--	26551.79
		पूंजी :	69165.62	--	69165.62
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	31114.85	2.00	31116.85
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	6925.86	--	6925.86
		पूंजी :	149850.00	--	149850.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	129849.71	--	129849.71
		पूंजी :	73888.09	--	73888.09
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	3277872.05	400.00	3278272.05
		पूंजी :	438727.28	--	438727.28
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2740.96	--	2740.96
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	39083.60	--	39083.60
		पूंजी :	705.06	--	705.06
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2704.42	2704.42
		पूंजी :	--	50.01	50.01
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	995.84	--	995.84
		पूंजी :	0.01	--	0.01
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	538833.60	--	538833.60
		पूंजी :	375715.85	--	375715.85
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	977648.76	20.00	977668.76
		पूंजी :	117970.97	--	117970.97
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	176634.67	--	176634.67
		पूंजी :	8567.04	--	8567.04
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	66913.95	--	66913.95
		पूंजी :	4000.01	--	4000.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1610669.16	45.00	1610714.16
		पूंजी :	249898.74	--	249898.74
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	109117.38	2.00	109119.38
		पूंजी :	21737.31	--	21737.31

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	2266972.53	--	2266972.53
		पूंजी :	267738.04	--	267738.04
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	10795.27	--	10795.27
		पूंजी :	178275.00	--	178275.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	5429.73	--	5429.73
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	30647.36	--	30647.36
		पूंजी :	342925.88	--	342925.88
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	58277.50	--	58277.50
		पूंजी :	1040.00	--	1040.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	357916.85	81014.69	438931.54
		पूंजी :	347920.00	750.00	348670.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	62795.08	0.01	62795.09
		पूंजी :	54676.91	--	54676.91
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	17990.11	--	17990.11
		पूंजी :	140803.01	--	140803.01
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1963.76	--	1963.76
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2610.38	--	2610.38
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	76853.84	--	76853.84
		पूंजी :	20046.81	--	20046.81
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	160993.37	1.80	160995.17
		पूंजी :	78977.78	--	78977.78
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	1242454.98	--	1242454.98
		पूंजी :	22110.00	--	22110.00

अनुसूची

--(क्रमशः):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	136051.76	27.00	136078.76
		पूंजी :	12697.55	--	12697.55
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	420404.51	--	420404.51
		पूंजी :	61090.00	--	61090.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	474434.27	22.50	474456.77
		पूंजी :	6246.85	7.88	6254.73
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	323832.15	4.00	323836.15
		पूंजी :	55.00	--	55.00
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	14348.50	671.50	15020.00
		पूंजी :	13096.00	505.00	13601.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	12500.00	--	12500.00
		पूंजी :	412433.00	--	412433.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	913260.82	5011.18	918272.00
		पूंजी :	1758252.00	3000.00	1761252.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	38278.03	--	38278.03
		पूंजी :	23132.25	--	23132.25
60	वन विभाग	राजस्व :	91788.39	13.70	91802.09
		पूंजी :	99049.29	--	99049.29
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2587531.65	4962277.15	7549808.80
		पूंजी :	16500.00	2675056.30	2691556.30
62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	7475368.31	76.31	7475444.62
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	34912.77	--	34912.77
		पूंजी :	157.00	--	157.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	40709.39	--	40709.39
		पूंजी :	1340.91	--	1340.91
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	4173.04	22091.37	26264.41
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	7830.25	116.05	7946.30
		पूंजी :	251.42	--	251.42
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	26027.38	385.39	26412.77
		पूंजी :	5400.30	55.00	5455.30
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	145949.50	--	145949.50
		पूंजी :	58321.00	--	58321.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	82990.97	--	82990.97
		पूंजी :	13100.00	--	13100.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	7044151.78	--	7044151.78
		पूंजी :	317253.47	--	317253.47
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1564580.42	--	1564580.42
		पूंजी :	143717.86	--	143717.86
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	400353.24	--	400353.24
		पूंजी :	61664.49	--	61664.49
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	287078.64	--	287078.64
		पूंजी :	3342.42	--	3342.42
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	26953.87	--	26953.87
		पूंजी :	4237.06	--	4237.06

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	58142.49	--	58142.49
		पूंजी :	11518.26	--	11518.26
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	15160.81	--	15160.81
		पूंजी :	459.26	--	459.26
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	172455.47	--	172455.47
		पूंजी :	500.20	--	500.20
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	372885.28	--	372885.28
		पूंजी :	15210.14	--	15210.14
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	975980.01	--	975980.01
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99829.77	--	99829.77
		पूंजी :	79936.22	--	79936.22
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	7786.85	1286.30	9073.15
		पूंजी :	115.50	26.00	141.50
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1751986.59	--	1751986.59
		पूंजी :	1310686.71	--	1310686.71
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	9529.94	--	9529.94
		पूंजी :	77519.00	--	77519.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	934.96	--	934.96
86	सूचना विभाग	राजस्व :	97153.14	--	97153.14
		पूंजी :	1650.00	--	1650.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	6897.38	--	6897.38
		पूंजी :	1580.00	--	1580.00

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	124838.55	10.50	124849.05
		पूंजी :	4275.58	–	4275.58
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	54473.63	0.02	54473.65
		पूंजी :	7100.00	–	7100.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	12972.89	0.60	12973.49
		पूंजी :	27702.71	–	27702.71
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	121276.18	–	121276.18
		पूंजी :	1676517.90	–	1676517.90
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	470002.03	–	470002.03
		पूंजी :	895925.09	500.00	896425.09
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	607330.98	50.00	607380.98
	योग :	राजस्व :	46654758.84	5380345.07	52035103.91
		पूंजी :	18214052.40	3123183.53	21337235.93
	महायोग :		64868811.24	8503528.60	73372339.84

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को जो उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था करता है, पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
वित्त।

——————

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

——————

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 819/XC-S-1–23-05(S)-2023
Dated Lucknow, March 9, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog Vidheyak, 2023 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 3, 2023.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION BILL, 2023

A

BILL

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2024.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation Act, 2023.

Issue of Rs. 733723,39,84,000 out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh for the year 2023-2024

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 733723,39,84,000 (Rs. Seven lakh thirty three thousand seven hundred twenty three crore thirty nine lakh eighty four thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2024 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2024.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
01	Excise Department	Revenue :	58588.36	--	58588.36
		Capital :	4235.00	--	4235.00
02	Housing Department	Revenue :	44004.60	--	44004.60
		Capital :	653853.40	--	653853.40
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue :	104725.09	6.00	104731.09
		Capital :	87071.75	--	87071.75
04	Industries Department (Mines and Minerals)	Revenue :	7802.20	--	7802.20
		Capital :	310.00	--	310.00
05	Industries Department (Handloom and Village Industries)	Revenue :	14264.82	--	14264.82
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue :	76039.68	--	76039.68
		Capital :	1500.00	--	1500.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue :	1075958.93	--	1075958.93
		Capital :	982695.17	--	982695.17
08	Industries Department (Printing and Stationery)	Revenue :	24833.70	--	24833.70
		Capital :	1080.95	--	1080.95
09	Power Department	Revenue :	3051171.36	289506.43	3340677.79
		Capital :	1645160.72	440583.56	2085744.28
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue :	178610.52	320.14	178930.66
		Capital :	10451.58	--	10451.58
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue :	736836.73	20.05	736856.78
		Capital :	71161.84	--	71161.84

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
12	Agriculture & Other Allied Departments (Land Development & Water Resources)	Revenue :	68610.14	--	68610.14
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Revenue :	578973.36	17.50	578990.86
		Capital :	2330227.40	--	2330227.40
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue :	1401581.32	--	1401581.32
		Capital :	57182.50	--	57182.50
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue :	271100.49	13.79	271114.28
		Capital :	26655.14	--	26655.14
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue :	19862.99	--	19862.99
		Capital :	6950.00	--	6950.00
17	Agriculture and Other Allied Departments (Fisheries)	Revenue :	45103.02	9.50	45112.52
		Capital :	50.00	--	50.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue :	109514.90	1800.00	111314.90
		Capital :	19750.00	2495.28	22245.28
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Revenue :	1370.21	--	1370.21
		Capital :	1943.00	--	1943.00
20	Personnel Department(Public Service Commission)	Revenue :	13358.25	12412.17	25770.42
		Capital :	600.00	154.00	754.00
21	Food and Civil Supplies Department	Revenue :	368480.24	6.00	368486.24
		Capital :	2206400.10	0.50	2206400.60
22	Sports Department	Revenue :	26551.79	--	26551.79

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
		Capital :	69165.62	--	69165.62
23	Cane Development Department (Cane)	Revenue :	31114.85	2.00	31116.85
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Revenue :	6925.86	--	6925.86
		Capital :	149850.00	--	149850.00
25	Home Department (Jails)	Revenue :	129849.71	--	129849.71
		Capital :	73888.09	--	73888.09
26	Home Department (Police)	Revenue :	3277872.05	400.00	3278272.05
		Capital :	438727.28	--	438727.28
27	Home Department (Civil Defence)	Revenue :	2740.96	--	2740.96
28	Home Department (Political Pension and Other Expenditure)	Revenue :	39083.60	--	39083.60
		Capital :	705.06	--	705.06
*29	Confidential Department (Governor's Secretariat)	Revenue :	--	2704.42	2704.42
		Capital :	--	50.01	50.01
30	Confidential Department(Revenue Special Intelligence Directorate and Other Exp.)	Revenue :	995.84	--	995.84
		Capital :	0.01	--	0.01
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	538833.60	--	538833.60
		Capital :	375715.85	--	375715.85
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	977648.76	20.00	977668.76
		Capital :	117970.97	--	117970.97
33	Medical Department (Ayurvedic and Unani)	Revenue :	176634.67	--	176634.67
		Capital :	8567.04	--	8567.04
34	Medical Department (Homoeopathy)	Revenue :	66913.95	--	66913.95

***Serial number related to the charged appropriation**

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
		Capital :	4000.01	--	4000.01
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	1610669.16	45.00	1610714.16
		Capital :	249898.74	--	249898.74
36	Medical Department (Public Health)	Revenue :	109117.38	2.00	109119.38
		Capital :	21737.31	--	21737.31
37	Urban Development Department	Revenue :	2266972.53	--	2266972.53
		Capital :	267738.04	--	267738.04
38	Civil Aviation Department	Revenue :	10795.27	--	10795.27
		Capital :	178275.00	--	178275.00
39	Language Department	Revenue :	5429.73	--	5429.73
40	Planning Department	Revenue :	30647.36	--	30647.36
		Capital :	342925.88	--	342925.88
41	Election Department	Revenue :	58277.50	--	58277.50
		Capital :	1040.00	--	1040.00
42	Judicial Department	Revenue :	357916.85	81014.69	438931.54
		Capital :	347920.00	750.00	348670.00
43	Transport Department	Revenue :	62795.08	0.01	62795.09
		Capital :	54676.91	--	54676.91
44	Tourism Department	Revenue :	17990.11	--	17990.11
		Capital :	140803.01	--	140803.01
45	Environment Department	Revenue :	1963.76	--	1963.76
46	Administrative Reforms Department	Revenue :	2610.38	--	2610.38
47	Technical Education Department	Revenue :	76853.84	--	76853.84
		Capital :	20046.81	--	20046.81
48	Minorities Welfare Department	Revenue :	160993.37	1.80	160995.17

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
		Capital :	78977.78	--	78977.78
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	1242454.98	--	1242454.98
		Capital :	22110.00	--	22110.00
50	Revenue Department (District Administration)	Revenue :	136051.76	27.00	136078.76
		Capital :	12697.55	--	12697.55
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	420404.51	--	420404.51
		Capital :	61090.00	--	61090.00
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	474434.27	22.50	474456.77
		Capital :	6246.85	7.88	6254.73
53	National Integration Department	Revenue :	168.40	--	168.40
54	Public Works Department (Establishment)	Revenue :	323832.15	4.00	323836.15
		Capital :	55.00	--	55.00
55	Public Works Department (Buildings)	Revenue :	14348.50	671.50	15020.00
		Capital :	13096.00	505.00	13601.00
57	Public Works Department(Communication- Bridges)	Revenue :	12500.00	--	12500.00
		Capital :	412433.00	--	412433.00
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	913260.82	5011.18	918272.00
		Capital :	1758252.00	3000.00	1761252.00
59	Public Works Department (Estate Directorate)	Revenue :	38278.03	--	38278.03
		Capital :	23132.25	--	23132.25
60	Forest Department	Revenue :	91788.39	13.70	91802.09
		Capital :	99049.29	--	99049.29

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	2587531.65	4962277.15	7549808.80
		Capital :	16500.00	2675056.30	2691556.30
62	Finance Department (Superannuation Allowances and Pensions)	Revenue :	7475368.31	76.31	7475444.62
		Capital :	20000.00	--	20000.00
63	Finance Department (Treasury and Accounts Administration)	Revenue :	34912.77	--	34912.77
		Capital :	157.00	--	157.00
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Revenue :	40709.39	--	40709.39
		Capital :	1340.91	--	1340.91
66	Finance Department (Group Insurance)	Revenue :	4173.04	22091.37	26264.41
67	Legislative Council Secretariat	Revenue :	7830.25	116.05	7946.30
		Capital :	251.42	--	251.42
68	Legislative Assembly Secretariat	Revenue :	26027.38	385.39	26412.77
		Capital :	5400.30	55.00	5455.30
69	Vocational Education Department	Revenue :	145949.50	--	145949.50
		Capital :	58321.00	--	58321.00
70	Science and Technology Department	Revenue :	82990.97	--	82990.97
		Capital :	13100.00	--	13100.00
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	7044151.78	--	7044151.78
		Capital :	317253.47	--	317253.47
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue :	1564580.42	--	1564580.42
		Capital :	143717.86	--	143717.86
73	Education Department (Higher Education)	Revenue :	400353.24	--	400353.24

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
		Capital :	61664.49	--	61664.49
74	Home Department (Home guards)	Revenue :	287078.64	--	287078.64
		Capital :	3342.42	--	3342.42
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Revenue :	26953.87	--	26953.87
		Capital :	4237.06	--	4237.06
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue :	58142.49	--	58142.49
		Capital :	11518.26	--	11518.26
77	Labour Department (Employment)	Revenue :	15160.81	--	15160.81
		Capital :	459.26	--	459.26
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	172455.47	--	172455.47
		Capital :	500.20	--	500.20
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue :	372885.28	--	372885.28
		Capital :	15210.14	--	15210.14
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes)	Revenue :	975980.01	--	975980.01
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue :	99829.77	--	99829.77
		Capital :	79936.22	--	79936.22
82	Vigilance Department	Revenue :	7786.85	1286.30	9073.15
		Capital :	115.50	26.00	141.50
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue :	1751986.59	--	1751986.59
		Capital :	1310686.71	--	1310686.71
84	General Administration Department	Revenue :	9529.94	--	9529.94
		Capital :	77519.00	--	77519.00

SCHEDULE

(Contld):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
85	Public Enterprises Department	Revenue :	934.96	--	934.96
86	Information Department	Revenue :	97153.14	--	97153.14
		Capital :	1650.00	--	1650.00
87	Soldier's Welfare Department	Revenue :	6897.38	--	6897.38
		Capital :	1580.00	--	1580.00
89	State Tax Department	Revenue :	124838.55	10.50	124849.05
		Capital :	4275.58	--	4275.58
91	Stamps & Registration Department	Revenue :	54473.63	0.02	54473.65
		Capital :	7100.00	--	7100.00
92	Culture Department	Revenue :	12972.89	0.60	12973.49
		Capital :	27702.71	--	27702.71
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue :	121276.18	--	121276.18
		Capital :	1676517.90	--	1676517.90
94	Irrigation Department (Works)	Revenue :	470002.03	--	470002.03
		Capital :	895925.09	500.00	896425.09
95	Irrigation Department (Establishment)	Revenue :	607330.98	50.00	607380.98
	Total :	Revenue :	46654758.84	5380345.07	52035103.91
		Capital:	18214052.40	3123183.53	21337235.93
	Grand Total :		64868811.24	8503528.60	73372339.84

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 204 of the Constitution requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislature after the demands for Grants have been assented to by the Legislative Assembly.

The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 2023 which provides for the appropriation from and out of Consolidated Fund of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the year ending on the thirty-first day of March, 2024, is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA

Mantri,

Vitt.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1253 राजपत्र–2023–(2096)–599+30=629 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1253 RPH 2023 (Viniyog Vidheyak) data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—211 (क—4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2359 / वि0स0 / संसदीय / 130(सं)-2023
लखनऊ, 1 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश विनियोग (2023—2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2023—2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2023—2024 का अनुपूरक) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2023-2024 के लिए 28760,67,38,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2024 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 28760,67,38,000 रुपये (रुपये अट्ठाईस हजार सात सौ साठ करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	पूंजी :	38142.00	--	38142.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	2000.00	--	2000.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	144.93	--	144.93
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	100000.00	--	100000.00
		पूंजी :	510.00	--	510.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1082.12	--	1082.12
		पूंजी :	51887.00	--	51887.00
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	पूंजी :	1300.00	--	1300.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	646264.00	--	646264.00
		पूंजी :	363277.00	--	363277.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	5402.00	--	5402.00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2398.38	--	2398.38
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	9868.99	3.51	9872.50
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	97983.42	--	97983.42
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	25510.00	--	25510.00
		पूंजी :	1500.00	--	1500.00
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	2050.00	--	2050.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	5000.00	--	5000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	2520.00	--	2520.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1100.00	--	1100.00
		पूंजी :	--	980.53	980.53
22	खेल विभाग	राजस्व :	5402.00	--	5402.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उघोग)	पूंजी :	55000.00	--	55000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	17575.19	--	17575.19
		पूंजी :	29064.91	--	29064.91
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	50.00	--	50.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	65036.91	--	65036.91
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	1075.00	--	1075.00
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1105.22	--	1105.22
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	500.00	--	500.00
		पूंजी :	2127.72	--	2127.72
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	101207.00	--	101207.00
		पूंजी :	5000.00	--	5000.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	पूंजी :	90.00	--	90.00
40	नियोजन विभाग	पूंजी :	41500.00	--	41500.00

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
42	न्याय विभाग	राजस्व :	35759.50	--	35759.50
		पूंजी :	44.50	--	44.50
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	3109.30	--	3109.30
		पूंजी :	10053.00	--	10053.00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	8800.00	--	8800.00
		पूंजी :	11000.00	--	11000.00
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	186.80	--	186.80
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	435.97	--	435.97
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	पूंजी :	300.00	--	300.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	200.00	85436.00	85636.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	20667.12	--	20667.12
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	पूंजी :	--	110.33	110.33
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	3940.50	--	3940.50
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	350001.00	--	350001.00
		पूंजी :	75000.00	--	75000.00
60	वन विभाग	पूंजी :	5500.00	--	5500.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	61638.85	--	61638.85
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	27.00	--	27.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	6458.97	--	6458.97

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
67	विधान परिषद् सचिवालय	पूंजी :	487.63	--	487.63
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	162.50	--	162.50
		पूंजी :	475.54	--	475.54
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	पूंजी :	9251.76	--	9251.76
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	26832.00	--	26832.00
		पूंजी :	1634.12	--	1634.12
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	7864.19	--	7864.19
		पूंजी :	41217.77	--	41217.77
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	77.50	--	77.50
		पूंजी :	22206.17	--	22206.17
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी :	2686.31	--	2686.31
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3022.75	--	3022.75
		पूंजी :	8448.06	--	8448.06
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	30000.00	--	30000.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	33215.00	--	33215.00
		पूंजी :	1400.00	--	1400.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	20639.99	--	20639.99
		पूंजी :	7646.35	--	7646.35
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	250.99	--	250.99
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	61235.79	--	61235.79

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	143055.40	--	143055.40
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	102.00	--	102.00
		पूंजी :	1006.70	--	1006.70
85	सार्वजनिक उघम विभाग	पूंजी :	20.00	--	20.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	49659.00	--	49659.00
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	352.00	--	352.00
		पूंजी :	4.00	--	4.00
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	3500.00	--	3500.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	11287.19	--	11287.19
		पूंजी :	3000.00	--	3000.00
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	3000.00	--	3000.00
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00
	योग :	राजस्व :	1819199.60	85439.51	1904639.11
		पूंजी :	970337.41	1090.86	971428.27
	महायोग :		2789537.01	86530.37	2876067.38

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2023–2024 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2023–2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना

वित्त मंत्री।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1183/XC-S-1–23-18S-2023

Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Viniyog (2023-2024 ka Anupoorak) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 1, 2023.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2023-2024) BILL, 2023

A

BILL

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2024.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2023-2024) Act, 2023.

Issue of Rs. 28760,67,38,000 out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the year 2023-2024

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 28760,67,38,000 (Rs. twenty eight thousand seven hundred sixty crore sixty seven lac thirty eight thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2024 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2024.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
02	Housing Department	Capital :	38142.00	--	38142.00
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue :	2000.00	--	2000.00
05	Industries Department (Handloom and Village Industries)	Revenue :	144.93	--	144.93
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue :	100000.00	--	100000.00
		Capital :	510.00	--	510.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue :	1082.12	--	1082.12
		Capital :	51887.00	--	51887.00
08	Industries Department (Printing and Stationery)	Capital :	1300.00	--	1300.00
09	Power Department	Revenue :	646264.00	--	646264.00
		Capital :	363277.00	--	363277.00
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue :	5402.00	--	5402.00
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue :	2398.38	--	2398.38
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Revenue :	9868.99	3.51	9872.50
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue :	97983.42	--	97983.42

SCHEDULE

--(Contd):

1 Grant/Serial	2 Services and purposes		3 Sums not exceeding (In lakhs) Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue :	25510.00	--	25510.00
		Capital :	1500.00	--	1500.00
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue :	2050.00	--	2050.00
		Capital :	5000.00	--	5000.00
17	Agriculture and Other Allied Departments (Fisheries)	Revenue :	2520.00	--	2520.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue :	1100.00	--	1100.00
		Capital :	--	980.53	980.53
22	Sports Department	Revenue :	5402.00	--	5402.00
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Capital :	55000.00	--	55000.00
26	Home Department (Police)	Revenue :	17575.19	--	17575.19
		Capital :	29064.91	--	29064.91
30	Confidential Department(Revenue Special Intelligence Directorate and Other Exp.)	Revenue :	50.00	--	50.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	65036.91	--	65036.91
33	Medical Department (Ayurvedic and Unani)	Capital :	1075.00	--	1075.00
34	Medical Department (Homoeopathy)	Revenue :	1105.22	--	1105.22

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
36	Medical Department (Public Health)	Revenue :	500.00	--	500.00
		Capital :	2127.72	--	2127.72
37	Urban Development Department	Revenue :	101207.00	--	101207.00
		Capital :	5000.00	--	5000.00
38	Civil Aviation Department	Capital :	90.00	--	90.00
40	Planning Department	Capital :	41500.00	--	41500.00
42	Judicial Department	Revenue :	35759.50	--	35759.50
		Capital :	44.50	--	44.50
43	Transport Department	Revenue :	3109.30	--	3109.30
		Capital :	10053.00	--	10053.00
44	Tourism Department	Revenue :	8800.00	--	8800.00
		Capital :	11000.00	--	11000.00
46	Administrative Reforms Department	Revenue :	186.80	--	186.80
47	Technical Education Department	Revenue :	435.97	--	435.97
49	Women & Child Welfare Department	Capital :	300.00	--	300.00
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	200.00	85436.00	85636.00
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	20667.12	--	20667.12

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

--(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
55	Public Works Department (Buildings)	Capital :	--	110.33	110.33
57	Public Works Department(Communication-Bridges)	Capital :	3940.50	--	3940.50
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	350001.00	--	350001.00
		Capital :	75000.00	--	75000.00
60	Forest Department	Capital :	5500.00	--	5500.00
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	61638.85	--	61638.85
63	Finance Department (Treasury and Accounts Administration)	Capital :	27.00	--	27.00
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Capital :	6458.97	--	6458.97
67	Legislative Council Secretariat	Capital :	487.63	--	487.63
68	Legislative Assembly Secretariat	Revenue :	162.50	--	162.50
		Capital :	475.54	--	475.54
69	Vocational Education Department	Capital :	9251.76	--	9251.76
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	26832.00	--	26832.00
		Capital :	1634.12	--	1634.12
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue :	7864.19	--	7864.19

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

(Contd):

1 Grant/Serial	2 Services and purposes		3 Sums not exceeding (In lakhs) Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
		Capital :	41217.77	--	41217.77
73	Education Department (Higher Education)	Revenue :	77.50	--	77.50
		Capital :	22206.17	--	22206.17
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Capital :	2686.31	--	2686.31
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue :	3022.75	--	3022.75
		Capital :	8448.06	--	8448.06
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	30000.00	--	30000.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue :	33215.00	--	33215.00
		Capital :	1400.00	--	1400.00
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue :	20639.99	--	20639.99
		Capital :	7646.35	--	7646.35
82	Vigilance Department	Revenue :	250.99	--	250.99
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue :	61235.79	--	61235.79
		Capital :	143055.40	--	143055.40
84	General Administration Department	Revenue :	102.00	--	102.00
		Capital :	1006.70	--	1006.70

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

(Contd):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
85	Public Enterprises Department	Capital :	20.00	--	20.00
86	Information Department	Revenue :	49659.00	--	49659.00
89	State Tax Department	Revenue :	352.00	--	352.00
		Capital :	4.00	--	4.00
91	Stamps & Registration Department	Revenue :	3500.00	--	3500.00
92	Culture Department	Revenue :	11287.19	--	11287.19
		Capital :	3000.00	--	3000.00
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue :	3000.00	--	3000.00
		Capital :	20000.00	--	20000.00
	Total :	Revenue :	1819199.60	85439.51	1904639.11
		Capital :	970337.41	1090.86	971428.27
	Grant Total :		2789537.01	86530.37	2876067.38

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure *charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2023-2024.

The Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2023-2024) Bill, 2023 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA
Vitt Mantri.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 810 राजपत्र—2023—(2308)—599+30=629 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

810 RPH 2023 (Viniyog Vidheyak) data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—144(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1270/वि0स0/संसदीय/75(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2016'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2021'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023

3—(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन, (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दाण्डिक विचारणों के उपशमन का उपबन्ध करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 कतिपय केंद्रीय अधिनियमितियों के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किसी अभियुक्त के विचारण को उपशमित करने तथा एक निश्चित दिनांक से पूर्व लंबित कतिपय कार्यवाहियों के शमन करने हेतु उपबंध करती है। उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019) द्वारा उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया। यदि पूर्वोक्त दिनांक आगे बढ़ाया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय न्यायालयों में लम्बित बड़ी संख्या में वादों के निस्तारण की सम्भावना है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करने हेतु किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या कतिपय विचारणों के उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

493 RPH (Dhand Vidhi)(Sansadiya folder vidhaika-23- Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण :–

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

धारा 9

कतिपय विचारण का उपशमन

2–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,–

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :–

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

493 RPH (Dhand Vidhi)(Sansadiya folder vidhaika-23- Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1030/XC-1014-(003)–3-2023

Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Dhand Vidhi (Apraadhon ka Shaman aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT))

BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 22nd March, 2023.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 2016" the word and figures "December 31, 2021" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

493 RPH (Dhand Vidhi)(Sansadiya folder vidhaika-23- Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials.

Section 9 of the aforesaid Act provides for abatement of trial of an accused for offences punishable under certain Central enactments and for abatement of certain proceedings pending before a certain date. The said section has been amended from time to time to change the period/date before which the aforesaid trials/proceedings can be abated. The aforesaid period of abatement was extended up to December 31, 2016 *vide* the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 21 of 2019). There is a possibility of disposal of larger number of cases pending in the Hon'ble Courts of the State of Uttar Pradesh if the aforesaid date is further extended.

In view of the above, it has been decided to amend section 9 of the aforesaid Act to extend the aforesaid period for abatement of certain trails or proceedings pending before a Magistrate to December 31, 2021.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Act no. 2 of 2023) was promulgated by the Governor on 22nd March, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

.

YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 493 राजपत्र–2023–(1623)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

493 RPH (Dhand Vidhi)(Sansadiya folder vidhaika-23- Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(झ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1298 / वि0स0 / संसदीय / 84(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबन्धकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2—(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों सेवा नियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में नियुक्ति करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य क्रमशः माध्यमिक शिक्षा,बेसिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद,प्रयागराज अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,लखनऊ से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में,तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य धारा—3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, उच्च शिक्षा या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक, बेसिक शिक्षा या निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण या निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय से है और इसमें संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सम्मिलित हैं;

(छ) 'संस्था' का तात्पर्य निम्नलिखित किसी संस्था से है:—

(एक) कोई सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय,जिन्हें सम्बद्धता का विशेषाधिकार, क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेज या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या अल्पसंख्यक हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(चार) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत कोई विद्यालय;

(पाँच) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(छः) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासित कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(सात) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(आठ) अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय।

(ज) "अनुदेशक" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है;

(झ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति से या उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की शक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(ट) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली से है;

(ढ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक सम्मिलित हैं;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की एक जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम, नियमावली तथा परिनियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना और उसके कृत्य

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियत किये जाने वाले दिनांक से "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग" नामक एक आयोग स्थापित किया जायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा। वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

आयोग की संरचना

4—(1) आयोग में एक अध्यक्ष और बारह सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा, यदि वह,—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(3) सदस्यों में से,—

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

(ख) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ग) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपर निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ङ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(च) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(छ) छह सदस्य ऐसे शिक्षाविद् होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, इनमें से जो भी पहले हो।

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सदस्य नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, जो भी पहले हो।

(2) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में स्वहस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा/रहेगी जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों का पद, पूर्णकालिक होगा और अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,—

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय—निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्धकदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो।

स्पष्टीकरण :—(1) जहाँ अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी रूप में सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसकी प्रसुविधाओं में या उससे उद्भूत होने वाली किसी प्रसुविधा या परिलब्धि में सदस्य से भिन्न अन्यथा रूप में सहभागी हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार का अन्वेषण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सहयुक्त करने की शक्ति

7—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

आयोग का कर्मचारी वर्ग

8—(1) आयोग का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्यधीन, आयोग, ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धन और सेवा शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9—आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात—

(क) अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना;

(घ) खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का चयन करना तथा उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(च) अध्यापकों या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग के निस्तारणार्थ रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाय, या जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन अपने कृत्यों का निस्तारण करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों;

(ञ) चयन/नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय—समय पर बनायी गयी नीति/प्रक्रिया के उपबन्धों का अनुसरण करना।

रिक्तियों का अवधारण, अधियाचन एवं चयन प्रक्रिया

10—(1) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतंत्र या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान या भर्ती वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाय, के माध्यम से आयोग को अधिसूचित करेगा। आयोग पात्रता का विनिश्चय करेगा और तदनुसार यथा विहित रीति से प्राप्त रिक्तियों को विज्ञापित करेगा।

(2) अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों (धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले) को अनिवार्य रूप से चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करते हुए चयन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अभ्यर्थियों का पैनल/सूची

11—(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा आयोजित करेगा अथवा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा अथवा परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पायें जायें उनका पैनल/सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अग्रसारित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण में सुगमता प्रदान करेगा।

(5) जहाँ ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति—पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऐसी संस्था में किसी अध्यापक या अनुदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल/सूची से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा। ऐसी समय सीमा नियुक्ति—पत्र जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(6) यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी किसी चयनित अभ्यर्थी को युक्तियुक्त कारणों (प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी को यथोचित कारण उल्लिखित करना है) से नियुक्ति—पत्र जारी करने में विफल हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची/पैनल से शेष अभ्यर्थियों का एक पैनल संस्थान को केवल एक बार उपलब्ध कराया जायेगा। फिर भी यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति—पत्र जारी करने में विफल रहता है तो संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार समाप्त कर दिया जायेगा।

अध्याय—तीन

चयनित अध्यापकों/अनुदेशकों की नियुक्ति

आयोग की संस्तुतियों पर ही नियुक्ति किया जाना

12—अध्यापक या अनुदेशक की प्रत्येक नियुक्ति, आयोग की संस्तुति पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति शून्य हो जायेगीः

परंतु यह कि किसी अध्यापक या अनुदेशक की एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण द्वारा अथवा किसी संस्था में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अथवा सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित के रूप में किसी अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियमों या नियमावलियों या विनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार की जा सकती है।

निदेशक द्वारा जाँच

13—(1) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार हो, किन्तु तद् निमित्त उपबन्धित समय के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से यथा सम्भव एक माह के भीतर, निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जाँच आयोजित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त करने में विफल हो गया हो तो वह आदेश द्वारा,—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में आवेदक को तत्काल नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है; और

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ख) सम्बन्धित संस्था के प्रधान को आवेदक से अध्यापक या अनुदेशक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक या अनुदेशक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसायटी या निकाय की, या उसमें निहित सम्पत्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने पर समायोजन की रीति

14–यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या मा0 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति अथवा अन्य किसी कारण (विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाएगा), से धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल/सूची में आयोग द्वारा संस्तुत कोई चयनित अभ्यर्थी, अनुज्ञात संस्था में कार्यभार ग्रहण करने में विफल हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल/सूची विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा या उपलब्ध कराएगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी, धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेगा।

सूचना मंगाने और अभिलेख एवं रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

15–आयोग धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और प्राधिकृत अधिकारी तद्नुसार उसका अनुपालन करेगा।

अध्यापकों या अनुदेशकों की सेवा शर्तें

16–अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय, यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों/सेवा नियमावलियों/विनियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है।

अध्याय–चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

आयोग का वित्तीय प्रबन्ध

17–(1) आयोग का वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, 2, 3 और 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगाः

परन्तु यह कि आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों में विशेष विनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) आयोग का व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से और फीस आदि स्वरूप प्राप्तियों से उपधारा (1) में उल्लिखित नियमों और राज्य सरकार के नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उपगत किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों या राज्य सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करके कोई व्यय उपगत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) आय–व्ययक का प्राक्कलन, सचिव के पर्यवेक्षणानुसार और निदेशानुसार वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और व्ययक को, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् बजट के उपबंधों के अनुसार उपगत किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष स्वयं के, सदस्यों, सचिव, उप सचिव और वित्त नियंत्रक के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा और आयोग द्वारा अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य समस्त वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभागाध्यक्ष में साधारणतया निहित हों।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(5) (एक) सचिव, आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा किन्तु यदि वह आवश्यक समझे तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी समस्त या कोई शक्तियां उप सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(दो) सचिव किसी कार्यालयाध्यक्ष में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ऐसी अन्य वित्तीय शक्तियां सचिव को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

वार्षिक रिपोर्ट

18–आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां, राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

19–(1) आयोग अपने लेखा के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को नियंत्रक–महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम–1971 (अधिनियम संख्या 56 सन् 1971) की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये ऐसे दिनांक, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे, तक अग्रसारित करेगा।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और उसके साथ–साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए दण्ड

20–नियुक्ति प्राधिकारी, प्रबन्धतंत्र तथा संस्था से तात्पर्यित कोई इकाई, जो आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन करने में विफल हो या धारा–13 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल हो या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, विधिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

21–इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अभियोजन का वर्जन

22–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य व विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

23–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण

24–आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

प्रत्यायोजन

25–आयोग धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसमें कार्यालय अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन हेतु उपगत व्यय से सम्बन्धित शक्ति सम्मिलित है, प्रत्यायोजित कर सकता है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

26—आयोग को व्यावहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारि—वर्ग आयोग को अन्तरित किये जायेंगे। समय के प्रक्रम में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त किये जाने के पश्चात् उनके समक्ष लम्बित कोई मामला, उनकी आस्तियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यतायें एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। आस्तियों एवं मामलों का अन्तरण

27—(1) राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियमों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र कुल चौदह दिनों की अवधि का हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो, रखा जायेगा और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से ऐसे उपान्तरणों अथवा बातिलकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे, जो विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण अथवा बातिलकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28—(1) आयोग, परीक्षाएं आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए शुल्क विहित करते हुए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

29—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ किसी अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

30—अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में अन्तर्विष्ट नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। अध्यादेश के अभिभावी प्रभाव

31—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। निरसन और व्यावृत्तियां

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन से, उपबंध प्रवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उद्देश्य एवं कारण

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यापकों के चयन के लिए विभिन्न आयोग हैः (एक) राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग; (दो) अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड; (तीन) सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति; (चार) परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद; (पाँच) व्यावसायिक शिक्षा विभाग में अनुदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

उपरोल्लिखित आयोगों/संस्थाओं द्वारा चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण अध्यापकों के चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है, अध्यापकों का समय से चयन नहीं हो पा रहा है, और विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं। इससे राज्य में छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा/प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, संस्था–स्तरीय चयन समितियों द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी परिलक्षित है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमें की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त आयोगों/संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को एक आयोग के अधीन लाने और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपबंध करने हेतु उपरोल्लिखित त्रुटियों को दूर करके तथा अर्हित अध्यापकों तथा अनुदेशकों के चयन द्वारा अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता लाने हेतु 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' की स्थापना के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा ।

―――――

<u>उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 ,के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र</u>

1-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निगमित निकाय होगा।

2-उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उ0प्र 0माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का स्टाफ आयोग को अंतरित किया जाएगा। आयोग की वार्षिक प्राप्तियाँ समय-समय पर घट-बढ़ सकती हैं। तद्नुसार आयोग को अनुदान दिया जा सकेगा।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 ,में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 ,में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्नवत् है-:

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
(3)1	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है ,जब से अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
4(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक नियुक्ति को प्रभावी करने के दिनांक को नियत करने की शक्ति दी जा रही है ,जब से राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जायेगा।
5(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया जा रहा है।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति दी जा रही है।
10(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
11(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अग्रसारित करने की शक्ति दी जा रही है।
11(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करने की शक्ति दी जा रही है।
11(5)	इसके द्वारा राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति–पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहने पर या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल / सूची से नया नाम या नये नाम , विहित रीति से सूचित करने की शक्ति दी जा रही है।
14(ग)	इसके द्वारा राज्य सरकार को निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करने और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल सूची से विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करने की शक्ति दी जा रही है।
17(1)	इसके द्वारा आयोग को राज्य सरकार की सहमति से वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए विशेष विनियमावली बनाने की शक्ति दी जा रही है।
18	इसके द्वारा राज्य सरकार को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और प्रपत्र,जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा, को राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाने की शक्ति दी जा रही है।
19(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को आयोग के लेखा के सम्बन्ध में लेखा बहियां और प्रपत्र और उन्हें रखवाने की रीति निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
22	इसके द्वारा राज्य सरकार को किसी अपराध के लिए अभियोजन स्वीकृति देने के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को विशेष रूप से उल्लिखित करने की शक्ति दी जा रही है।
27(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
29(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

501 RPH (Sewa Chayan) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1038/XC-1014(003)-11-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION BILL, 2023

A

BILL

To provide for the establishment of Uttar Pradesh Education Service Selection Commission for selection of teachers of non-government aided colleges, aided minority colleges affiliated and associated with a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or non-government aided intermediate colleges, higher secondary schools, high schools or attached primary schools governed by the Intermediate Education Act, 1921 or non-government aided minority intermediate colleges or minority higher secondary schools or minority high schools or attached minority primary schools covered under Intermediate Education Act, 1921 or the schools run and managed by Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj and non-government aided junior high schools and attached primary schools and non-government aided minority junior high schools and attached primary schools of the Uttar Pradesh Basic Education Board governed under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 or teachers in institutions run by the Atal Residential School Committee or for selection of instructors in certificate-level State Industrial Training Institutes under the Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021 and to conduct and organize Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test, and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** means the authority empowered to make appointment in the relevant Acts/Service rules/University Statutes, as the case may be ;

(b) **"Authorized Officer"** means the Director or any other person authorized by the State Government for this purpose ;

(c) **"Board"** means the Uttar Pradesh Board of Secondary Education, Prayagraj, or the Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj, or the State Council for Vocational Training, Uttar Pradesh, Lucknow, for secondary education, basic education and industrial training, respectively;

(d) **"Chairperson"** means the Chairperson of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairperson for the time being, the functions of the Chairperson;

(e) **"Commission"** means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission established under section 3;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(f) **"Director"** means the Director of Higher Education, or Director of Secondary Education, or Director of Basic Education, or Director of Minority Welfare, or Director of Training and Employment, and Director General of Atal Residential School, and it includes Joint Director of Higher Education and Joint Director of Secondary Education, Basic Education;

(g) **"Institution"** means any of the following institutions:-

(i) an affiliated or associated non-government aided college, aided minority college to which the privilege of affiliation has been granted by a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (U.P. Act no. 10 of 1973), respectively.

(ii) a non-government aided Intermediate College or a Higher Secondary School or a High School and attached primary school recognized under the Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921);

(iii) a non-government aided minority intermediate college or minority higher secondary school or minority high school and attached primary school recognized under the Intermediate Education Act, 1921;

(iv) a school run and managed by the Uttar Pradesh Basic Education Board;

(v) non-government aided junior high schools and attached primary schools recognized by Uttar Pradesh Basic Education Board;

(vi) an aided minority junior high school and attached primary school governed by the Uttar Pradesh Basic Education Board;

(vii) Certificate-level Government Industrial Training Institutes operated under the Department of Vocational Education and Skill Development;

(viii) Atal Residential Schools run by the Atal Residential School Committee.

(h) **"Instructor"** means a person employed for imparting training in certificate-level Government Industrial Training Institutes under the Department of Vocational Education and Skill Development;

(i) **"Management"** in relation to an institution means the management committee or person or authority vested with the power to manage and conduct the affairs of that institution;

(j) **"Member"** means a member of the Commission;

(k) **"Other Backward Classes of Citizens"** means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994);

(l) **"Prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(m) **"Regulation"** means any regulation made under section 28;

(n) **"Teacher"** means a person employed for imparting instruction in an institution and includes a Principal or Vice-Principal or a Headmaster;

(o) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (U.P. Act no. 10 of 1973), Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921), Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P. Act no. 34 of 1972), Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Acts, Rules and Statute.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission

3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the "Uttar Pradesh Education Service Selection Commission."

(2) The Commission shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout the State of Uttar Pradesh and its headquarter shall be at Prayagraj.

Composition of the Commission

4. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and twelve members who shall be appointed by the State Government.

(2) A person shall be qualified for appointment as Chairperson if he/she-

(a) is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Principal Secretary or equivalent thereto in the State Government; or

(b) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

(c) is or has been a Professor of any University established by law for at least ten years and has at least three years of administrative experience.

(3) Of the members,-

(a) one shall be a person who is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Secretary or any other equivalent post under the State Government;

(b) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Higher Education, whose services have been of an excellent order;

(c) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Additional Director, Vocational Education, whose services have been of an excellent category;

(d) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Secondary Education, whose services have been of an excellent category;

(e) one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Basic Education, whose services have been of an excellent category;

(f) one shall be a person who has been a member of the Judicial service (District Judge level) with distinguished service;

(g) Six shall be educationists whose services have been outstanding and who, in the opinion of the State Government, have made significant contributions to the field of education.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members

5.(1) Subject to the provisions of this Act, the Chairperson shall hold office for a term of three years from the date of appointment and shall not hold office as such after attaining the age of sixty-five years, whichever is earlier. Subject to the provisions of this Act, the Member shall hold office for a term of three years from the date of appointment and shall not hold office as such after attaining the age of sixty-five years, whichever is earlier.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) No person shall be a Chairperson or member for more than two terms.

(3) A Chairperson or member may resign from his/her office by writing under his/her hand addressed to the State Government, but he/she shall continue in office until his/her resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the Chairperson and members shall be full-time, and the terms and conditions of their service shall be such as the State Government may, by order, direct.

Power of State Government to remove the Chairperson and Members

6. (1) The State Government may, by order, remove from office the Chairperson or any member, if he ,-

(a) is adjudged insolvent by a Court; or

(b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(d) is liable to any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation :Where a Chairperson or member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall, for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

Power to Associate

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purpose, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Staff of the Commission

8. (1) The Secretary, the Controller of Examinations, the Controller of Finance, and the Deputy Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding three years, and other conditions of his service shall be such as the State Government may, by order, determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may deem necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as it deems fit.

Powers and Duties of the Commission

9. The Commission shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of direct recruitment of teachers or instructors;

(b) to conduct examinations, where necessary, and hold interviews and select candidates for appointment as teachers or instructors;

(c) to conduct and organize the Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test;

(d) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes of clause (b);

(e) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates;

(f) to obtain periodical returns or other information from institutions regarding the strength of the teachers or instructors and the vacancies for the appointment of teachers or instructors from Authorized Officer through State Government;

(g) to fix the emoluments, and travelling and other allowances of the experts;

(h) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(i) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder;

(j) to follow the provisions of the policy/procedure made from time to time by the Department of Personnel, Uttar Pradesh regarding selection/appointment.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Determination of Vacancies, Requisition, and Selection Procedure

10. (1) For the purpose of making an appointment of a teacher or instructor by direct recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and, in the case of a post other than the post of head of the institution, also determine the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), and persons belonging to economically weaker sections in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 (U.P. Act no. 10 of 2020) and other directions issued by the Government from time to time, and notify the vacancies to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed. The Commission shall decide the eligibility and accordingly advertise the vacancies received in the manner as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for direct recruitment to the posts of teachers or instructors shall be such as may be prescribed.

(3)Regarding appointment in religious and linguistic minority educational institutions for maintaining quality of education, process of selection shall be completed by compulsorily inviting educationist of that particular religion and language (having knowledge of theology and culture) as experts.

Panel/List of Candidates

11. (1) The Commission shall, as soon as may be, after a vacancy is notified under sub-section (1) of section 10, conduct, wherever necessary, examinations or interviews or conduct the examination and interview of the candidates and prepare a panel/list of those found most suitable for appointment.

(2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the prescribed officer or Authorized Officer referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.

(3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the prescribed officer or Authorized Officer shall, in the prescribed manner, intimate the Appointing Authority of the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10.

(4) The Appointing Authority shall, within a period of thirty days from the date of receipt of such information, issue appointment letters to such selected candidates and facilitate the selected candidate to join the duties in the prescribed manner.

(5) Where such selected candidate fails to join the post of a teacher or instructor in such institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Appointing Authority may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the Authorized Officer shall, on the request of Management, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel/list forwarded by the Commission under sub-section (2). Such time limit shall be up to a maximum of one year after the date of issuing of the appointment letter.

(6) If the Management/ Appointing Authority fails to issue appointment letter to a selected candidate on reasonable grounds (the Management/ Appointing Authority is to mention the appropriate reason) then a panel of remaining candidates from the list/panel of candidates under sub-section (1) will be made available to the Institute only once. Still, if the Management/Appointing Authority fails to issue appointment letter then the concerned post will be abolished as per the prescribed method.

501 RPH (Sewa Chayan) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

CHAPTER- III

APPOINTMENT OF SELECTED TEACHERS/INSTRUCTORS

Appointments to be made only on the Recommendations of the Commission

12. Every appointment of a teacher or instructor shall be made by the Appointing Authority only on the recommendation of the Commission, and any appointment made in contravention of the provisions of this Act shall be void:

Provided that the appointment of a teacher or instructor by transfer from one institution to another or by promotion in any institution or the appointment of a teacher or instructor as a dependent of an employee dying in harness cases may be made as per the provisions given in the relevant Acts or rules or regulations.

Inquiry by Director

13. (1) Where any person, in accordance with the provisions of this Act, is entitled to be appointed as a teacher or instructor but is not so appointed by the Appointing Authority within the time provided for the same, he may appeal to the Director or any officer authorized by him for a direction under sub-section (2) of this section.

(2) As far as may be within one month from the date of receipt of an application under sub-section (1), the Director or an officer authorized by him may hold an inquiry, and if he is satisfied that the Appointing Authority has failed to appoint the applicant as a teacher or instructor as per the provisions of this Act, he may, by order, direct -

(a) the Appointing Authority to appoint the applicant as a teacher or instructor with immediate effect and to pay him salary from the date specified in the order; and

(b) the concerned Head of the Institution to take work from the applicant as a teacher or an instructor.

(3) The amount of salary, if any, due to such teacher or instructor shall, on a certificate issued by the Director or an officer authorized by him in this behalf, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue from the property belonging to or vested in the society or body running the Institution.

Mode of Adjustment in Case of not Joining of Duty by Candidates Selected by the Commission

14. If any selected candidate recommended by the Commission in the panel/list sent under the provisions of section 11 fails to join the allowed Institution due to erroneous requisition or appointment of a dependent of an employee dying in harness or any order of the Hon'ble Supreme Court or High Court or abolition of the post, or any other reason (the Management is to mention the specific reason), the following procedure shall be adopted:-

(a) Concerned selected candidate shall submit his representation before the Director, mentioning the reasons for him not taking charge;

(b) The Director shall, after detailed enquiry on the representation submitted by the candidate, fix responsibility against the responsible Institution or Appointing Authority for sending erroneous requisition and send a report to the Commission with his recommendation for adjustment of the selected candidate;

(c) On the basis of the report and recommendation of the Director, the Commission shall adjust the selected candidate against the non-advertised requisition and shall send, or make available, as may be prescribed, the selected panel/list to the Appointing Authority after adjustment;

(d) On the basis of the panel/list sent under clause (c), the Appointing Authority shall ensure the joining of the selected candidate as per the provisions of section 11.

Power to Call for Information and Inspect the Record, Register, *etc*.

15. The Commission may require to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 9 as it thinks fit, from the Authorized Officer through State Government and the Authorized Officer shall accordingly comply with the same.

Conditions of Service of Teachers or Instructors

16. The conditions of service of teacher or instructor can be decided as per the provisions given in the relevant Acts/ Service Rules/ Regulations/ University Statutes, as the case may be.

CHAPTER-IV

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Financial Management of the Commission

17. (1) The financial management of the Commission shall be done in accordance with the rules laid down in Financial Handbook, Volumes 1, 2, 3 and 5:

Provided that the Commission may, with prior approval of the State Government, frame special regulations in respect of such matters as it may consider necessary.

(2) The expenditure of the Commission shall be incurred from the grants given by the State Government and receipts by way of fees, *etc*., in accordance with rules mentioned in sub-section (1) and that of the State Government, if any. A person who incurs expenditure in violation of the rules referred to in sub-section (1) or orders of the State Government, if any, shall be personally liable.

(3) The estimate of income-expenditure shall be prepared by the Controller of Finance under the supervision and direction of the Secretary, and expenditure shall be incurred according to the provisions of the budget after it is approved by the Commission.

(4) The Chairperson shall be the controlling officer with regard to himself, the Members, the Secretary, the Deputy Secretary, and the Controller of Finance and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of the Department, in addition to all other financial powers delegated to the Chairperson by the Commission.

(5) (i) The Secretary shall be the Drawing and Disbursing Officer, but he may, if he considers it necessary, by an order in writing, delegate all or any of such powers to the Deputy Secretary.

(ii) The Secretary shall exercise all such powers as may be vested in the Head of an Office. In addition, the Commission may delegate such other financial powers to the Secretary as it may consider necessary.

Annual Reports

18. The Commission shall prepare annually, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving an accurate and complete account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

Accounts and Audit

19. (1) The Commission shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account, in such form and in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.

(2) The Commission shall, as soon as possible after closing its annual accounts, prepare a Statement of Accounts in such form and forward the same to the Accountant General by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Act no. 56 of 1971).

(3) The annual accounts of the Commission, together with the audit report thereon, shall be forwarded to the State Government, and the Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

501 RPH (Sewa Chayan) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

Punishment for appointment of Teachers or Instructors in contravention of the provisions of Act

20. Any entity, which means Appointing Authority, Management and Institution, failing to comply with the recommendations of the Commission or which fails to comply with the order or direction of the Director under section 13, or appoints a teacher in contravention of the provisions of this Act, shall be liable to legal action.

Protection of action taken in good faith

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act.

Prohibition of Prosecution

22. No prosecution for any offence under this Act shall be instituted without the previous sanction of the Director or such officer or authority as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf.

Certain Proceedings not invalid

23. No act or proceeding of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of:

(a) any vacancy in, or defect in, the constitution of the Commission; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of any person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not having any material effect.

Authentication of Decisions

24. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorized by the Commission.

Delegation

25. The Commission may, by regulations made under section 28, confer on its Chairperson or any member or officer, the power to delegate the general superintendence of and directions in connection with the work done by or in the Commission, including the expenditure incurred for maintenance of office and the internal administration of the Commission.

Transfer of Assets and Matters

26. To make the Commission function practically, the staff of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board will be transferred to the Commission. In the course of time, after the abolition of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission and Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board, any matter pending before them, their assets, loans, liabilities, obligations and services of full-time employees will be transferred to the Commission.

Power to make rules

27. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in its one session or in two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Power to make regulations

28. (1) The Commission may, with the prior approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding examinations, for conducting interviews, and for laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

501 RPH (Sewa Chayan) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Power to remove difficulties

29. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before both the Houses of State Legislature.

Overriding Effect of the Act

30. Regarding the selection of teachers or instructors, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything contrary to the rules, regulations, or Statutes contained in the Uttar Pradesh State University Act, 1973, Intermediate Education Act, 1921, Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021.

Repeal and Savings

31. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board Act, 1982 and the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2019 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the repeal of the Acts referred to in sub-section (1) shall not have an adverse effect on the general application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) in relation to the enforcement of provisions.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Uttar Pradesh at present has various Commissions for the selection of teachers: (i) Uttar Pradesh Higher Education Service Commission for the selection of teachers of non-government aided colleges of the state; (ii) Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board for the selection of teachers of non-government aided intermediate colleges; (iii) Concerned management committee for the selection of the posts of assistant teachers in aided junior high schools and affiliated primary schools; (iv)District Basic Education Officer and Secretary, Basic Education Council for selection of assistant teachers in council schools; (v)Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission for the selection of instructors in the Department of Vocational Education.

Due to the difference in the level of efficiency related to selection by the above mentioned Commissions/Institutions the quality of selection of teachers is affected, there is no uniformity in the process of selection, timely selection of teachers is not being done, and there are several vacant posts of teachers in various institutions. This adversely affects the education/training of the students/trainees in the State. Apart from this, a lack of transparency is evident in the selection process conducted by institution-level selection committees which has resulted in litigations.

In view of the above, it was decided to make a law to establish 'Uttar Pradesh Education Service Selection Commission' to bring the work done by the aforesaid Commissions/Institutions under one Commission and to bring inuniformity, transparency and timeliness in the recruitment process of teachers by removing the above-mentioned shortcomings and selecting qualified teachers and instructors for providing quality education in the State.

The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Bill, 2023 is introduced accordingly.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uccha Shiksha.

———

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 501 राजपत्र—2023—(1631)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

501 RPH (Sewa Chayan) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(ठ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1266/वि0स0/संसदीय/74(सं)–2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) में, धारा 10 में, —

(क) उपधारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द ''माल या'' निकाल दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द ''माल या'' निकाल दिये जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, —

(i) दूसरे परंतुक में, शब्द ''उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा'' के स्थान पर शब्द और अंक, ''धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये,उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा'' रख दिये जायेंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, शब्द ''उसके द्वारा'' के पश्चात् शब्द ''पूर्तिकार को'' बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में, —

(क) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक ''अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट'' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थातः—

''अनुसूची 3 के,—

(i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य; और

(ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहितगतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।'';

(ख) उपधारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः—

''(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;''।

धारा 23 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थातः—

''(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है ।''

धारा 30 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, —

(क) शब्द ''रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति सेः'', के स्थान पर शब्द ''ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को'' रख दिये जायेंगे;

(ख) परंतुक को निकाल दिया जाएगा ।

धारा 37 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।''

धारा 39 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।''

धारा 44 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है। ''

धारा 52 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः—

''(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त् होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।''

धारा 54 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) में, शब्द ''जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द ''उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'',के स्थान पर शब्द ''इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे।

धारा 62 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, —

(क) शब्द ''तीस दिन'' के स्थान पर शब्द ''साठ दिन'' रख दिये जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः—

''परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।''

धारा 109 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः—

''109—इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

धारा 110 तथा 114 का निकाला जाना

15–मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 117 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 117 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठों'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द ''राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 118 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द ''राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 119 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 119 में,–

(क) शब्द ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 122 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

''(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो–

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा, ।''

धारा 132 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में, –

(क) खंड (छ), (ञ) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ठ) में, शब्द, को"ठक और अक्षर ''खंड (क) से (ट)'', के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ) '' रख दिये जायेंगे;

(ग) खंड (iii) में, शब्द ''जहां'' के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''या खंड (छ) या खंड (ञ)'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 138 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 138 में,–

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक में, –

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

''(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था;''

(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;

(iv) खंड (ङ) निकाल दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने'', के स्थान पर शब्द ''अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा 158क का बढ़ाया जाना

22—मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थातः —

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां,

धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी, —

(क) उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III की कतिपय गतिविधियों और संव्यवहारों को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना

23—(1) मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नही किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023

24—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् , 2017), जिसे आगे (''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 8 सन, 2023) द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन, 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन, 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रहीं है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
5(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गयी है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है ।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण आदेशों के विरुद्ध प्रतिसंहरण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में समयावधि,रीति तथा शर्तों एवं निर्बंधनों हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
7 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का विवरण दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
8 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिये कर विवरणी दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
9 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिये वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
10 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अथवा प्रचालकों के एक वर्ग को उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56(4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

12	इसके द्वारा राज्य सरकार को विलंब से जारी किये गये रिफंड आदेशों के संबंध में देय ब्याज हेतु विलंब की अवधि की गणना किये जाने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
22	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गयी कतिपय सूचनाओं को साझा करने तथा इस संबंध में रीति तथा शर्तों एवं निर्बंधनों हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1042/XC-1014(003)-7–2023

Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023. Short title and commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 10,— Amendment of section 10

(a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be *omitted*;

(b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be *omitted*.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 16

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—

(i) in the second proviso, *for* the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be *substituted*;

(ii) in the third proviso, *after* the words "made by him", the words "to the supplier" shall be *inserted*.

Amendment of section 17

4. In section 17 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), in the Explanation, *for* the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be *substituted*, namely:—

"except,—

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), *after* clause (f), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or *intended* to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".

Amendment of section 23

5.In section 23 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."

Amendment of section 30

6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) *for* the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be *substituted*;

(b) the proviso shall be *omitted*.

Amendment of section 37

7. In section 37 of the principal Act, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

Amendment of section 39

8. In section 39 of the principal Act, *after* sub-section (10), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

9. Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 44

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

10. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (14), the following sub-section shall be *inserted*, namely:— Amendment of section 52

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

11. In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be *omitted.* Amendment of section 54

12.In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be *substituted.* Amendment of section 56

13.In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),— Amendment of section 62

(a) *for* the words "thirty days", the words "sixty days" shall be *substituted*;

(b) the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

14. *For* section 109 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 109

"109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. Section 110 and 114 of the principal Act shall be *omitted.* Omission of sections 110 and 114

16. In section 117 of the principal Act,— Amendment of section 117

(a) in sub-section (1), *for* the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), *for* the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be *substituted.*

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 118

17. In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), *for* the words “National Bench or Regional Bench”, the words “Principal Bench” shall be *substituted*.

Amendment of section 119

18. In section 119 of the principal Act,—

(a) *for* the words “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be *substituted*;

(b) *for* the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be *substituted*.

Amendment of section 122

19. In section 122 of the principal Act, *after* sub-section (1A), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(1B) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."

Amendment of section 132

20. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) clauses (g), (j) and (k) shall be *omitted*;

(b) in clause (l), *for* the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be *substituted*;

(c) in clause (iii), *for* the words "any other offence", the words, brackets and letter" an offence specified in clause (b)," shall be *substituted*;

(d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be *omitted*.

Amendment of section 138

21. In section 138 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in the first proviso,—

(i) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";

(ii) clause (b) shall be *omitted*;

(iii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offenc under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";

(iv) clause (e) shall be *omitted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent of the tax involved" shall be *substituted*.

Insertion of new section 158A

22. *After* section 158 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act

23. (1) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of U.P.Act 45 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 14 of 2023

24. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the " said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2023 (Act no. 8 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 31st March, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 14 of 2023) was promulgated by the Governor on 24th July, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

———

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 504 राजपत्र–2023–(1634)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
504 RPH (Mall Aur Sewakar) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–211 (क–8)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2302 / वि0स0 / संसदीय / 115(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

814 RPH 2023 (G.S.T.) data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में, –

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :–

(80क) ''ऑनलाइन गेम खेलना'' से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) ''ऑनलाइन धनीय गेम खेलना'' से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(102क) ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' से,–

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्यूतक्रीड़ा;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना;''

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो ।''

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः–

''(117क) ''आभासी डिजिटल आस्ति'' का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है''।

धारा 24 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द ''और'' निकाल दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

''(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और''।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

4–मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द ''लाटरी, दांव और द्यूत'' के स्थान पर, शब्द ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' रख दिये जाएंगे । *अनुसूची 3 का संशोधन*

5–इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। *संक्रमणकालीन उपबंध*

निरसन और वयावृत्ति

6–(1) उत्तर प्रदेश माल ओर सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। *उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023*

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधान मण्डल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 18 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से, राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

814 RPH 2023 (G.S.T.) data 1e

<u>उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संलग्न धाराओं का उद्धरण।</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 24 [1][24] कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण,–धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा,–

x x x x x x x x

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुँच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है;

अनुसूची–3

अनुसूची–3

[धारा 7]

* * * * * * * * *

6–लाटरी, दांव और द्यूत से भिन्न अनुयोज्य दावे।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———————

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1180/XC-S-1–23-15S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

<u>NOTIFICATION</u>
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1^{st} day of October, 2023.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), –

(a) *after* clause (80), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;"

(b) *after* clause (102), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;”

(c) in clause (105), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

(d) *after* clause (117), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;”.

Amendment of section 24

3. In section 24 of the principal Act,–

(a) in clause (xi), the word "and" ocurring at the end, shall be *omitted*;

(b) *after* clause (xi), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

Amendment of Schedule III

4. In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, *for* the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be *substituted*.

Transitory provision

5. The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 16 of 2023

6. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

814 RPH 2023 (G.S.T.) data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to make provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246-A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Act no. 30 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 18th August, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 16 of 2023) was promulgated by the Governor on 30th September, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 814 राजपत्र–2023–(2312)–599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

814 RPH 2023 (G.S.T.) data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–211(क–9)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———

संख्या 2322/वि0स0/संसदीय/116(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023

मॉडल शिफ्ट, लॉजिस्टिक्स नीति के साथ–साथ पोत परिवहन और नौपरिवहन में सहायता हेतु नदी किनारे समुदायों के विकास, प्रथम और अन्तिम मील संयोजकता के रूप में सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय तथा पर्यावरण के अनुकूल अन्तर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन के प्रयोजनार्थ अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन तथा विकास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक अधिसूचित किये जा सकेंगे और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(एक) ''अनुलग्न भूमि'' का तात्पर्य राष्ट्रीय या राज्य जलमार्ग से अनुलग्न समस्त भूमि से है, चाहे वह सीमांकित हो या न हो;

(दो) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(तीन) ''घाट'' का तात्पर्य अंतर्देशीय जल के साथ जलयान/पोत को घाट पर लगाये जाने के लिए गोदी, जैटी आदि प्रसुविधा से है;

(चार) ''कार्गो'' में जीवित व्यक्तियों के सिवाय ऐसी कोई भी वस्तु सम्मिलित है जिसका वहन जलयान में किया जा रहा हो, या किया जाने वाला हो;

(पांच) ''कार्गो जलयान'' का तात्पर्य ऐसे जलयान से है, जो यात्री जलयान नहीं है;

(छः) ''केन्द्रीय सरकार'' का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(सात) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(आठ) ''सफाई'' में जलसरणियों की झमाई, प्रशिक्षण, बंद करना, मोड़ना या परित्याग करना भी सम्मिलित है;

(नौ) ''सफाई उपाय'' का तात्पर्य सफाई के प्रयोजनों के लिए उपाय से है किन्तु इसमें बाढ़ के सापेक्ष तटों की सुरक्षा और उन तटों को प्रतिबंधित करने के उपाय सम्मिलित नहीं हैं जो मुख्यतया पोत परिवहन और नौ परिवहन से संबंधित क्षेत्रों के कारण कटावग्रस्त हो गये हों;

(दस)''नौघाट''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग के पार या उसके साथ यात्री परिवहन सेवाएं या संयुक्त रूप से यात्री और माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने जलयान से है;

(ग्यारह) ''माल'' में जीवित व्यक्तियों को छोड़कर पशुधन और जलयान द्वारा ले जाया गया कोई वस्तु सम्मिलित है;

(बारह)''अवसंरचना'' में डोक्स, गोदी, जेटी, लैंडिंग स्टेज, लॉक, बोइस, अंतर्देशीय बंदरगाह, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, सड़क और रेल अभिगम और कार्गो भण्डारण स्थल जैसी संरचनाएं सम्मिलित हैं और पद ''अवसंरचनात्मक सुविधाओं'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(तेरह) ″अंतर्देशीय जल″ अंतर्देशीय नौवहन के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों, नहरों, धाराओं, झीलों और अन्य नौगम्य जल निकायों को सम्मिलित करता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(चौदह) ″अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग″ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर के जलमार्ग से है;

(पन्द्रह) ″जैटी″ का तात्पर्य जलयान में और जलयान से यात्रियों और माल को लाने एवं ले जाने हेतु अंतर्देशीय जल में कृत्रिम ढांचा से है;

(सोलह) ''निर्माता'' का तात्पर्य जलयान या उसके किसी हिस्से या उपकरण के निर्माण में लगे हए व्यक्ति से है;

(सत्रह) ''सदस्य'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(अट्ठारह) ''राष्ट्रीय जलमार्ग''का तात्पर्य राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17 सन् 2016) के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग से है;

(उन्नीस)''नाव्य जलसरणी'' का तात्पर्य ऐसी जलसरणी से है, जो पूर्ण वर्ष भर या उसके किसी भाग के दौरान नाव्य हो;

(बीस) ″यात्री″ का तात्पर्य कोई व्यक्ति जो जलयान पर किसी भी सामर्थ्य से सेवारत हो या कार्यरत हो, को छोड़कर जलयान पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति से है;

(इक्कीस) ''यात्री जलयान'' का तात्पर्य है किराए या परितोष पर यात्रियों को लाये जाने में प्रयुक्त किसी पोत से है;

(बाइस) ''बंदरगाह'' का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1908) में परिभाषित है;

(तेईस) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(चौबीस) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(पच्चीस) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से हैं;

(छब्बीस) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(सत्ताईस) ''राज्य विधानमण्डल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधानमण्डल से है;

(अट्ठाइस) ''राज्य जलमार्ग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(उन्तीस) ''गोदी'' का तात्पर्य किसी जहाज/जलयान का गोदी पर लगने के लिए अंतर्देशीय जल के तट पर एक निर्माण से है;

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 82 सन् 1985) और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) और तद्धीन बनाए गए केंद्रीय नियमों में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो पूर्वोक्त अधिनियमों और नियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) उक्त प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन समनुदेशित हैं।

(3) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

(4) प्राधिकरण में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) या तो परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश या अन्तर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन तथा नौपरिवहन, बन्दरगाह, समुद्री मामले या उससे सम्बन्धित मामले में विशेष ज्ञान तथा वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ –**अध्यक्ष**

(दो) राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त व्यक्ति जिनके पास अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बंदरगाहों, समुद्री मामलों या उससे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है – **उपाध्यक्ष**

(तीन) वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(चार) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–सदस्य (पदेन);

(पांच) परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(छः) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–सदस्य (पदेन);

(सात) पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन);

(आठ) वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन);

(नौ) आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का एक प्रतिनिधि– सदस्य;

(दस) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदेन;

प्राधिकरण का कार्यालय

4–(1) प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे स्थानों पर उप–कार्यालयों और जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, जैसा किया जाना आवश्यक हो।

अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी)

5–(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष ऐसे कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे जो विहित किया जाय लेकिन वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अध्यक्ष के पद का कार्यकाल (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत किया जा सकता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अग्रतर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

अध्यक्ष (यदि किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं

6–कोई व्यक्ति अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,–

(क) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है; या

(ख) एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी कंपनी की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र और निष्कासन

7–(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष जो उनकी/उसकी राय में,–

(क) कार्य करने से इंकार कर देता है; या

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है; या

(घ) अन्यथा, सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।

(3) राज्य सरकार, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष को उनके विरूद्ध जांच होने तक निलंबित कर सकती है।

(4) हटाए जाने के मामले में, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है) और उपाध्यक्ष को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जब हटाने का ऐसा आदेश पारित किया गया हो, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष की सीट रिक्त घोषित की जाएगी।

(5) कोई अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन किसी भी क्षमता में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ

8–(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित और ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य जो विहित किये गये हों, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा विहित या उसको प्रत्यायोजित अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

प्राधिकरण की प्रशासनिक शाखाएं, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

9–(1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक शाखाएँ होंगी :–

(क) तकनीकी शाखा (समुद्री और समुद्री, नागरिक, यांत्रिक, जलराशि सर्वेक्षण, मानचित्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि)।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन और यातायात और रसद के साथ–साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास शाखा आर एंड डी।

(ग) सामान्य प्रशासन और वित्त शाखा।

(घ) कोई अन्य शाखा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा सृजित की जा सकती हैं।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक शाखा के प्रमुख को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे या तो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विषयों में शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त किये जायेंगे या उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जा सकते हैं।

(3) राज्य सरकार परिवहन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों में से प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति करेगा जो अपर परिवहन आयुक्त स्तर का होगा। सचिव की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(6) प्राधिकरण के सचिव, निदेशक (निदेशकों) और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधियों से आहरित किये जाएंगे।

बैठकें

10–(1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय पर होंगी जैसा अध्यक्ष निदेश दें, परन्तु प्राधिकरण की बैठकें कलैंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(3) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों पर कार्य करना

11–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा कारबार सिद्धांत पर कार्य करेगा।

सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञों का पैनलीकरण

12–(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण समय–समय पर ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) किसी सलाहकार समिति में पोत परिवहन एवं नौपरिवहन और सहबद्ध पहलुओं से सम्बन्धित योग्यता और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

(3) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार कृत्यों के दक्ष निर्वहन हेतु किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को पैनलित कर सकता है ।

रिक्ति आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

13–(1) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्त है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय–तीन

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

14–(1) प्राधिकरण यह कर सकता है,–

(क) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) में राज्य सरकार से संबंधित उपबन्धों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, कार्यों या कृत्यों के निर्वहन के संबंध में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से सहयोग और समन्वय करना;

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन, अंतर्देशीय जल बंदरगाह और टर्मिनल संचालन और सेवाओं की गतिविधियों को विनियमित करना;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर, उसके पार या उसके नीचे संरचनाओं के निर्माण या परिवर्तन को विनियमित करना;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त) के वर्गीकरण के लिए मानक अधिकथित करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(च) नदी क्रूज संचालन के लिए पर्यटक सर्किट मार्ग तैयार करना और विनियमित करना;

(छ) सभी मशीनीकृत जहाजों और गैर–मशीनीकृत जहाजों के अंतर्देशीय जहाजों का रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण करना;

(ज) जहाजों, बंदरगाहों, टर्मिनलों, नेविगेशन और अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियों के लिए विहित सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(झ) अंतर्देशीय जलमार्गों और अनुलग्न भूमि में किसी भी बाधा या अड़चन को जो सुरक्षित नौपरिवहन में बाधा डाल सकती हो या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की या संरक्षण उपायों की सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती हो उस दशा में जहां ऐसी बाधा या अड़चन विधिपूर्वक की गई हो उस व्यक्ति को जिसको ऐसी बाधा के हटाने या परिवर्तन द्वारा नुकसान हो प्रतिकर देने के पश्चात, हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ऐसी रुकावट या बाधा का लंबे समय तक जारी रहना या अन्यथा, ऐसे निष्कासन या परिवर्तन से क्षति से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के बाद;

(ञ) जलमार्गों के तल में या उससे कचरा फेंकने, सामग्रियों के संनिक्षेपण या वहां से उनको हटाने जैसे क्रियाकलाप को नियंत्रित करना और अपेक्षित स्वागत सुविधाएं और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करना;

(ट) उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक नदी, झील और अन्य जल निकाय के अवाह क्षेत्र का अवधारण और वर्गीकरण, अवधारित और परिभाषित अवाह क्षेत्र के भीतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

(ठ) पोतपरिवहन और नौपरिवहन की सुरक्षा और सुविधा और अंतर्देशीय जलमार्गों के सुधार के लिए संरक्षण उपाय करना;

(ड) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए जलराशि सर्वेक्षण और अन्वेषण करना और दिन और रात के नौपरिवहन के लिए नौपरिवहन सहायता प्रदान करने वाले नदी चार्ट प्रकाशित करना, लेकिन यह रेडियो संचार तक सीमित नहीं है;

(ढ) अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में नौपरिवहन मौसम संबंधी जानकारी का प्रसार करना;

(ण) राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा;

(त) उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित अंतर्देशीय जलमार्गों पर यान मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकेगा और बनाये रख सकेगा, जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया है;

(थ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जल पर्यटन, ड्रेजिंग, नदी प्रशिक्षण, तटबंध, इत्यादि की स्थापना सहित अंतर्देशीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन से सुसंगत किसी भी क्रियाकलाप को प्रदान या अनुमति देना;

(द) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के निर्माण, टर्मिनलों तक/से लोडिंग और अनलोडिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों पर जलयान से जलयान पोतांतरण को विनियमित करना;

(ध) उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मशीनीकृत और गैर–मशीनीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए यात्री किराए और माल भाड़े के लिए अधिकतम दरें नियत करने की शक्ति;

(न) पोंटून पुलों का विनियमन;

(प) अंतर्देशीय जल यातायात डेटा का विश्लेषण करना और उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात मांग के लिए अनुमान लगाना और जलयान/कार्गो/फेरी संचालकों को उनकी विस्तार योजनाएँ तैयार करने में सहायता करना;

(फ) जल परिवहन और पर्यटन, और पोतपरिवहन और नौपरिवहन से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुसंधान में संचालन और लगाया जाना;

(ब) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सेवा प्रदाता, अंतर्देशीय जलयान मालिकों और चालक दल, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण के प्रयोजन से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के साथ–साथ भारत के भीतर और बाहर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना;

(भ) अंतर्देशीय जलमार्ग, जल परिवहन और पर्यटन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(म) राज्य सरकार द्वारा इसे समनुदेशित अन्य संबंधित कार्य करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(य) इसके समुचित कामकाज के लिए विनियम और विस्तृत मार्गदर्शन तैयार करना और कार्यकारी निर्देश जारी करना;

(कक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(2) उप–धारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण कर सकता है–

(क) पर्यावरणीय, आर्थिक, सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन योजनाओं को अनुमोदित करना और कार्यान्वित करना;

(ख) राज्य सरकार को इस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगा;

(ग) उपभोक्ताओं और व्यापार के लाभ के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना;

(घ) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी और आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करना;

(ङ) इस अधिनियम के लिए आनुषंगिक किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(च) राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किसी भी अन्य कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी का निष्पादन;

(छ) अंतर्देशीय जल परिवहन संचालकों, नौका सेवा प्रदाताओं, अंतर्देशीय जल यातायात सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक अधिकथित करना; और

(ज) सेवा की निरंतरता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित प्रदर्शन मानकों की अनुश्रवण एवं लागू करना।

(3) उपधारा (1) के खंड (प) में निर्दिष्ट मुआवजे से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि के मामले में इसी तरह के विवादों से संबंधित कानून के अनुसार किया जाएगा।

प्राधिकरण को सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी

15–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात–

(एक) लोगों को समन करना एवं हाजिर कराना और उन्हें शपथ के साथ मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(दो) दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आवश्यकता;

(तीन) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(चार) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना।

पारदर्शिता और सुशासन

16–प्राधिकरण समस्त हितधारकों के साथ सम्यक परामर्श करके और अपने समस्त विनिश्चयों को सार्वजनिक सूचना के लिए पूर्ण रूप से प्रलेखित और उपलब्ध कराकर इस अधिनियम के अधीन प्रतिस्थापित शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सुशासन, पारदर्शिता और औचित्य को सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–4

संपत्ति और अनुबंध

राज्य सरकार की आस्तियों और देनदारियों का प्राधिकरण को हस्तांतरण

17–(1) ऐसे दिन से, जिसे राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है–

(क) ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन से संबंधित या सम्बद्ध समस्त संपत्तियां और अन्य संपत्तियां, प्राधिकरण में निहित होंगी;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले समस्त उपगत ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए समस्त अनुबंध और किए जाने वाले समस्त मामले और चीजें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए किया गया और किया जाने वाला माना जायेगा;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस दिन तक उपगत किए गए समस्त गैर–आवर्ती व्यय और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए जाने पर, ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(घ) ऐसे दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के संबंध में राज्य सरकार को देय समस्त धनराशि प्राधिकरण को देय समझी जाएगी;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के सम्बन्ध में किसी भी मामले के संबंध में समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों जो राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई हैं और लंबित हैं, या जो इस तरह से संस्थित किया जा सकता था, ऐसी तारीख से ठीक पहले, ऐसी तारीख को और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने या सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर्मचारियों या संविदा कर्मचारियों को स्वयं के स्वामित्व पर नियुक्त करने की शक्ति होगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण के साथ ऐसे किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में राज्य सरकार या संबंधित विभाग को उसके अवकाश वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए ऐसा योगदान देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे, अपनी नियमित सेवा में शामिल करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित किया हो, कि वह नियमित कर्मचारी बनने का अपना आशय रखता है, प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित सेवा में समाहित कर लिया जाएगा।

(3) यदि कोई विवाद या संदेह उठता है कि राज्य सरकार की कौन सी संपत्ति, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई हैं या राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से किसे इस धारा के अधीन प्राधिकरण के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, ऐसे विवाद या संदेह का निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य कानून के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, इस धारा के अधीन, प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर्मचारी को अपनी नियमित सेवा में समावेशित करने से ऐसा कर्मचारी उस अधिनियम या अन्य कानून के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएँ

18—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और पालन करने के लिए सक्षम होगा।

प्राधिकरण की ओर से संविदाओं को निष्पादित करने की रीति

19—(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त सामान्यतया या विशेष रूप से सशक्त हों और विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे संविदाओं या संविदाओं की श्रेणी प्राधिकरण की सामान्य मुहर के साथ मुहरबंद की जाएगी :

परन्तु ऐसे मूल्य या रकम से अधिक का कोई अनुबंध नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार समय—समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त तय कर सकती है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे पूर्व में अनुमोदित न किया गया हो :

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए कोई संविदा या तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति का पट्टा तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय—समय पर आदेश द्वारा ऐसे मूल्य या रकम से अधिक की कोई अन्य संविदा निश्चित नहीं होगी जब तक इसे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा करने की प्ररूप और रीति ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विनियमों के अनुसार नहीं है, वह प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

अध्याय—5

वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण

20—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पोत परिवहन, नौचालन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए ऐसी दरों पर फीस और प्रभार का उद्ग्रहण कर सकता है, इसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं और जहाजों की ठहरने से संबंधित जलयानों को घाट पर लगाने से संबंधित सुविधाएं, स्थोरा की उठाई—धराई और स्थोरा का भण्डारण शामिल है।

815 RPH (water authority) (Sansadiya folder)- Data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस और प्रभार ऐसी रीति से संगृहीत किये जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किये जाएं।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

21–राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जो आवश्यक समझे।

प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां

22–प्राधिकरण, ऐसी रीति से और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है या बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखितों, को, निर्गमित करके, किसी स्रोत से धन उधार ले सकता है जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए उचित समझे।

निधि का गठन

23–(1) ''उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि'' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे–

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियाँ, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) निधि को निर्वहन के लिए उपयोजित किया जाएगा –

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय;

(ग) अपने मुख्य कार्यालय और अन्य उप–कार्यालयों की स्थापना में प्राधिकरण के खर्च, या तो नए निर्माण के माध्यम से या किराए पर लेने के माध्यम से।

बजट

24–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

निधियों का विनिधान

25–प्राधिकरण अपनी निधियों (किसी भी आरक्षित निधि सहित) का विनिधान राज्य और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, कर सकेगा।

प्राधिकरण के बैंकर्स

26–प्राधिकरण के बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) के अर्थ में कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

लेखा और लेखापरीक्षा

27–प्राधिकरण के खातों का रख–रखाव और लेखा–परीक्षा उस रीति से की जाएगी जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और प्राधिकरण अपनी लेखापरीक्षित प्रति और उसके आधार पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसी तिथि से पहले जो विहित की जाय, ऐसी राज्य सरकार को देगा।

वार्षिक रिपोर्ट

28–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

29–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

अध्याय–6

विविध

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

30–(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर उसे लिखित रूप में दे :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य जहाँ तक हो सके अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं अंतिम होगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन

31–प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और ऐसी भूमि का प्राधिकरण के लिए अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

कुछ विधियों का लागू होना आदि

32–(1) इस अधिनियम के उपबंध भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशेष रूप से इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन किसी भी बंदरगाह के संरक्षक या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग, निष्पादित या निर्वहन के लिए आवश्यक किसी भी क्षेत्राधिकार, कार्यों, शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी प्रमुख बंदरगाह के लिए न्यासी बोर्ड या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, ऐसे बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह की सीमा के भीतर आने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित) के किसी भी हिस्से के संबंध में।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अलावा और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) या किसी भी राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौचालन के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले प्रवृत्त कोई राज्य अधिनियम, संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

33–इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारतणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तब सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और–

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन अथवा जांच कर सकेगा ;

(ख) तल मापन कर सकेगा ;

(ग) अवमृदा की खुदाई या वेधन कर सकेगा ;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन कर सकेगा ;

(ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां काट कर ऐसी तल सीमाओं और रेखाओं को चिंहित कर सकेगा ; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास–गृह से संलग्न किसी परिवृत्त आंगन या उद्यान में प्रवेश (जब तक कि वह प्रवेश उसके अधिभोगी की सम्पत्ति से न हो) ऐसे अधिभोगी को पहले, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटों की लिखित सूचना देकर ही करेगा।

प्रत्यायोजन

34–प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

35–प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

36–प्राधिकरण के समस्त सदस्यों, अधिकारियों, और अन्य कर्मचारियों, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं, उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाई के लिए संरक्षण

37–(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) इस अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह ऐसे अनुतोष उपायों के लिए उपबंध करे जो बाढ़ या संक्रमों के टूट जाने और पूरा न होने के कारण आवश्यक हो गए हैं।

राज्य सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति

38—(1) यदि, किसी राज्य सरकार की यह राय हो कि—

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में बार—बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या किसी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की इतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में वर्णित कारणों से इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर ;

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने के दिनांक से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार निदेश देगी;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति जब तक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है राज्य सरकार में निहित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण काल की समाप्ति पर, राज्य सरकार—

(क) अधिक्रमण काल को अधिक से अधिक छह मास तक की इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अधिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

39—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष और सचिव के निबंधन और शर्तें;

(ग) इस अधिनियम में संदर्भित सलाहकार समिति और विषय विशेषज्ञों के पैनलीकरण से संबंधित मामले;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(घ) वह प्रपत्र जिसमें, और जिस समय, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपना बजट और इस अधिनियम के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(ङ) वह रीति जिसमें प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने निधि का विनिधान कर सकता है;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के खातों को बनाए रखने और सम्परीक्षा किये जाने की रीति;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बंधन; और

(ज) कोई अन्य मामला जो ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

40–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जो प्राधिकरण की सामान्य मुहर से प्रमाणित की जानी है और वह रीति और प्रारूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा संविदा की जा सकेगी ;

(घ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अध्यधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई कृत्य किए जा सकेंगे ;

(ङ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर पथ के नियम;

(च) अवसंरचनाओं और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सुविधाजनक उपयोग, प्रबंध और नियंत्रण;

(छ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर लाए गए माल का ग्रहण, भंडारण और निष्कासन और माल का प्रभार लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो लैंडिंग से पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है या कथित तौर पर इतनी क्षतिग्रस्त हो सकती है;

(ज) ऐसे डॉकों, घाटों, जेट्टियों और उतराई मंचों को जिन पर माल जलयानों से उतारा जाएगा और जलयानों के फलक पर लादा जाएगा, को विनियमित करना, घोषित करना और परिभाषित करना;

(झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अन्तर्देशीय जल मार्ग पर, जलयानों पर माल लादा और उनसे उतारा जाएगा, को विनियमित करना; और

(ञ) उपद्रवियों या अन्य अवांछनीय व्यक्तियों तथा अतिचारियों को राष्ट्रीय जलमार्ग से हटाना;

(ट) बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखतों को जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(ठ) अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उसकी गणपूर्ति भी सम्मिलित है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ञ) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नियमों और विनियमों का राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना

41–इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

42—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान वैश्विक पटल पर अधिकांश राष्ट्र डी–कार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सतर्कतापूर्वक कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के तीव्र ह्रास, ईधन के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि और यानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यटन के साधन के दृष्टिगत अपेक्षाकृत सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन के रूप में जलमार्ग का अंगीकरण आवश्यक हो गया है।

उत्तर प्रदेश विभिन्न पवित्र नदियों एवं प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त स्थलों से समृद्ध राज्य है। राज्य के प्रमुख नदियों जैसे–गंगा, यमुना, सरयू इत्यादि में वर्षपर्यंत जल का निरन्तर प्रवाह बना रहता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17, सन् 2016) के अधीन 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–1 (प्रयागराज से हल्दिया तक) के अतिरिक्त, गंगा नदी पर दस अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित किए जाने के क्रम में राज्य स्तर पर अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक हो गया है। इस प्राधिकरण के गठन से, राज्य के भीतर जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन तथा नौ परिवहन में विकास, विनियमन एवं पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करते हुए राज्य में एक पृथक प्रशासनिक इकाई स्थापित हो जायेगी, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास हेतु तीव्र एवं समयबद्ध कार्यवाही सम्भव बनाएगी। जलमार्गों के विकास के माध्यम से उक्त प्राधिकरण का गठन नदियों की संवृद्धि एवं संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा। जलमार्गों के विकास से जल पर्यटन के दृष्टिगत नदियों के किनारे अवस्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी विकसित होंगे। जल परिवहन एवं जल पर्यटन में विकास तथा विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

दयाशंकर सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र।

1–उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 के अध्याय–5 के अधीन धारा 20 में फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण, धारा 21 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण दिए जाने, धारा 22 में प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियाँ, धारा 23 में निधि का गठन, धारा 24 में बजट, धारा 25 में निधियों का विनिधान, धारा 26 में प्राधिकरण के बैंकर्स, धारा 27 में लेखा का लेखा परीक्षा, धारा 28 में वार्षिक रिपोर्ट और धारा 29 में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी :–

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से समस्त राशियां, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

उक्त विधेयक के अधीन वसूल की गयी फीसों और प्रभारों को राज्य की लोक-लेखा निधि में जमा किया जायेगा।

2–उक्त विधेयक के प्रभावी होने पर अवसंरचनात्मक संसाधन एवं जनशक्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार अवश्य आएगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

दयाशंकर सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

———

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 में किए जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 में किए जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रवृत्त होने का दिनांक नियत करने की शक्ति और अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन करने की शक्ति दी जा रही है।
17	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, विभिन्न् विभागों में निहित अन्तर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन की शक्ति प्राधिकरण में निहित करने की शक्ति दी जा रही है।
38	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति दी जा रही है।
39	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

1	2
40	इसके द्वारा प्राधिकरण को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमावली बनाने की शक्ति दी जा रही है।
42(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाले कठिनाई को दूर करने के लिए अधिनियम के उपबंधों से असंगत उपबंध करने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

दयाशंकर सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1179/XC-S-1–23-14S-2023

Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Antardesheeya Jalmarg Pradhikaran Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY BILL, 2023

A

BILL

to provide for the constitution of an Inland Waterways Authority in the State of Uttar Pradesh for the regulation and development of Inland Waterways for the purposes of safe, efficient, reliable and environment friendly inland water transport and tourism by way of river side communities' development, first and last mile connectivity to help modal shift, logistics policy as well as shipping and navigation, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023. Short title, extent and commencement

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that different dates may be notified for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "appurtenant land" means all lands appurtenant to a national waterway or state waterway, whether demarcated or not;

(ii) "Authority" means Uttar Pradesh Inland Waterways Authority constituted under this Act;

(iii) "berth" means facility such as wharf, jetty *etc*. for berthing the vessel/ship alongside inland water;

(iv) "cargo" includes anything except living persons carried or to be carried in the vessel;

(v) "cargo vessel" means a vessel which is not a passenger vessel;

(vi) "Central Government" means the Government of India;

(vii) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(viii) "conservancy" includes dredging, training, closure, diversion or abandoning channels;

(ix) "conservancy measures" means measures for the purposes of conservancy but does not include measures for protection of banks against floods or for restricting banks which have become eroded mainly on account of regions not connected with shipping and navigation;

(x) "ferry" means a vessel providing passenger transport services or combined passenger and goods transport services across or along inland waterways within the State of Uttar Pradesh;

(xi) "goods" includes livestock and anything carried by a vessel except living persons;

(xii) "infrastructure" includes structures such as docks, wharves, jetties, landing stages, locks, bouys, inland ports, cargo handling equipment, road and rail access and cargo storage spaces, and the expression "infrastructural facilities" shall be construed accordingly;

(xiii) "inland waters", for the purpose of inland navigation, includes rivers, canals, streams, lakes and other navigable water bodies within the territorial jurisdiction of Uttar Pradesh which may be declared as such by notification in the official *Gazette* by the State Government;

(xiv) "inland waterway" means national as well as State waterway;

(xv) "jetty" means artificial structure into the inland water enabling the passage of passengers and cargoes to and from the vessel;

(xvi) "manufacturer" means a person engaged in the manufacturing of vessels or any part or equipment thereof;

(xvii) "member" means a member of the Authority appointed under sub-section (4) of section 3 and includes the Chairperson and the Vice Chairperson of the Authority.

(xviii) "national waterway" means the Inland Waterway declared to be a national waterway under the National Waterways Act, 2016 (Act no. 17 of 2016);

(xix) "navigable channel" means a channel navigable during the whole or a part of the year;

(xx) "passenger" means any person carried on a vessel except persons employed or engaged in any capacity on board of the vessel in connection with the business of the vessel;

(xxi) "passenger vessel" means a vessel used or adapted to be used for the carriage of passengers for hire or reward;

(xxii) "port" shall have the same meaning as defined in the Indian Ports Act, 1908 (Act no. 15 of 1908);

(xxiii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(xxiv) "regulations" means regulations made by the Authority under this Act;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(xxv) "rules" means rules made by the State Government under this Act;

(xxvi) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(xxvii) "State Legislature" means the Legislature of Uttar Pradesh;

(xxviii) "State waterway" means the inland waterway within the territorial jurisdiction of Government of Uttar Pradesh which may be declared as such, by notification in the official *Gazette*, by the State Government;

(xxix) "wharf" means a construction on the banks of inland water for berthing of a ship/vessel;

(2) Words and expressions used in the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (Act no. 82 of 1985) and the Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021) and the Central rules made thereunder, and not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the aforesaid Acts and rules.

CHAPTER II

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY

Constitution of the Authority

3. (1) The State Government shall by notification in the Official *Gazette*, constitute for the purpose of this Act, an Authority to be called "The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority".

(2) The said Authority shall exercise such powers and discharge such functions as assigned to it under this Act and the rules made thereunder.

(3) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(4) The Authority shall consist of the following, namely:-

(i) Either the Minister of Transport, Uttar Pradesh or an expert from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping and navigation, ports, maritime affairs or in matters connected therewith as may be nominated or appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh- Chairperson;

(ii) A person appointed by the State Government from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping and navigation, ports, maritime affairs or in matters connected therewith-Vice-Chairperson;

(iii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Finance-Member (*ex-officio*) ;

(iv) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the, Public Works Department (PWD) - Member (*ex-officio*) ;

(v) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Transport - Member (*ex-officio*) ;

(vi) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Irrigation and Water Resources - Member (*ex-officio*) ;

(vii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Tourism and Culture- Member (*ex-officio*) ;

(viii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Forest and Environment -Member (*ex-officio*) ;

(ix) A representative of Inland Waterways Authority of India (IWAI) nominated by the Chairman of IWAI - Member;

(x) Transport Commissioner, Uttar Pradesh - Chief Executive Officer (CEO) *ex-officio*.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Office of the Authority

4. (1) The headquarters of the Authority shall be at Lucknow.

(2) The Authority may, with prior approval of the State Government, establish sub-offices and citizen facilitation centers at such other places, as may be considered necessary.

Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson (VC)

5. (1) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson (VC) of the Authority shall be a whole time officer of the Authority.

(2) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall hold office for such term as may be prescribed but the same shall not be exceeding 5 years. The term of office of Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) may be renewed by the Chief Minister of Uttar Pradesh and that of Vice-Chairperson may be renewed by the State Government for such further period as specified in the notification issued in this regard.

(3) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be entitled to receive, from the funds of the Authority, such salaries and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be determined by a general or special order of the State Government in this behalf.

Disqualifications for appointment as Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson

6. A person shall be disqualified for being appointed as the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, if he –

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a company owned or controlled by the Government; or

(e) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.

Resignation and removal of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson

7. (1) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson may, by notice in writing under their own hand addressed to the Governor of the State of Uttar Pradesh, resign from his office.

(2) Notwithstanding anything in section 5, the Chief Minister of Uttar Pradesh or the State Government, as the case may be, may, by order, remove from the Authority the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson who in his/its opinion -

(a) refuses to act; or

(b) has become incapable to act; or

(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or

(d) is otherwise unsuitable to continue as a member.

(3) The State Government may suspend the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, pending an inquiry against him.

(4) In case of removal, the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be given an opportunity of being heard in the matter and when such an order of removal has been passed, the seat of the the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be declared vacant.

(5) A Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson who has been removed under this section shall not be eligible for re-appointment in any capacity under the Authority.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Powers of Chairperson and Vice-Chairperson

8. (1) The Chairperson of the Authority shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and discharge such powers and duties of the Authority as may be delegated to him by the Authority and such other powers and duties as may be prescribed.

(2) The Vice-Chairperson of the Authority shall exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairperson as may be prescribed or as may be delegated to him by the Authority.

Administrative Branches, Officers and other employees of the Authority

9. (1) The Authority shall have the following administrative branches for the discharge of its functions under this Act:-

(a) Technical Branch (includes marine and nautical, civil, mechanical, hydrographic survey, cartography, Information Technology, etc.

(b) Inland Water Transport and Traffic and Logistics as well as Training and Research & Development (R&D) Branch;

(c) General Administration and Finance Branch;

(d) any other branch which may be created by the Authority with the prior approval of the State Government.

(2) The head of every branch mentioned in the sub-section (1) will be designated as Director, who will be either appointed by the State Government from amongst persons, including serving/retired Government servants, having academic qualifications, experience and expertise in the related subjects, or may be taken from other Departments or Public Sector Undertakings of the Government of Uttar Pradesh on deputation basis.

(3) The State Government shall appoint the Secretary of the Authority from amongst the officers of Transport Department of the Government of Uttar Pradesh holding the rank of Additional Transport Commissioner. The terms and conditions of service of the Secretary shall be determined by the State Government.

(4) The Authority may appoint other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(5) Salary and allowances payable to and the other conditions of the service of the officers and employees of the Authority appointed under this Act, shall be such as may be prescribed.

(6) The salaries and allowances of Secretary, Director(s) and all other officers and employees of the Authority shall be drawn from the funds of the Authority.

Meetings

10. (1) The Authority shall have its meetings at such time as the Chairperson may direct, but the meetings of the Authority shall be held at least once every quarter of a calendar year.

(2) The Authority shall meet at such places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, as may be provided by regulations.

(3) The Chairperson or in his absence, the Vice Chairperson, or in the absence of both, the senior most member of the Authority shall preside over the meeting.

Authority to act on business principles

11. In the discharge of its functions under this Act, the Authority shall act, so far as may be, on business principles.

Advisory Committee and empanelment of experts

12.(1) Subject to any rules made in this behalf, the Authority may from time to time constitute such Advisory Committees as may be necessary for the efficient discharge of its functions.

(2) An Advisory Committee may consist of such number of persons having qualifications and experiences related to shipping and navigation and allied aspects, as the Authority may deem fit.

(3) The Authority may also empanel any subject expert(s) for the efficient discharge of its functions as and when required.

Vacancy, *etc.*, not to invalidate the proceedings of the Authority

13. No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of-

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or

(c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Powers and functions of the Authority

14. (1) The Authority may,-

(a) act as a Nodal Authority for the purpose of implementation of the provisions, related to State Government, in the Inland Vessels Act, 2021 (Act no. 24 of 2021);

(b) co-operate and co-ordinate with the Inland Waterways Authority of India in relation to the discharging of powers, functions or duties conferred upon it under the Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021);

(c) regulate the activities of inland water transport and tourism, inland water port and terminal operation and services;

(d) regulate the construction or alteration of structures on, across or under the inland waterways;

(e) lay down standards for classification of inland waterways (other than national waterways);

(f) formulate and regulate tourist circuit route for river cruise operations;

(g) registrations and survey of inland vessels of all mechanised vessels and non-mechanised vessels;

(h) ensure compliance with prescribed safety and environmental laws/regulations for vessels, ports, terminals, navigation and other inland water transport and tourism activities;

(i) remove or alter any obstruction or impediment in the inland waterways and the appurtenant land which may impede the safe navigation or endanger the safety of infrastructural facilities or conservancy measures where such obstruction or impediment has been lawfully made or has become lawful by reason of long continuance of such obstruction or impediment or otherwise, after making compensation to person suffering damage by such removal or alteration;

(j) control activities such as throwing rubbish, dumping or removal of material, in or from the bed of the waterways and provide required reception facilities and refuelling ;

(k) determination and classification of catchment area of a river, lake and other water body within the territorial jurisdiction of Uttar Pradesh, and superintendence over and control of activities within the determined and defined catchment area;

(l) carry out conservancy measures for the safety and convenience of shipping and navigation and improvement of inland waterways;

(m) carry out hydrographic surveys and investigations for the development, maintenance and better utilization of inland waterways and publish river charts, providing navigation aids for day and night navigation including but not limited to radio communication;

(n) disseminate navigational meteorological information about inland waterways;

(o) ensure co-ordination of inland water transport on inland waterways with other modes of transport;

(p) establish and maintain pilotage on inland waterways that lie within the territory of Uttar Pradesh and in respect of which the Central Government has not specified anything;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(q) provide or permit any activity having relevance to shipping and navigation in the inland waters including setting up of infrastructural facilities, water tourism, dredging, river training, embankment, et-cetera on inland waterways;

(r) regulate constructions of inland waterway terminals, loading and unloading to/from terminals and vessel to vessel transhipment on inland waterway routes;

(s) power to fix maximum rates for passenger fares and freight of goods for mechanized and non-mechanized inland vessels within the territorial jurisdiction of the state of Uttar Pradesh;

(t) regulation of pontoon bridges;

(u) carry out analysis of inland water traffic data and prepare annual reports on the overall inland waterways development in the State of Uttar Pradesh, make projections for inland waterways traffic demand in Uttar Pradesh, and assist vessel/cargo/ferry operators to draw up their expansion plans;

(v) conduct and engage in scientific and applied research in matters relating to water transport and tourism, and shipping and navigation;

(w) cause to establish a training institute as well as arrange program of technical training within and outside India for the purpose of capacity building of inland waterways transport service provider, inland vessels masters and crew, stakeholders, including officers and employees of the Authority;

(x) advise the State Government on matters relating to inland waterways, water transport and tourism;

(y) perform any other related functions as assigned to it by the State Government;

(z) frame regulations and detailed guidelines and issue executive instructions for its proper functioning;

(aa) furnish all the reports required under the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained under sub-section (1), the Authority may also:-

(a) approve and implement environmental, economic, safety management and emergency plans;

(b) recommend to the State Government amendments to this Act;

(c) promote multi modal transport system for benefit of consumers and trade;

(d) promote public private partnerships, private participation and outsourcing for effective implementation of this Act;

(e) take all necessary steps for exercise of any power or discharge of any function which may be incidental to this Act;

(f) carry out any other function, duty and responsibility which may be entrusted to it by the State Government;

(g) lay down minimum standards of quality of service to be provided by the inland water transport operators, ferry service providers, inland water traffic service providers; and

(h) monitor and enforce the set performance standards relating to continuity, reliability and quality of service.

(3) Any dispute arising out of or concerning the compensation referred to in clause (i) of sub-section (1) shall be determined according to the law relating to like disputes in the case of land required for public purposes.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Authority to have same powers as visited in a civil Court

15. The Authority shall, while discharging its functions under this Act, have the same powers as are vested in a civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(i) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;

(ii) requiring the discovery and inspection of documents;

(iii) receiving evidence on affidavit; and

(iv) requisitioning any public record or copies thereof from any Court or office:

Transparency and good governance

16. The Authority shall ensure good governance, transparency and fairness while exercising its powers, functions and duties as enshrined under this Act by engaging in due consultations with all stakeholders and making all its decisions fully documented and available for public information.

CHAPTER IV

PROPERTY AND CONTRACTS

Transfer of assets and liabilities of the State Government to the Authority

17. (1) As from such day as the State Government may, appoint by notification in the Official *Gazette*, —

(a) all properties and other assets related or connected to inland waterways and water transport, water tourism and shipping vested in various departments of the State Government, immediately before such day, shall vest in the Authority;

(b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with, or for the State Government immediately before such day for or in connection with the purposes of inland waterways and water transport, water tourism and shipping shall be deemed to have been incurred; entered into and engaged to be done by, with, or for the Authority;

(c) all non-recurring expenditure incurred by the State Government for or in connection with the purposes of inland waterways and water transport, water tourism and shipping up to such day and declared to be capital expenditure by the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government, be treated as capital provided by the State Government to the Authority;

(d) all sums of money due to the State Government in relation to inland waterways and water transport, water tourism and shipping immediately before such day shall be deemed to be due to the Authority;

(e) all suits and other legal proceedings with respect to any matter in relation to inland waterways and water transport, water tourism and shipping which having been instituted by or against the State Government and are pending, or which could have been so instituted, immediately before such date shall on and after such date be continued or instituted by or against the Authority.

(2) The Authority shall have the power to take employees from other Departments of Government of Uttar Pradesh / State Public Sector Undertakings / autonomous bodies on deputation basis or appoint regular employees or contract employees on its own as per procedure followed by the Government:

Provided that during the period of deputation of any such employee with the Authority, the Authority shall pay to the State Government or concerned Department in respect of every such employee, such contribution towards his leave salary, pension and gratuity as may be prescribed by the State Government:

Provided further that any such employee who has, in respect of the proposal of the Authority to absorb him in its regular service, intimated, within such time as may be specified in this behalf by the Authority, his intention of becoming a regular employee of the Authority, shall be absorbed by the Authority in its regular service.

(3) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the State Government have been transferred to the Authority or as to which of the employees serving under the State Government are to be treated to be on

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

deputation with the Authority under this section, such dispute or doubt shall be decided by the State Government in consultation with the Authority and the decision of the State Government thereon shall be final.

(4) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, the absorption of any employee by the Authority in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or other law and no such claim shall be entertained by any Court, Tribunal or other Authority.

Contracts by the Authority

18. Subject to the provisions of this Act, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act.

Mode of executing contracts on behalf of the Authority

19. (1) Every contract shall, on behalf of the Authority, be made by the Chairperson or such other member or such officer of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts or class of contracts as may be specified in the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority:

Provided that no contract exceeding such value or amount as the State Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the Authority:

Provided further that no contract for the acquisition or sale of immovable property or for the lease of any such property for a term exceeding thirty years and no other contract exceeding such value or amount as the State Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be specified in the regulations.

(3) No contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the regulations made thereunder shall be binding on the Authority.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

Levy and collection of fees and charges

20. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, levy fees and charges at such rates for services or benefits rendered in relation to the use of the inland waterways for the purposes of shipping, navigation, infrastructural facilities, including facilities for passengers and facilities relating to the berthing of vessels, handling of cargoes and storage of cargoes.

(2) The fees and charges levied under sub-section (1) shall be collected in such manner as may be determined by the Authority.

Grants and loans by the State Government

21. The State Government may, after due appropriation made by State Legislature by law in this behalf, make to the Authority grants and loans of such sums of money as it may consider necessary.

Borrowing powers of the Authority

22. The Authority may, in such manner and subject to approval of the State Government, obtain loans from any scheduled commercial bank or borrow money from any source by the issue of bonds, debentures or other instruments as it may think fit for discharge of all or any of its functions under this Act.

Constitution of the Fund

23. (1) There shall be constituted a Fund to be called "the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund" and there shall be credited thereto,—

(a) any grants and loans made to the Authority by the Central and State Government;

(b) all fees and charges received by the Authority under this Act and under Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021) ;

(c) any sum received by the Authority under any scheme of Central and State Government related to inland waterways;

(d) any sum received by the Authority under any specific project of Central

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

and State Government related to inland waterways;

(e) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the State Government.

(2) The Fund shall be applied for meeting,—

(a) salary, allowances and other remuneration of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, Secretary and all other officers and employees of the Authority;

(b) expenses of the Authority in the discharge of its functions under this Act; and

(c) expenses of the Authority in establishing its head office and other sub-offices, either through new construction or hiring on rent.

Budget

24. The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the State Government.

Investment of funds

25. The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the State and Central Government or in such other manner as may be prescribed.

Bankers of the Authority

26. The Bankers of the Authority shall be any Scheduled Commercial Bank within the meaning of Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no. 2 of 1934), as may be determined by the Authority.

Accounts and audit

27. The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountants General of Uttar Pradesh, be prescribed and the Authority shall furnish, to the State Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditors' report thereon.

Annual Report

28. The Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the State Government.

Annual report and auditors' report to be laid before State Legislature

29. The State Government shall cause the annual report and auditors' report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of the State Legislature.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

Power of State Government to issue directions

30. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give in writing to it from time to time:

Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.

(2) The decision of the State Government as to whether a question is one of policy or not shall be final.

Compulsory acquisition of land for the Authority

31. Any land required by the Authority for discharging its functions under this Act shall be deemed to be needed for a public purpose and such land may be acquired for the Authority under the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) or of any other corresponding law for the time being in force.

Application, *etc.*, of certain laws

32. (1) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of the Indian Ports Act, 1908 (Act no.15 of 1908) and the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021) and in particular nothing in this Act shall affect any jurisdiction, functions, powers or duties required to be exercised, performed or discharged by the conservator of any port or by any officer or authority under the Indian Ports Act, 1908 (Act no.15 of 1908), or the Board of Trustees for any major port or by any officer or

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

authority under the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021), in or in relation to any portion of an inland waterway (including the national waterway) falling within the limits of such port or major port.

(2) Nothing in this Act shall affect the operation of the Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021) or any other Central Act (other than the Indian Ports Act, 1908 (Act no. 15 of 1908) and the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021) or any State Act in force immediately before the commencement of this Act with respect to shipping and navigation on any national waterway.

Power to enter

33. Subject to any rules made in this behalf, any person, generally or specially authorized by the Authority in this behalf, may, whenever it in necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises and, -

(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(b) take levels;

(c) dig or bore into sub-soil;

(d) set out boundaries and intended lines of work;

(e) mark such level boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) do such other acts or things as may be prescribed:

Provided that no such person shall enter any building or any enclosed court or garden attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

Delegation

34. The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson or Vice Chairperson or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order such of its powers and functions under this Act (except the powers to make regulations under this Act), as it may deem necessary.

Authentication of orders and other instruments of the Authority

35. All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or Vice- Chairperson or any other member authorized by the Authority in this behalf and all other instruments executed by the Authority shall be authenticated by the signature of an officer of the Authority authorized by the Authority in this behalf.

Members, officers and employees of the Authority to be public servants

36. All members, officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith

37. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer of the Government or any member, officer or employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Authority for any damage caused or likely to be caused by anything in good faith done or purported to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder, and in particular, it shall not be the responsibility of the Authority to provide for relief measures necessitated by floods or by breaches and failures of works.

Power of State Government to supersede the authority

38. (1) If, at any time, the State Government is of opinion, -

(a) that on account of a grave emergency, the Authority is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or

(b) that the Authority has persistently made default in complying with any direction issued by the State Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act and as a result of which default the financial position of the Authority or the

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

administration of any inland waterway has deteriorated; or

(c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do;

then the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, supersede the Authority for such period, not exceeding six months, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this Act for the reasons mentioned in this Act, the State Government shall give a reasonable opportunity to the Authority to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objection, if any, of the Authority.

(2) Upon the publication of a notification under this Act superseding the Authority, -

(a) all the members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;

(b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall, until the Authority is reconstituted under this Act, be exercised and discharged by such person or persons as the State Government may direct;

(c) all property owned or controlled by the Authority shall, until the Authority is reconstituted under this Act, vest in the State Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under this Act, the State Government may,—

(a) extend the period of supersession for such further term, not exceeding six months, as it may consider necessary; or

(b) reconstitute the Authority by fresh appointment and in such case any persons who vacated their offices under clause (a) of sub-section (2) shall not be deemed disqualified for appointment:

Provided that the State Government may, at any time before the expiration of the period of supersession, whether as originally specified under sub-section (1) or as extended under this sub-section, take action under clause (b) of this sub-section.

(4) The State Government shall cause the notification issued under sub-section (1) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before State Legislature at the earliest opportunity.

Power to make rules

39. (1) For the purposes of effective implementation of the provisions of this Act, the State Government shall, by notification in the Official *Gazette*, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) powers and duties of the Chairperson and Vice-Chairperson;

(b) the terms and conditions of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson and Secretary of the Authority under this Act;

(c) the matters with respect to the Advisory Committee and empanelment of subject experts referred to in this Act;

(d) the form in which, and the time at which, the Authority shall prepare its budget under this Act and its annual report under this Act;

(e) the manner in which the Authority may invest its funds under this Act;

(f) the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited under this Act;

(g) the conditions and restrictions with respect to exercise of the power to enter under this Act; and

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(h) any other matter which is required to be, or may be, prescribed under the provisions of this Act for the purpose of implementation and administration of such provisions.

Power to make regulations

40. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, by notification in the Official *Gazette*, make regulations, consistent with this Act and the rules made thereunder, generally to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner in which and the purposes for which, the Authority may associate with itself any person under this Act;

(b) the terms and conditions of service of the other officers and employees of the Authority under this Act;

(c) the contracts or class of contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority and the form and manner in which a contract may be made by the Authority;

(d) the manner in which, and the conditions subject to which, any functions in relation to the matters referred to in this Act may be performed;

(e) the rule of the road on inland waterways;

(f) the safe, efficient and convenient use, management and control of the infrastructures and infrastructural facilities;

(g) the reception, porterage, storage and removal of goods brought on a inland waterway, and the procedure to be followed for taking charge of goods which may have been damaged before landing, or may be alleged to have been so damaged;

(h) regulating, declaring and defining the docks, wharfs, jetties, landing stages on which goods shall be landed from vessels and shipped on board vessels;

(i) regulating the manner in which and the conditions under which the loading and unloading of vessels on a inland waterway shall be carried out;

(j) the exclusion from a inland waterway of disorderly or other undesirable persons and of trespassers;

(k) the terms and conditions for issue of bonds, debentures or other instruments;

(l) the time, place and the rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings including the quorum under this Act.

(3) Any regulation made under any of the clauses (c) to (j) of sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

Rules and regulations to be laid before State Legislature

41. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Power to remove difficulties

42. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the said difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, most of the countries on the global stage are facing the challenges of de-carbonization with a relatively more cautious approach. Due to serious environmental pollution resulting from rapid depletion of fossil fuels, gradual increase in the price of fuel and continuous increase in the number of vehicles, it has become necessary to adopt waterways, which is a relatively cheap and pollution free transport option, as a means of tourism.

Uttar Pradesh is a State enriched with different holy rivers and natural beautiful places. Continuous flow of water is maintained in main rivers of the State like Ganga, Yamuna, Sarayu, *etc*. throughout the year. It is noteworthy that the Government of India has declared 111 national waterways under the National Waterways Act, 2016 (Act no. 17 of 2016), in which apart from National Waterway No. 1 (from Prayagraj to Haldia) on the river Ganga, ten other national waterways are there in the State of Uttar Pradesh. In order to develop water transport and water tourism in the State of Uttar Pradesh, it has become necessary to form an Inland Waterways Authority at the State Level. With the formation of this Authority, a separate administrative unit will be established in the State ensuring development, regulation and environmental protection in water transport, water tourism and shipping and navigation in the State which will make it possible to take prompt and timely action for the development of inland waterways transport. Constitution of the said Authority will also ensure growth and conservation of rivers by the development of waterways. Religious and historical places situated at the banks of rivers will also be developed in view of water tourism by the development of waterways. Employment at larger scale will also be created by development and expansion in water transport and water tourism.

In the view of the above, it has been decided to constitute the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.

The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Bill, 2023 is introduced accordingly.

DAYASHANKAR SINGH
Rajya Mantri(Swatantra Prabhar),
Parivahan.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 815 राजपत्र–2023–(2313)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

815 RPH (water authority) (Sansadiya folder)- Data 8e

क्रम-संख्या–144(ज)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1306 / वि0स0 / संसदीय / 83(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय) चित्रकूट का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन तथा पुनर्गठन करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परिभाषाएँ

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(घ) ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) ''सामान्य परिषद'' का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद से है;

(छ) ''छात्र निवास'' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) '' दिव्यांगजन'' का तात्पर्य ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति से है;

(झ) ''जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान'' का तात्पर्य जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, 4—एफ, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में ''प्राचार्य'' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ कोई प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ढ) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) ''अध्यापक'' का तात्पर्य किसी आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या घटक महाविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिये नियुक्त किया जाये और इसमें किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(त) ''विश्वाविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवं निगमित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय से है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का निगमन

3—(1) ''उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001'' के अधीन स्थापित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वाद करेगा एवं वाद किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सामान्य परिषद, कार्य परिषद और विद्यापरिषद के प्रथम सदस्यों, और ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो आगे ऐसे अधिकारी या सदस्य होंगे, से ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक, विश्वविद्यालय का गठन होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट में होगा।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4—नियत दिन से ही,—

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का कोई निर्देश विश्वविद्यालय का निर्देश समझा जायेगा;

(ख) जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां, विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) नियत दिन के ठीक पूर्व जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तब तक धारण करेगा जो वह तब धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन एवं शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं की जाती;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के किसी निर्देश का, वह चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्देश क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के निर्देश हैं;

(च) उत्तर प्रदेश जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वनविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह तीन मास की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि कुलपति की नियुक्ति की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य

5—विश्वविद्यालय के निम्नालिखित उद्देश्य होंगे:—

(क) पारम्परिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पाठ्यक्रम सहित अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंन्दिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी/प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक एवं श्रवण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) आन्ति रोग (आटिजग) अव्यवस्थित पुंज (स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) पुनर्वासन थेरेपी, व्यावसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य/प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) सामान्य शिक्षा सहित दिव्यांगता तथा संबंधित बिन्दुओं पर नियमित शिक्षा पद्धति द्वारा विद्यार्जन तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा उसका प्रसार करना;

(ग) विशेष शिक्षा व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकास करके छात्रों एवं शोधार्थियों में दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना;

(घ) शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य छात्रों के साथ सुगम वातावरण में उच्च शिक्षा का उपबंध करना;

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना; और

(च) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या, अनुकूल हो।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6—विश्व विद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे,–

(क) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) दिव्यांगता से संबंधित ज्ञान या ज्ञानार्जन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, अनुदेशों का उपबंध करना और शोध के लिए तथा दिव्यांगता संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ग) दिव्यांगता तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में शोध प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(घ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(ङ) अतिरिक्त भित्ति चित्र संबंधी अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व ग्रहण करना;

(च) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्ही ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित एवं पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(छ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना;

(ज) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(झ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख–रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(ञ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(ट) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ठ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना;

(ड) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें;

(ढ) आचार्य पद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या शोध संबंधी पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;

(ण) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोध छात्रों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(त) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(थ) शोध और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;

(द) दिव्यांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में करार किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

(ध) अध्यापकों और विद्वानों का सामान्यतः ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हों, आदान–प्रदान करके विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वाविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;

(न) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना;

(प) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख–रखाव करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज–सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ब) किसी ऐसी भूमि या भवन या कर्मशाला को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या कर्मशाला का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख–रखाव करना;

(भ) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके आंशिक भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विक्रय करना, आदान–प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करनाः

परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा;

(म) भारत सरकार के और अन्य वचन–पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मिति काटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(य) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्रों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(र) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(ल) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(व) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(श) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, विनिधान करना और समय–समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(ष) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रसुविधार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान का सृजन करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के प्रसुविधार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(स) ऐसे समस्त अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलपति;

(घ) विभागाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

9–(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगेः

परन्तु यह कि राघवीयो जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य जीवन पर्यन्त कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा प्रदान की जायें।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियॉ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

कुलपति

10—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कुलाधिपति को भेजे जायें.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(क) एक सदस्य राज्य के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होगा।

(ख) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विख्यात दिव्यांग व्यक्ति होगा।

(ग) सामान्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य।

(3) पूर्वोक्तर समिति तीन नामों की संस्तुति करेगी।

(4) कुलाधिपति ऐसी समिति द्वारा संस्तुत तीन नामों में से एक को अपनी सहमति देगा/देगी।

(5) कुलपति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगाः

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग—पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जायें।

(7) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग—पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो राज्य सरकार किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं करता है, या क्रियान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा कुलपति को हटाने की संस्तुति कुलाधिपति को कर सकती है। कुलाधिपति कुलपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी जाँच के लम्बित या अनुध्यात रहने के दौरान राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक,—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (6) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट् व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कुलपति—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित अनुपालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठकों को आहूत करेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी।

(12) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकरण, जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, को आगामी बैठक में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

11–प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जायें। प्रति–कुलपति

12–विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किये जायें। विभागाध्यक्ष

13–(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे दिव्यांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करता हो। कुलसचिव

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिव–

(क) कार्य परिषद और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके प्रभार में सुपुर्द करे;

(ग) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक आहूत करने वाली समस्त नोटिसों को जारी करेगा;

(घ) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ङ) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की यथा शीघ्र जारी की जाने वाली कार्यसूची और बैठक आयोजित किये जाने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाधिपति को उपलब्ध करायेगा;

(छ) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति, न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक आहूत करेगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसका निदेश लेगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(झ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय–समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

14–(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसका वेतन और भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त किया जायेगा। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी–

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा–विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर कार्यपरिषद के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा अन्यथा उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श मांगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखाओं का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रूप में अनुरक्षित रखे जाते हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें;

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि वह उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अन्य अधिकारी

15—(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा से अध्यादेशों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—

(एक) सामान्य परिषद;

(दो) कार्यपरिषद;

(तीन) विद्या परिषद;

(चार) वित्त समिति; और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायें।

सामान्य परिषद

17— विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

एक—पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति जो सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग;

(तीन) आयुक्त,दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद या उसका नामनिर्देशिती;

(पाँच) विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सामान्य परिषद का सचिव होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

दो–नामनिर्दिष्ट सदस्य

(छः) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति;

(सात) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

18–(1) सामान्य परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अध्यधीन दो वर्ष होगी।

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्यागहृत कर लिया जायें।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जायें या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अर्न्तविष्ट हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जायें या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

(4) सामान्य परिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकृत करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।

सामान्य परिषद की शक्तियां

19–सामान्य परिषद की निम्नसलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थातः–

(एक)–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 7 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों;

(दो)–विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(तीन)–वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;

(चार)–अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(पाँच)–ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

सामान्य परिषद की बैठकें

20–(1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) अध्यक्ष सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार कृत कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्र जात को सामान्य परिषद के आगामी बैठक के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन–पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

कार्य परिषद

21—(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य—परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें प्रशासित करेगी।

कार्य परिषद का गठन

22—(1) कार्यपरिषद में निम्ननलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(एक)—कुलपति;

(दो)—निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(तीन)—निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार)—विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(पाँच)—कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्टि शिक्षा क्षेत्र के तीन प्रख्यात व्यक्ति;

(छः)—तीन सामाजिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(सात)—ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य।

(2) कुलपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुलसचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

23—(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य हो वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्यपरिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसका सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग—पत्र दे दे या विकृत चित्त का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाय, यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक पूर्वगामी उपधाराओं में उपबंधित रूप से कार्य परिषद की सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्य, स्वयं द्वारा कार्यपरिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु वे यथास्थिति पुनः नाम—निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग—पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग—पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम—निर्देशन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम—निर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम—निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कृत्य

24—धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

(एक) विद्या परिषद की संस्तुंतियों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की संस्तुतियों पर आचार्यों, उपाचार्यों प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्यों, पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के आवश्यक अन्य सदस्यों की समय—समय पर नियुक्ति करना;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारणा करना;

(चार) विश्वनविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय—समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिधान करना और समय—समय पर ऐसे विनिधानों में परिवर्तन करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना:

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश क्षुब्ध अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय–निर्णयन करना और उनका निराकरण करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमको की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय–समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाये।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

25–(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अन्यून पचास प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करेगी।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद की बैठकें

26–(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए उसके सदस्यों को अन्यून पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

27–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अध्यधीन कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या विश्वदविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जॉच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विद्या परिषद

28—विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन उसके पास नियंत्रण एवं सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समुनिदेशित किया जाय। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा ।

विद्या परिषद का गठन

29—(1) विद्या परिषद के निम्निलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात लोकप्रिय व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(चार) चक्रानुक्रम द्वारा प्रत्येक विभाग से एक आचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया गया हो;

(पाँच) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक—एक सदस्य विश्वविद्यालय के आचार्य और सह—आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसके पद या नियुक्ति पर न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग—पत्र दे दे या विकृत चिन्ता का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्धदोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार बैठकों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबिन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से जिस दिनांक को वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपना पद त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नाम—निर्दिष्ट या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग—पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग—पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम—निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

30—इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें नियत करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने—अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप—विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध का संवर्द्धन करना और ऐसे शोध पर समय—समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्ते नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनाँक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या संस्तुतिकृत पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना, जो परिनियमावली द्वारा समय–समय पर विहित किये जाते हैं; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

विद्या परिषद की बैठक

31–(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो हो, बैठक करेगी।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से विद्या परिषद के किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

वित्त समिति

32–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा चक्रानुक्रम में नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला एक आचार्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) कुल सचिव;

(पांच) वित्त अधिकारी जो इसका सदस्य सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के नाम–निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थातः–

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण तथा उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों में संस्तुति करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से संस्तुतियाँ करना;

(तीन) कार्य परिषद को संस्तुतियँ करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय–समय पर विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था के संबंध में समीक्षा करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद या कुलपति के निदेश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद को अपना विचार देना और संस्तुति करना।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा संस्तुति न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अन्य प्राधिकरण

33–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का विधिमान्य न होना

34–(1) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगीः–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी सदस्य पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

परिनियम

35–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, परिनियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थातः–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी सम्मिलित है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा सुविधा, दो बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते/परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ञ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ट) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ उल्लिखित न हों, वही होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ड) प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, विद्यावृत्ति, वजीफा, पदक एवं पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ढ) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ण) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकते हैं।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

36—सामान्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी। परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

37—(1) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थातः— अध्यादेश

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्तर उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित हों या उपबंधित हों।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य परिषद द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरस्त या परिवर्द्धित किया जा सकता है।

38—विद्या परिषद कार्य परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी। अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

39—(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद से संस्तुति करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी। चयन समिति

(2) क—चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के समस्त—अध्यापन पदों और अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुलसचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के समस्त अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिए चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञः

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो तो कुलसचिव समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

40–(1) विश्वाविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगाः

''परन्तु यह कि ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा''।

अपील करने का अधिकार

41– विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध कार्य परिषद को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है।

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

42–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद

43–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्ति किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो उक्त मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

44–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकरण का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना

45–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के मध्य से किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, नियुक्त किया गया हो, और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

अस्थायी उपबंन्ध

46–(1) इस अधिनियम और परिनियमावली में अन्तर्विष्ट में किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति और ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो उचित समझी जाए। कुलपति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा तब तक इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले मामलों में उस समय तक जब तक कि धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, जगद्‌गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के सुसंगत उपबंध लागू होंगे जहां तक वे इस अध्योदेश के उपबंधों से असंगत न हों।

स्थायी विन्यास निधि

47–(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि में ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, विनिधान करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से आहरित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय की निधि

48—(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे ''विश्वविद्यालय निधि'' कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियों, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियाँ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृतियों या अवसंरचनात्माक सुविधाओं की स्थापना के लिये, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता—ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ; और

(पांच) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ।

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, कार्य परिषद द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर उसके द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय—समय पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

49—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन—पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी।

(3) लेखाओं की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सामान्य परिषद द्वारा अपने वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद सामान्य परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वार्षिक रिपोर्ट

50—(1) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसी निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ सामान्य परिषद को उसकी आगामी बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अधिभार

51—(1) धारा 8 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

52—विश्वविद्यालय के कब्जाधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

क्षतिपूर्ति

53—विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेंगी और किसी क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अध्यादेश या तद्धीन बनायी गयी किसी परिनियमावली के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्पर्यित हो।

निदेश जारी करने की शक्ति

54—राज्य सरकार के पास समय—समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हों और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

संविदाओं का निष्पादन

55—विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेंगी जैसा कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो तो कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

कठिनाइयों का निराकरण

56—(1) राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 के विद्यमान उपबंधों से इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण के सम्बन्ध में, कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेशित कर सकती हैं कि इस अधिनियम के उपबंध उस अवधि के दौरान, जिसे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे अनुकूलनों, चाहे वे उपान्तारण, परिवर्द्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश को किसी परिषद में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

सम्पत्ति का अन्तरण

57—राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है।

प्रायोजित योजनायें

58—इस अधिनियम और परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अधिकरणों से निधियाँ प्राप्त करे तोः—

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती, प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान किया जाना

59—विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियाँ और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

मानद उपाधि

60—यदि विद्या परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्य संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना

61—(1) सामान्य परिषद कार्य परिषद की संस्तुति पर सामान्य् परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सामान्य परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्ट उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा कृत विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को ऐसे संकल्प की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलाधिपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की निरीक्षण और जँच करने की शक्ति

62—(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों, संस्थाओं या अनुरक्षित केन्द्रों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रिया—कलापों और वित्त से संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जाँच कराने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण कराने तथा कोई जाँच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा।

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को परामर्श देगी।

(4) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर कार्यवाही नहीं की जाती है, वहाँ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जायेंगे और विश्वविद्यालय को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023

63—(1) उत्तर प्रदेश जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) और उत्तर प्रदेश जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के अधीन कृत समस्त नियुक्तियाँ जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र, प्रदान किए गए विशेषाधिकार, या किए गए अन्य कार्य (स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण सहित) इस अध्यादेश के तत्स्थनी उपबंधों के अधीन बनाया गया, जारी किया गया, प्रदान किया गया या किया गया माना जाएगा और इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे इस अध्यादेश या परिनियमावली के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा अधिक्रमित न कर दिये जायें।

(3) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्‌गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

उद्देश्य और कारण

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षा संस्थान, चित्रकूट धाम द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) अधिनियमित किया गया है।

अपनी वृद्धावस्था और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विश्वविद्यालय संचालित करने में असमर्थता के कारण, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने राज्य सरकार से इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किये जाने का अनुरोध किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में निगमित एवं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार एवं कुलाधिपति राघवीयो जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य के मध्य सहमति पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त सहमति पत्र के आधार पर जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वियन करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पुरःस्थाथपित किया जाता है।

नरेन्द्र कश्यप,

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

———

<u>उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र</u>

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के खण्ड 3 द्वारा उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। उक्त विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित किये जाने पर शैक्षणिक वर्ग के 42 कार्मिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग के 67 कार्मिक, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं, के वेतन, भत्तों व अन्य आनुषांगिक व्यय हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग रू0 14.00 करोड़ का व्ययभार अनुमानित है।

नरेन्द्र कश्यप,

राज्यं मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्तर हैं

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
19(1)	इसमें सामान्य परिषद को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 7 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी जा रही है।
24(1)	इसके द्वारा कार्य परिषद को विद्या परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करने और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करने की शक्ति दी जा रही है।
24(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों के अवधारणा की शक्ति दी जा रही है।
25(1)	इसके द्वारा कार्य परिषद को परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था बनाने की शक्ति दी जा रही है।
30(10)	इसके द्वारा विद्या परिषद को परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने और उन्हें आयोजित करने की शक्ति दी जा रही है।
30(11)	इसके द्वारा विद्या परिषद को परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करने की शक्ति दी जा रही है।
36	इसके द्वारा सामान्य परिषद को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या परिनियमों का संशोधन या निरसन करने की शक्ति दी जा रही है।
56(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर अधिनियम के उपबन्धों की विसंगतियों को दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्तद प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

नरेन्द्र कश्यप,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1037/XC-1014(003)–8-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang Rajya Vishwavidyalaya Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH JAGADGURU RAMBHADRACHARYA DIVYANG STATE UNIVERSITY BILL, 2023

A

BILL

to upgrade and reconstitute the existing Jagadguru Rambhadracharya Divyang Vishwavidyalaya (Private University), Chitrakoot, established and administrated by the Jagadguru Rambhadracharya Divyang Shikshan Sansthan, as a State University in the State and to provide for matter connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "constituent college" means a college or institution maintained by the University;

(c) "employee" means an employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;

(d) "Executive Council" means the Executive Council of the University constituted under section 21;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.

(f) "General Council" means the General Council of the University constituted under section 17;

(g) "hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University, or a constituent college;

(h) "Person with disability" means a person as defined in "The Rights Of Persons With Disabilities Act, 2016;

(i) "Jagadguru Rambhadracharya Sansthan" means the Jagadguru Rambhadracharya Viklang Shikshan Sansthan, 4-F, Nawab Yusuf Road, Allahabad, a society registered with the Registrar of Societies, Uttar Pradesh under the Societies Registration Act, 1860;

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(j) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(k) "prescribed" means prescribed by the Statutes;

(l) "Principal" in relation to a constituent college means the head of the constituent college and includes where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;

(m) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 13;

(n) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and Ordinances of the University;

(o) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and includes the Principal of a constituent college;

(p) "University" means the Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University established and incorporated under section 3.

Incorporation of Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University

3. (1) The Jagadguru Rambhadracharya Divyang University established under the "Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001" shall be established as a body corporate by the name of Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University under this Act having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(2) The Chancellor, the first Vice-Chancellor and the first members of the General Council, the Executive Council and the Academic Council, and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, shall constitute the University.

(3) The headquarters of the University shall be at Chitrakoot.

Effect of Incorporation of the University

4. On and from the appointed day,—

(a) any reference to Jagadguru Rambhadracharya Divyang University in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;

(b) all properties, movable and immovable, of or belonging to the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University shall vest in the University;

(c) all rights and liabilities of the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University shall be transferred to, and be the rights and liabilities of, the University;

(d) every person employed by the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University immediately before the appointed day shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions as he would have held the same if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Statutes;

(e) any reference, by whatever form of words, to the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University in any law for the time being in force, or in any instrument or other document, shall be construed as a reference respectively to the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(f) the Vice-Chancellor of the University, appointed under the provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act 32 of 2001) shall be deemed to have been appointed as the Vice-Chancellor under this Act, and shall hold office for a period of three months or till such time the Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier.

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Objectives of the University

5. The objectives of the University shall be, -

(a) to facilitate and promote studies, research and extension work in the emerging areas including rehabilitation courses with focus on visual impairment, hearing impairment, mental retardation, rehabilitation engineering/technology, community based rehabilitations, rehabilitation psychology, speech and hearing, locomotors and cerebral palsy, autism spectrum disorder, rehabilitation therapy, vocational counseling and rehabilitation, social work/ administration *etc*. through conventional teaching system;

(b) to advance and disseminate learning and knowledge on disability and related issues, including general education by regular mode of education;

(c) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of disability by developing skills in regard to special education, vocational and general education;

(d) to empower physically challenged students and provide them higher education in an accessible environment along with other students;

(e) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and

(f) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

No power to affiliate any institution

6. The University may have constituent colleges but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

Powers and functions of the University

7. The powers and functions of the University shall be:-

(a) to administer and manage the University and such centers for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;

(b) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to disability, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of disability;

(c) to sponsor and undertake research in all aspects of disability and social development;

(d) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;

(e) to organise and undertake extra mural teaching and extension services;

(f) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(g) to confer honorary degree or other distinctions in such, manner as may be prescribed;

(h) to fix, demand and receive fees and other charges;

(i) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(j) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health;

(k) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;

(l) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;

(m) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(n) to institute professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and any other teaching, academic or research posts required by the University with the prior approval of the State Government;

(o) to appoint persons as professors, Associate professors, Assistant Professors or otherwise as teachers and research scholars of the University;

(p) to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;

(q) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(r) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in disability, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(t) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;

(u) to establish and maintain, within the premises of the University or elsewhere, such class rooms and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;

(v) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objectives for which the University is established;

(w) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain, any such building or works;

(x) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University:

Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government, prior approval of the State Government shall be necessary;

(y) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate Government promissory notes and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other, negotiable instruments;

(z) to execute conveyances transfer, re-conveyances, mortgages, leases, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with prior approval of the State Government;

(aa) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ab) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(ac) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities, and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;

(ad) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(ae) to constitute for the benefit' of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;

(af) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

Officers of the University

8. The following shall be the officers of the University:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-chancellor;

(d) the Head of Departments;

(e) the Registrar;

(f) the Finance Officer;

(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor

9. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor of the University:

Provided that Raghviyo Jagadguru Swami Rambhadracharya shall be the Chancellor for life.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(5) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and may delegate to any officer of the University such of his powers as he may consider necessary.

The Vice-Chancellor

10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from amongst persons whose names are sent to the Chancellor by the Committee constituted in accordance with provisions of sub -section (2) :

(2)The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members , namely:-

(a) One member shall be the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary in-charge of the Divyangjan Sashaktikaran Vibhag of the State.

(b) One member shall be renowned disable personality to be nominated by the State Government.

(c) One member to be nominated by the General Council.

(3) The aforesaid committee shall recommend three names.

(4) The Chancellor shall give his assent to one of the three names recommended by the such committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:

Provided further that the Vice - Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(6) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed.

(7) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund.

(8) The State Government may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chairperson of the General Council.

(9) If in the opinion of the General Council, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, it may, after making proper inquiry which shall be completed preferably within six months, recommend the removal of the Vice-Chancellor to the Chancellor by an order. The Chancellor may remove the Vice-Chancellor from the office.

(10) During the pendency or contemplation of any inquiry referred to in sub-section (9) the State Government may order that till further orders,-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (6) .

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

(11) The Vice-Chancellor shall,–

(a) ensure that the provisions of this Act and the Statutes are duly observed and shall have all powers as are necessary for that purpose ;

(b) subject to the specific and general directions of the Executive Council, the Vice-Chancellor shall exercise all powers of the Executive Council in the management and administration of the University;

(c) convene the meetings of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act ;

(d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the University.

(12) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any emergency has arisen, which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority concerned which in the ordinary course would have dealt with the matter.

The Pro-Vice-Chancellor

11. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Head of Departments

12. Head of Department shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

The Registrar

13. (1) The Registrar shall be a whole time officer of the University. He shall be appointed by the State Government from amongst the senior officers of the State having adequate experience in the field of disability and having high qualification.

(2) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council. Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall;-

(a) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice-Chancellor;

(b) be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(c) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council , the Finance Committee, the faculties, the Board of Studies and of any committee, appointed by the authorities of the University;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(d) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council , the Finance Committee, the faculty and any committee appointed by the authorities of the University;

(e) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council ;

(f) supply the Chancellor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting ;

(g) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Vice-Chancellor nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the University ;

(h) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose ;

(i) be directly responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his duties and functions ;

(j) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor under the provisions of this Act or the Statutes ;

(4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Vice-Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Registrar as he deems fit.

The Finance Officer

14. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by notification by the State Government and the salary and allowances thereof shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall;-

(a) present the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the University ;

(b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting ;

(c) ensure that no expenditure which is not authorized in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment) ;

(d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Act or Statutes;

(e) ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit ;

(f) ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed ;

(g) to exercise general supervision over the funds of the University ;

(h) advise in financial matter either *suo motu* or on his advice being sought;

(i) collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University ;

(j) ensure that the registers of buildings , lands items of furniture and equipments are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University ;

(k) probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault;

(l) perform such other duties in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason, the Vice-Chancellor may authorize any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Finance Officer as he deems fit.

(4) The Finance Officer shall have access to such records and documents and he may require the production of such records and documents and the furnishing of such information pertaining to affairs of the University as in his opinion shall be necessary for the discharge of his duties.

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

15. (1) Subject to the Statutes made for the purpose every other officer or employee of the University shall be appointed under written contract setting out the conditions of service as prescribed by the Statutes which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employee concerned. Other Officers

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned, or at the instance of the University be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the Ordinances.

16. The following shall be the authorities of the University:- The Authorities of the University

(i) the General Council;

(ii) the Executive Council;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Finance Committee; and

(v) such other authorities as may be prescribed.

17. There shall be a General Council of the University which shall consist of the following members, namely:- General Council

I. *Ex-officio* Members

(i) The Chancellor who shall be the Chairperson of the General Council;

(ii) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary in charge of the department of Divyangjan Sashaktikaran Vibhag or his nominee;

(iii) The Commissioner for persons with disabilities, Government of Uttar Pradesh;

(iv) The Chairperson, Rehabilitation Council of India or his nominee;

(v) The Vice-Chancellor of the University, who shall be the Secretary of the General Council.

II. Nominated Members

(vi) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be nominated by the State Government;

(vii) four persons of eminence to be nominated by the State Government;

18. (1) The term of the office of the nominated members of the General Council shall, subject to the provision of sub-section (2) and (3), be two years. Term of office of members of the General Council

(2) A nominated member of the General Council shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(3) A nominated member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairperson or acts against the interests of the University.

(4) A nominated member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairperson.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled by nomination, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

19. The General Council shall have the following powers, namely:- Powers of the General Council

(i) to exercise the powers and functions of the University referred to in section 7 except where such powers are given to some other authority or officer of the University under the provisions of this Act;

(ii) to review from time to time the broad policies, and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;

iii) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(iv) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members, and

(v) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Meetings of the General Council

20. (1) The General Council shall meet at least once in a year.

(2) The Chairperson shall preside over the meeting of the General Council and in his absence, any member duly authorized by the Chairperson shall preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairperson or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairperson may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council in the annual meeting.

The Executive Council

21.(1) The Executive Council shall be chief executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested in the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

Constitution of the Executive Council

22. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Director, Divyangjan Sashaktikaran Vibhag, Government of Uttar Pradesh;

(iii) The Director, Higher Education, Government of Uttar Pradesh;

(iv) The Registrar of the University;

(v) Three eminent persons in the field of education nominated by the Chancellor;

(vi) Three persons of social eminence nominated by the State Government;

(vii) Two whole time senior Professors of the University, by rotation according to seniority;

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council and the Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

Term of Office of member of the Executive Council

23. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A nominated member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or, if member other than, the Vice-Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the Chairperson of the Executive Council or acts against the interests of the University.

(3) Nominated members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council other than ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairperson of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority empowered to make such appointment or nomination and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

24. Without prejudice to the provisions of section (21), the Executive Council shall have the following powers and functions:- Powers and functions of the Executive Council

(i) to create teaching posts in the University and to determine the qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior approval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint from time to time, Professors, Associate Professors, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee constituted by statutes for the purpose;

(iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;

(iv) to manage and regulate the finances, accounts investments, property, business and all other administrative affairs of the University;

(v) to invest any money belonging to the University including any unapplied income in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University:

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party without the prior approval of the State Government;

(vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the Officers, the teachers, students and employees of the University who may**,** for any reason, feel aggrieved;

(x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(xi) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;

(xii) to make such statutes as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xiii) to delegate any of its powers except the powers to make statutes to any Officer or Authority either temporarily or permanently**;** and

(xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

25. (1) The Executive Council may, by statutes, provide for reservations of seats to the residents of the State of Uttar Pradesh and members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 in admission to the various courses. Reservation in admissions and appointment

(2) The Executive Council shall, by statutes, provide for not less than fifty percents seats reserved for persons with disabilities in admissions to the various courses.

(3) The provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the University.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Meetings of the Executive Council

26. (1) The Executive Council shall meet at least once in three months and not less than fifteen days notice shall be given to the members thereof for such meeting.

(2) The Chairperson of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One-third of the total number of members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairperson of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

Constitution of Standing Committee and appointment of *ad-hoc* committees by the Executive Council

27. (1) Subject to the provisions of this Act or the statutes made in this behalf the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint *ad-hoc* committees for such purposes and with such powers as it may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an *ad-hoc* committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

Academic Council

28. The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provision of this Act and the Statutes, have power of control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or assigned to it by this Act or the Statutes. It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Constitution of the Academic Council

29.(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

(ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the University nominated by the Chairperson in consultation with the General Council;

(iii) all the Heads of the Departments of the University;

(iv) one Professor for each Department nominated by the Vice-Chancellor by rotation to be;

(v) two members of the teaching staff, one each representing the Professor and the Associate Professor of the University.

(2) The term of the members other than *ex-officio* members shall be two year.

(3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.

(4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor or a member of faculty accepts full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without the leave of the Chairperson of the Academic Council.

(5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, the nominated members of the Academic Council shall relinquish their offices on the expiry of two years from the date on which they become member of the Academic Council but shall be eligible for re-nomination or re- appointment, as the case may be.

(6) A member, of the Academic Council other than an *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson of the Academic Council.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authorities to make the same.

Powers and duties of the Academic Council

30. Subject to the provisions of this Act or the statutes, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

(i) to report on any matter referred to or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organization of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to promote research within the University and to require, from time to time, report on such research;

(v) to consider proposals submitted by the faculties;

(vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the University;

(vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the University;

(viii) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;

(ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(X) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;

(xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor;

(xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by Statutes; and

(xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Act and the statutes.

Meeting of the Academic Council

31.(1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

(2) The Chairperson of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4). Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

The Finance Committee

32. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor who shall be the chairperson thereof;

(ii) one professor, by rotation, to be nominated by the General Council ;

(iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(iv) the Registrar;

(v) the Finance Officer who shall be its Member Secretary.

(2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of two years.

(3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:-

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice Chancellor.

(4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take decision thereon and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall return the proposal to the Finance Committee with the reason for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendations of the Finance Committee then the decision of the Executive Council shall be final.

Other Authorities

33. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Proceedings of Authorities of Bodies not invalid

34. (1) Notwithstanding that the General Council , the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the University is not duly constituted or there is a defect in its constitution or re - constitution at any time, no act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reasons of-

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof, or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member Provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially affected by such irregularity.

Statutes

35. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;

(b) the selection, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership, and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the powers and duties of the officers, teachers, staff/employees of the University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of teachers of the University, the maintenance by them of their annual academic progress, report the rules of conduct to be observed by them, and their emoluments and other conditions of service (including, provisions relating to voluntarily/compulsory retirement *etc.*);

(e) the recruitment (including minimum qualification, experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to voluntarily/compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(f) the constitution of pension, provident fund, gratuity, General Insurance Scheme (GIS), medical allowance, insurances, Leave Travel Concession, two children fee reimbursements, family pension, soft loans etc and other allowances/emoluments, establishment of insurance schemes for the benefit of officers, teachers, staff/employees of the University;

(g) the institution of degree, diplomas, post graduate diplomas and other academic distinctions;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and recognition of entities;

(k) the leave and other rules, if not stated here, of University shall be same as rules of U.P. Government;

(l) the establishment, abolition and recognition of halls and hostels maintained by the University;

(m) the institution of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals, enough financial prizes for research along with certificates, awards *etc*.;

(n) the holding of convocation;

(0) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Power to amend the Statutes

36. The General Council may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

Ordinances

37. (1) Subject to the provisions of this Act or the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

(c) the award of degrees and other academic distinctions:

(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;

(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;

(g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;

(h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;

(i) all other matters which by this Act, or the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinances so made be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

Power to amend Ordinances

38. The Academic Council may, with the approval of Executive Council, make new or additional Ordinances or amend or repeal the Ordinances, subject to the approval of the State Government

Selection Committee

39. (1) The Executive Council shall constitute a Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of teachers and other employees in the University.

(2) The selection committee shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee for all teaching posts and the non-teaching posts of Group' A' and Group 'B';

(ii) the Registrar shall be the Chairperson of the committee for all non-teaching posts of Group 'C' and Group 'D';

(iii) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(iv) (a) Where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council:

Provided that till the constitution of Academic Council and Executive Council the above referred experts shall be nominated by the Vice-Chancellor.

(b) Where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, the Registrar shall constitute the selection committee as per the Provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group "C" Posts (Outside the Preview of The Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002 as amended from time to time.

Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students

40. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of the Department, hostels and institutions of the University.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the University or a hostel or an institution, shall on the report of the Vice-Chancellor be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the student concerned a reasonable opportunity of being heard.

Right to appeal

41. Every employee or student of the University or of a constituent college shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Executive Council against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such college, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reserve the decision appealed against.

Provident and pension funds

42. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Disputes as to constitution of authorities and bodies of the University

43. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or any body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Constitution of committees

44. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of casual vacancies

45. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Transitional provisions

46. (1) Notwithstanding anything contained in this Act and the statutes the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government for three years in such manner and on such conditions as may be deemed fit. The Vice-Chancellor may, with the previous approval of the State Government and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the Statutes and for that purpose he may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the Statutes are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the statutes.

(2) Till such time as the first Ordinances are not made under sub-section (2) of section 37, in respect of the matters that are to be provided for by the Ordinances under or the Statutes under this Act, the relevant provisions of the Statutes and the Ordinances made immediately before the commencement of this Act under the provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act 32 of 2001) shall be applicable insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

47. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees five crores which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government, from time to time. Permanent endowment fund

(2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

48. (1) The University shall establish a Fund to be called the "University Fund" consisting of,- Fund of the University

(i) any contribution or grant or loan by the State Government and Central Government ;

(ii) the income of the University from all sources ;

(iii) the money received by the University by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or endowments and other grants, if any;

(iv) the money received by the University from the collaborating industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the industry, for establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University ; and

(v) the money received by the University in any other manner or from any other sources.

(2)The surplus fund of the University shall be deposited in Nationalised Banks or invested in such manner by the Executive Council on the recommendation of the Finance Committee or as per instructions of the State Government from time to time in that behalf .

(3) The Fund of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

49. (1) The Annual Accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council. Maintenance of the fund

(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the Director, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.

(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government.

(4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the General Council at it's next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking actions.

50. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the Statutes , the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council. Annual report

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

51. (1) An officer specified in section 8 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct. Surcharge

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Mode of proof of University record

52. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University, or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.

Indemnity

53. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any statutes.

Power to issue directions

54. The State Government shall have the powers to issue direction from time to time as may required for compliance of the provision of this Act and the Statutes made thereunder and any other law for the time being in force and the University shall be bound to comply with such directions.

Execution of contracts

55. All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed as made by the Executive Council , and shall be contracts executed by the Vice-Chancellor where the value of the contracts is above ten lakh rupees and by the Registrar, where its value does not exceed ten lakh rupees.

Removal of difficulties

56.(1) The State Government may for the purpose of removing difficulties particularly in relation to the transition from the existing provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 to the provisions of this Act, by order published in *Gazette*, may direct that this Act shall, during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any council on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Transfer of Property

57. The State Government may transfer to the University buildings, lands and any other property whether movable or immovable for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purposes of this Act.

Sponsored schemes

58. Whenever the University receives funds, from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act and Statutes,

(a) the amount so received shall be kept by the University separately from the Fund of the University and utilized only for the purposes of the scheme ; and

(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

Grant of degree, diploma *etc*. by the University

59. The University shall have power to grant Degrees, Diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Honorary Degree

60. If not less than two - third of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Withdrawal of a Degree or a Diploma

61. (1) The General Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two - third of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law, for an offence , which in the opinion of the General Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross - misconduct.

(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

State Cogernment's power of Inspection and inquiry

62. (1) The State Government shall have the power to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, libraries, laboratories, museum, workshop, and equipments, institution or centre maintained and also of the teaching, and other works conducted by the University and of the conduct of examination held by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration, academic affairs and finances of the University.

(2) The State Government shall in every matter referred to in sub-section (1) give notice to the University of its intention to cause an inspection or an inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented thereat.

(3) The State Government shall communicate to the University its views with reference to results of such inspection or inquiry and advise the University for the action to be taken in the matter.

(4) Where the University does not, within the reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may issue such directions to the University as it thinks fit and the University shall comply with such directions.

Repeal and savings

U.P. Act no. 32 of 2001 U.P. Ordinance no. 13 of 2023

63. (1) The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (Act no. 32 of 2001) and the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Ordinance, 2023 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal all appointment made, orders issued, degrees and other academic distinctions conferred, diplomas and certificates awarded, privileges granted, or other things done (including the registration of graduates) under the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, awarded, granted or done under the corresponding provisions of this Ordinance and, except as otherwise provided by this Ordinance or the Statutes, continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Ordinance or the Statutes.

(3) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken. Under the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Ordinance, 2023 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) has been enacted to establish and incorporate a University sponsored by Jagadguru Rambhadracharya Divyang Siksha Sansthan, Chitrakoot Dham in the State.

Due to his inability to operate the University owing to his old age and limited financial resources, the Chancellor of Jagadguru Rambhadracharya Divyang University requested the State Government to incorporate it as a State University.

In view of the above, the memorandum of understanding between the State Government and the Chancellor Raghviyo Jagadguru Swami Rambhadracharya to incorporate and establish the aforesaid University as a State University was approved by the Cabinet on 31.01.2023. On the basis of the said memorandum of Understanding, it was decided to establish Jagadguru Rambhadracharya Divyang Vishwavidyalaya as a State University.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang Vishwavidyalaya Ordinance, 2023 (Uttar Pradesh Ordinance no. 13 of 2023) was promulgated by the Governor on July 18, 2023.

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Bill 2023 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NARENDRA KASHYAP
Rajya Mantri (*Swatantra Prabhar*).

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 500 राजपत्र–2023–(1630)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

500 RPH (Ram Bhadracharya univercity) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—144(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1278/वि0स0/संसदीय/76(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9–क का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से आरक्षित तथा आवंटित किये जाएंगेः–

(1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन

(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए इसमें उपबंधित रीति से पृथक–पृथक किया जाएगा।

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसाकि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अनुपात अथवा राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो यदि वह आधा हो या भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की जाने वाली पदों की संख्या होगी।

(दो) पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसा कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो उसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगीः

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में कुल पद संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(तीन) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु पद संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और यदि ऐसी पद संख्याओं का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(चार) महिलाओं हेतु मद (तीन) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल पदों की संख्या के एक–तिहाई से कम नही होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

स्पष्टीकरण-एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द ''राज्य का नगरीय क्षेत्र'' का तात्पर्य यथास्थिति समस्त नगरपालिका परिषदों अथवा समस्त नगर पंचायतों के नगरीय क्षेत्र से हैं और वे उनमें सम्मिलित हुये समझे जायेंगे।

(ग) राज्य की नगरपालिका परिषदों के संबंध में :–

(एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगाः

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक होः

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जनजातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसाकि उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार होः

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो :

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित पिछड़े वर्गों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

आवंटन उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो :

परन्तु यह भी कि मण्डलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदों के लिए उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में विभिन्न नगरपालिका परिषदों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि —

(एक) किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदें, उक्त मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात् इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गईं नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के मद (चार) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद(एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि मण्डल में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम नगर पालिका परिषद के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगी ;

(ङ) राज्य की नगर पंचायतों के संबंध में:–

(एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार होः

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक होः

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जनजातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगाः

परन्तु यह और भी कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक होः

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा, और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित पिछड़े वर्गो के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

कि किसी जिला में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार होः

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगाः

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछडे वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक होः

परन्तु यह भी कि जिलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा ; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(च) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन किसी जिला की नगर पंचायतों के लिए उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन जिला में विभिन्न नगर पंचायतों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि–

(एक) किसी जिला की नगर पंचायतें, उक्त जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ड़) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गईं नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ङ) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ङ) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत होः

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (ड़) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के, मद (चार) में

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अवधारित पदों की संख्या का आवंटन जिला में ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा :

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि जिला में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम नगर पंचायत के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें, जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगीः

(छ) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर–

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये या पिछड़े वर्गों के लिये केवल एक पद आरक्षित किया जा सकता है, तो ऐसा पद महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकेगा, तो उपखण्ड (घ) या (च) में निर्दिष्ट पद आवंटन आदेश का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानों यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों हेतु इसमें कोई निर्देश न हो।

(ज) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, अथवा महिलाओं हेतु किसी निर्वाचन में आवंटित यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों वाले मण्डल/जिले, अगले अनुवर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नही किये जायेंगे और यथास्थिति किसी मण्डल या जिलों में नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए पद अनुवर्ती निर्वाचनों में क्रमशः उपखण्ड (घ) और (च) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–**एक**–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द ''कोई निर्वाचन'' और ''अनुवर्ती निर्वाचन'' उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न हुये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण–**दो**– किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात ''कोई निर्वाचन'' नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, धारा 7 की उपधारा (5) में :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

(क) खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में, मद (दो) के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(तीन) महिलाओं हेतु मद (दो) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुये राज्य में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी ;''

(ख) खण्ड 1 का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा,

(ग) खण्ड 1 के उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

''(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन राज्य के नगर निगमों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौरों के पदों की संख्या का आवंटन राज्य के विभिन्न नगर निगमों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि–

(एक) राज्य के नगर निगम प्रथमतः राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये आंवटित किये जायेंगे ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और मद (दो) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसे नगर निगमों के लिए किया जायेगा, जिनकी राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन राज्य में ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, उस रीति से अवरोही क्रम में रखे जायेंगे कि राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाले नगर निगम प्रथम स्थान पर रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाले नगर निगम, प्रथम नगर निगम के पश्चात् अगले स्थान पर रखे जायेंगे तथा इसी प्रकार से आगे रखे जायेंगे और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– दो– एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द ''राज्य के नगरीय क्षेत्र'' का तात्पर्य समस्त नगर निगमों के नगरीय क्षेत्रों से है और उनमें वे सम्मिलित हैं।''

(घ) खण्ड 1 के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आवंटित किये गये नगर निगमों के महापौर के पद

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नहीं किये जायेंगे और राज्य में नगर निगमों के महापौरों के पद अनुवर्ती निर्वाचनों में उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—एक—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्व निर्वाचन'' और ''अनुवर्ती निर्वाचन'' उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न किये गये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—दो—किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात ''पूर्व निर्वाचन'' के रूप में नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।''

अध्याय—चार

निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और व्यावृत्ति

4 (1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

नगर पालिकाओं से संबंधित विधि को समेमित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश कतिपय नगरों के लिए नगर निगम की स्थापना का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2017 में राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराये गये थे। तत्समय 653 नगर निकाय अस्तित्व में थे, जिसमें 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद तथा 438 नगर पंचायत सम्मिलित थीं। वर्ष 2019 एवं वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा नये नगर निकायों का सृजन किया गया तथा कतिपय निकायों को विलीन एवं उन्नत किया गया जिसके फलस्वरूप वर्तमान में कुल 762 नगरीय निकाय हैं जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद् तथा 545 नगर पंचायत सम्मिलित हैं। सामान्य निर्वाचन वर्ष 2017 में निर्वाचित नगर निकाय के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राज्य के समस्त नगर निकायों का सामान्य निर्वाचन यथाशीघ्र कराये जाने की सांविधानिक बाध्यता थी।

रिट याचिका संख्या 356/1994, के0 कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ; रिट याचिका संख्या 980/2019, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और रिट याचिका संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों में यथा प्रदत्त आदेश के क्रम में आरक्षण के प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की विवक्षा और समसामयिक कठोर, अनुभवजन्य प्रकृति की जाँच द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 4032/9—1—2022—6—निर्वा—22, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग'' का गठन किया। समर्पित आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्य की नगरीय स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

करने के लिए आरक्षण के अवधारण की प्रक्रिया में परिवर्तन करने की सिफारिश की थी ताकि आरक्षण राज्य के प्रत्येक जिले और मंडल में समान रूप से वितरित किया जा सके।

आयोग की सिफारिशों एवं सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं में आवश्यक परिवर्तन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 2023) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

ए० के० शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियमों की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916

धारा 9–क (5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद निम्नलिखित बतायी गयी रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जायेगा :–

(1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन–(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण एवं आवंटन एतस्मिनपश्चात् उपबन्धित रीति से नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पृथक रूप से किया जायेगा;

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–

(i) अनसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्त निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के ओश से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ii) उपधारा (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जैसा विषय हो पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और यदि उस संख्या में पदों का अवधारण करने में शेष रह जाता है तो भागफल को एक से बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार पहुंची गयी संख्या, जैसा विषय हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए उतनी संख्या में पदों को आरक्षित किया जायेगा;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ग) राज्य के सभी नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों को ऐसे क्रम संख्या में क्रमबद्ध किया जायेगा कि नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायतों जिनमें राज्य में अनुसूचति जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, को क्रम संख्या 1 पर रखा जायेगा और उनसे कम अनूसूचति जातियों की जनसंख्या रखने वाले नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को क्रम संख्या 2 पर रखा जायेगा और शेष को उसी प्रकार से क्रमशः उत्तरोत्तर स्थान पर रखा जायेगा;

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (ii) के अध्यधीन राज्य के नगरपालिका परिषदों अथवा नगर पंचायतों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या राज्य में भिन्न नगरपालिका परिषदों अथवा जैसा विषय हो नगर पंचायतों को ऐसी रीति से आवंटित किया जायेगा कि,—

(i) अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत अनुसूचित जातियों के पदो के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन आगे क्रम संख्या 1 पर रखे गये नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत को आवंटित की जायेगीः

परन्तु यह कि उस नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायतों को पहले अनुसूचित जातियों की स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा ;

(ii) अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत अनुसूचित जनजातियों के पदो के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (i) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार अनुसूचित जनजातियों को आवंटित की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसे नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों को पहले आवंटित किये जाएंगे ;

(iii) पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत पिछड़े वर्गों के पदो के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (ii) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार पिछड़े वर्गों को आवंटित की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसे नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी ;

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को छोड़कर उपखण्ड (ख) के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (iii) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार स्त्रियों को आवंटित की जायेगी।

(ङ) यदि किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर,—

(i) अनुसूचित जातियों के लिए अथवा जेसा विषय हो अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सकता था तो वह पद स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा;

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई पद आरक्षित न किया जा सकता हो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदो के आवंटन के क्रम का उसी प्रकार से दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा मानों अनुसूचित जातियों के लिए अथवा जैसा विषय हो अनुसूचित जनजातियों के लिए उसमें कोई निर्देश नहीं है।

(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए किसी भी पूर्व चुनाव में आवंटित पद क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए पश्चातवर्ती चुनाव में आवंटित नहीं किये जायेंगे और उस पश्चातवर्ती चुनाव में पदों को चक्रानुक्रम में उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट क्रम में पूर्व चुनाव में स्त्रियों को आवंटित आगे से अन्तिम पद तक क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः—(एक)—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' और ''पश्चातवर्ती निर्वाचन''

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुआ निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किए गए समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :– (दो)–उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 3) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जाएंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन तद्नुसार ''पश्चातवर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जाएंगे।

(3) आवंटन आदेश (क) पूर्वगामी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जोन वाले पदों की संख्या का अवधारण करके गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगरपालिकाओं को आवंटित करेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप आपत्तियों के लिए कम–से–कम सात दिन की अवधि के लिए प्रकाशित किया जायेगा;

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी लेकिन उन आपत्तियों पर व्यक्तिशः सुनवाई करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार ने ऐसा करना आवश्यक न समझा हो और तत्पश्चात् वह अन्तिम हो गया हो;

(घ) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक प्रसार रखने वाले कम–से–कम एक दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बिन्धित नगरपालिका के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों की सीटों तथा पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों तथा स्त्रियों को अनारक्षित सीटों तथा पदो ंके लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

धारा 7 (5)(1)

(ग) राज्य के सभी नगर निगमों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत वाले नगर निगम को क्रमांक–1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर निगम को क्रमांक–2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा;

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि (एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनूसूचति जातियों के लिए अवधारति पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक–1 पर रखे गये नगर निगम से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंति किये जायेंगे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनूसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंति किये जायेंगे;

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चात निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चातवर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

''**स्पष्टीकरण** :– (एक)–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' और ''पश्चातवर्ती निर्वाचन'' में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।''

''**स्पष्टीकरण** :– (दो)–उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय अधिकारण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन ''पश्चातवर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जायेंगे।''

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

494 RPH (Naagar Sthaniya Swayatt Sasan Vidhi) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1031/XC-1014(003)-2-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Naagar Sthaneeya Swayatt Shasan Vidhi (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER- I

Preliminary

Short title and extant and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on March 29, 2023.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916

2 – In the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, *for* sub-section (5) of section 9-A, the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(5) The office of the President of the Municipal Councils and Nagar Panchayat shall be reserved and allotted for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and women, in the manner given below:-

(1) Reservation and allotment of offices of the President - (a) The reservation and allotment of offices of the President under this sub- section, shall be done separately for the Municipal Councils and Nagar Panchayats in the manner hereinafter provided.

(b) The number of offices to be reserved, –

(i) for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the urban area of the State, or of the Scheduled Tribes in the urban area of the State, bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices, there comes a remainder then, if it is half or less than half of the divisor, it shall be ignored and if it is more than half of the divisor, the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ii) for the Backward Classes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of offices in the State as the population of the Backward Classes in the urban areas of the State bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices, there comes a remainder then it shall be ignored and the number so arrived at, shall be the number of offices to be reserved for the Backward Classes :

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty-seven per cent of the total number of offices in the State;

(iii) for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be, under sub-section (3) shall not be less than one-third of the number of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the Backward Classes and if in determining such number of offices there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, as the case may be;

(iv) for the women, shall not be less than one-third of the total number of offices in the State *including* the number of offices reserved under item (iii) and if in determining such number of offices, there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall, be the number of offices to be reserved for the women.

Explanation- *It is hereby clarified that the words "urban area of the State" as occurring in this sub-clause, shall mean and shall be deemed to include, the urban area of all the Municipal Councils or the urban area of all the Nagar Panchayats, as the case may be.*

(c)In case of the Municipal Councils of the State:-

(i) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Castes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Castes shall be distributed into Divisions as a unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Castes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division as the population of Scheduled Castes in the urban areas of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Castes to the total number of offices in a Division exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Castes to the total number of offices at the State level, such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Castes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices shall be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Schedule Caste population to the total urban population of the Division is more than the proportion of Scheduled Castes population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Castes in the Divisions shall be done one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ii) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Tribes shall be distributed into Divisions as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Tribes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division as the population of Scheduled Tribes in the urban area of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Tribes to the total number of offices in a Division exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Tribes to the total number of offices at the State level, such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Tribes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices will be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Scheduled Tribes population to the total urban population of the Division, is more than the proportion of Scheduled Tribes population in the urban area of the State bears to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Tribes in the Divisions shall be done, one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed;

(iii) the number of offices determined under item number (ii) of sub-clause (b) for the Backward Classes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Backward Class shall be distributed into Divisions as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Backward Classes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division, as the population of Backward Classes in the urban areas of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Backward Classes to the total number of offices in a Division exceeds the proportions of total number of offices reserved for Backward Classes to the total number of offices at the State level such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Backward Classes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices shall be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Backward Class population to the total urban population of the Division is more than the proportion of Backward Class population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Backward Classes in the Divisions shall be done one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

*(d)Subject to sub-clause(b)the number of offices of the Presidents determined under sub-clause (c)*for Municipal Councils of a Division shall be allotted to different Municipal Councils in the Division, in the manner that,–

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(i) the Municipal Councils of a Division shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the Division in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (c) for the Scheduled Castes including the number of seats determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (c) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (iii) of sub-clause (c) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

(iv) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Municipal Councils in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (iv) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined under the item (iii) of sub-clause (b) for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Councils in the Division:

Explanation- *For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Municipal Councils in descending order shall be done in the manner that the Municipal Council having the largest percentage of population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the Division shall be placed first and Municipal Council having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this sub-clause the Municipal Councils shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Municipal Councils in the Division:*

(e)In case of the Nagar Panchayats of the State:-

(i) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Castes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Castes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Castes in a District shall bear the same proportion to the total number of offices in that District as the population of Scheduled Castes in the urban area of the District bear to the total urban population of the District:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Castes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Castes to the total number of offices at the State level, such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Castes at the State level remains to be distributed amongst the Districts of the State, such offices will be distributed in those Districts in descending order, whose proportion of Scheduled Caste population to the total urban population of the District is more than the proportion of Scheduled Caste population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Castes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

(ii) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Tribes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion offices reserved for Scheduled Tribes in a District shall bears the same proportion to the total number of offices in that District as the population of Scheduled Tribes in the urban area of the District bears to the total urban population of the District:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Tribes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Tribes to the total number of offices at the State level, such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Tribes at the State level remains to be distributed amongst the District of the State, such offices shall be distributed in those Districts in descending order whose proportion of Scheduled Tribes population to the total urban population of the District is more than the proportion of Scheduled Tribes population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Tribes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

(iii) the number of offices determined under item number (ii) of sub-clause (b) for the offices of Backward Classes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Backward Classes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Backward Classes in the District shall bear the same proportion to the total number of offices in that District as the population of a Backward Class in the urban areas of the District bears to the total urban population of the District:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Backward Classes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Backward Classes to the total number of offices at the State level such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Backward Classes at the State level remains to be distributed amongst the Districts of the State, such offices shall be distributed in those Districts in descending order, whose proportion of Backward Class population to the total urban population of the District is more than the proportion of Backward Class population in the urban area of the State bears to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Backward Classes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle will continue till no such office remains to be distributed.

Subject to sub-clause (b) the number of offices of the Presidents determined under sub-clause (e) for Nagar Panchayats of a District shall be allotted to different Nagar Panchayats in the District, in the manner that, –

(i) the Nagar Panchayat of a District shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the District in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (e) for the Scheduled Castes including the number of seats determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the District, in descending order and the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (e) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the District, in descending order and the number of offices determined in item (iii) of sub-clause (e) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(iv) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Nagar Panchayat in the District, in descending order and the number of offices determined in item (iv) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined under the item (iii) of sub-clause (b) for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, shall be allotted to such Nagar Panchayat in the District:

Explanation- *For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Nagar Panchayat in descending order shall be done in the manner that the Nagar Panchayat having the largest percentage of population of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the District shall be placed first and Nagar Panchayat having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this sub-clause the Nagar Panchayat shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Nagar Panchayat in the District.*

(g) If on the basis of the population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes in a Municipal Council or Nagar Panchayat –

(i) only one office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the Backward Classes, as the case may be, such office shall be allotted to the women.

(ii) no office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the Backward Classes, the order of allotment of offices referred in sub-clause (d) or (f) shall be so adhered to as if there is no reference in it to the Scheduled Castes or to the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be.

(h) The Divisions/Districts wherein the offices of the Presidents of Municipal Councils or Nagar Panchayats, as the case may be allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women and the offices to the Municipal Councils or Nagar Panchayats in a Division or Districts as the case may be, shall be allotted in the subsequent elections, in the cyclic order in the order referred to in sub-clauses (d) and (f) respectively.

Explanation-I *It is hereby clarified that the words "any election" and "subsequent election" as occurring in this sub-clause, shall not include and shall be deemed to have never included the elections held, before promulgation of the* Uttar Pradesh *Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 3 of 2023)*

Explanation-II *Notwithstanding any judgment, order or decree of any Court. Tribunal or Authority it is hereby declared that elections held before promulgation of the* Uttar Pradesh *Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 3 of 2023), shall not be deemed to be the "any election" as contemplated under this sub-section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election*."

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

CHAPTER- III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959

3. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, in sub-section (5) of Section 7:- Amendment of Section 7 of U.P. Act no. 2 of 1959

(a) in sub-clause (b) of clause 1 after item (ii) the following item shall be *inserted*, namely :—

"(iii) for the women shall not be less than one-third of the total number of offices in the State including the number of offices reserved under item (ii) and if in determining such number of offices, there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall, be the number of offices to be reserved for the women;"

(b) sub-clause (c) of clause 1 shall be *omitted*;

(c) *for* sub-clause (d) of clause 1 the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"(d) Subject to sub-clause (b) the number of offices of the Mayors determined under sub-clause (b) for Municipal Corporations of the State offices shall be allotted to different Municipal Corporations in the State, in the manner that, –

(i) the Municipal Corporations of the State shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the urban area of the State in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Castes including the number of offices determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the State, in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the State, in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(iv) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Municipal Corporations in the State, in descending order and the number of offices determined under item (iii) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (b), for the women, shall be allotted to such Municipal Corporations in the State:

Explanation-I *For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Municipal Corporations in descending order shall be done in the manner that the Municipal Corporations having the largest percentage of population of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the State shall be placed first and Municipal Corporations having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this sub-clause the Municipal Corporations shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Municipal Corporations of the State.*

Explanation-II *It is hereby clarified that the words "urban area of the State" as occurring in this sub-clause, shall mean and shall be deemed to include, the urban area of all the Municipal Corporations."*

(d) *for* sub-clause (f) of clause 1, the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"(f) The offices of the Mayors of Municipal Corporation allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, or the women shall not be allotted in the next following elections to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women respectively and the offices of the Mayors of the Municipal Corporations in the State shall be allotted in the subsequent elections, in the cyclic order in the order referred to in sub-clause (d).

Explanation-I *It is hereby clarified that the words "previous election" and "subsequent election" as occurring in the sub-clause(f) of this clause and elsewhere in this Act, shall not include and shall be deemed to have never included the elections held, before the promulgation of the Uttar Pradesh Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023.*

Explanation-II *Notwithstanding any judgment, order or decree of any Court,. Tribunal or Authority it is hereby declared that elections held before the promulgation of the Uttar Pradesh Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election."*

CHAPTER- IV

REPEAL AND SAVING

Repeal and saving

U.P. Ordinance no.3 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To consolidate and amend the law relating to Municipalities, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and to provide for the establishment of Municipal Corporation for certain cities in Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 has been enacted in the State of Uttar Pradesh.

In the year 2017, for the urban local bodies in the State, the General Elections were held. At that time 653 municipal bodies were in existence including 16 Nagar Nigam, 199 Nagar Palika Parishads and 438 nagar Panchayats. In 2019 and 2022, new municipal bodies were created by the State Government and some bodies were merged and upgraded as a result of which presently there are 762 urban bodies including 17 Municipal Corporations, 200 Municipal councils and 545 Nagar Panchayats. Due to the expiry of the tenure of the Chairpersons of the municipal bodies elected in the general election of 2017, there was a constitutional obligation to conduct general elections of all the municipal bodies of the State at the earliest.

The State Government *vide* notification no. 4032/9-1–2022-6-Nirva-22, dated December 28, 2022 had constituted the Uttar Pradesh State Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission for identification of backward classes for the purpose of reservation by conducting contemporaneous, rigorous, empirical enquiry into the nature and implications of backwardness in the urban local bodies as mandated by Hon'ble Supreme Court in its judgements in Writ Petition No. 356/1994, K. Krishnamurthy *Vs*. Union of India; Writ Petition No. 980/2019, Vikas Kishan Rao Gawli *Vs*. State of Maharashtra and Writ Petition No. 278/2022, Suresh Mahajan *Vs*. State of Madhya Pradesh. The Dedicated Commission in its report, presented to the State Government had recommended to make changes in procedure for determination of the reservation in order to provide representation to the backward classes in the urban local bodies so that the reservation is equally distributed in each district and division of the State.

In order to implement the recommendations and suggestions of the Commission it was decided to carry out necessary changes in the releant sections of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2023) was promulgated by the Governor on March 29, 2023.

The Uttar Pradesh Municipal Local Self-Government Laws (Amedment) Bill, 2023 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

A. K. SHARMA
Mantri,
Nagar Vikas.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 494 राजपत्र–2023–(1624)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

494 RPH (Naagar Sthaniya Swayatt Sasan Vidhi) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(ड)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1336 / वि0स0 / संसदीय / 91(सं)-2023

लखनऊ, 8 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 8 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 में, शीर्षकों, उद्देशिका, संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज' जहां कही आये हों, के स्थान पर शब्द ''डा0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023

3–(1) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

विधि के क्षेत्र में विद्या, अध्यापन एवं अनुसन्धान का सम्वर्द्धन करने और उसमें ज्ञान का प्रसार करने तथा वकालत, न्यायिक सेवा करने के इच्छुक व्यक्तियों, विधायी आलेखन को अपना व्यवसाय बनाने वाले विधि अधिकारियों/प्रबंधकों की वृत्तिक कौशलों को विकसित कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 2020) अधिनियमित किया गया है ।

पूर्वोक्त विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर ''डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज'' किये जाने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

505 RPH (Pryagraj Viswavidhyalya) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1041/XC-1014(003)-12–2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rashtreeya Vidhi Vishwavidyalaya, Pryagraj (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 8, 2023.

THE UTTAR PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY, PRAYAGRAJ (AMENDMENT), BILL, 2023

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as followes :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment), Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from July 10, 2023.

General Amendment of U.P. Act no. 26 of 2020

2. In the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020, *for* the words "Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj", wherever occurring including the headings, preamble, short title, long title, the words "Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P. ordinance no. 11 of 2023

3. (1) The Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment), Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020 (U.P. Act no. 26 of 2020) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a State Law University at Prayagraj in Uttar Pradesh to be known as the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj, for the purposes of advancement of cause of learning, teaching and research, and diffusion of knowledge in the field of law and also to cater to the needs of the society by developing professional skills of persons intending to take up advocacy, judicial service, law officers/managers and legislative drafting as their profession and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to name the aforesaid University after the country's first President, Dr. Rajendra Prasad, it was decided to amend the aforesaid Act to change the name of Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj to "Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj."

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 11 of 2023) was promulgated by the Governor on July 10, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 505 राजपत्र–2023–(1635)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

505 RPH (Pryagraj Viswavidhyalya) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(ट)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1332 / वि0स0 / संसदीय / 90(सं)-2023

लखनऊ, 8 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 8 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 35 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम-संख्या 35 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम-संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :—

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
36	टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

———

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों के निगमन तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

लखनऊ में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पुरः स्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय,
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

———

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1040/XC-1014(003)-13–2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh NIJI VISHVAVIDYALAYA (TRITEEYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 8, 2023.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) BILL, 2023

A
BILL

to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act , 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "Principal Act") *after* serial no. 35, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 35 for the newly established Universities, the following serial number and entries relating thereto shall column wise be *inserted*, namely:—

Sl. No.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
36	T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh	Vedic and Futuristic Edutech, Lucknow, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature, as soon as may be, after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University at Lucknow namely T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2023 is introduced accordingly.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uchcha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 503 राजपत्र—2023—(1633)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

503 RPH (Niji University) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–211(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 2345 / वि0स0 / संसदीय / 114(सं)-2023

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2023

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 36 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 36 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
37	वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।	वरूणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

——————

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

————

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1185/XC-S-1–23-16S-2023

Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Chaturth Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 30, 2023.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 20th October, 2023.

Amendment of schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the “principal Act”) *after* serial no. 36, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 36 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :-

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
37	Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh	Varunarjun Trust, Keshlata Hospital, Delaper, Bareilly, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 17 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university namely Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 (U. P. Ordinance no. 17 of 2023) was promulgated by the Governor on October 20, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uchha Shiksha.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 808 राजपत्र–2023–(2306)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

808 RPH (Niji University) (Sansadiya folder)- Data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—41

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2023

फाल्गुन 18, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 207 / वि0स0 / संसदीय / 06(सं)-2023

लखनऊ, 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 फरवरी, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 फरवरी, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) (क—2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उक्त खण्ड के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''(क) ''बी—हैवी शीरे'' का तात्पर्य बी—मासेक्यूइट के परिशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त शीरे से है जिसमें पूर्ववर्ती तीन चीनी मौसमों की उसी अवधि के दौरान वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में समरूप प्रक्रिया से प्राप्त औसत शुद्धता के सदृश शुद्धता निहित है;

(क—1) ''ब्रिक्स'' का तात्पर्य ब्रिक्स डेंसिटोमेट्रिक स्केल पर व्यक्त विलयन के घनत्व से और इसमें घुलित ठोस पदार्थ के प्रतिशत को प्रकट किये जाने से है।''

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना के रस या चीनी चाशनी से चीनी या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के दौरान उपोत्पाद के रूप में उत्पादित भारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो और इसमें राब या गुड़ से उत्क्रम प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पाद भी सम्मिलित है;''

(ग) खण्ड (घ—1) निकाल दिया जायेगा;

(घ) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ङ) ''अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के मामलों में अंतिम नियंत्रण हो और इसमें चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई का प्रबंध अभिकर्ता सम्मिलित है।''

(ङ) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, आर्थात् :—

''(ज—1) ''खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' का तात्पर्य किसी आरक्षित क्षेत्र में खांडसारी चीनी के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुयी या साधारणतया लगी हुयी किसी इकाई से है और जो किसी यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित किसी क्षैतिज कोल्हू की सहायता से उत्पादित गन्ना रस की उठायी—धरायी करने योग्य हो;''

(च) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(झ) ''आपूर्ति'' का तात्पर्य किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी द्वारा अपनी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को शीरा प्रदान करने से है;''

(छ) खण्ड (ञ) निकाल दिया जायेगा;

(ज) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''(ट) ''गन्ना रस'' का तात्पर्य किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में सल्फाइटीकरण या शोधन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्राथमिक रस, द्वितीयक रस, मिश्रित रस तथा निर्मल रस से है;

(ठ) ''चीनी सिरप'' का तात्पर्य गन्ना के सांद्रित रस से है जिसमें कुल घुला ठोस अंश 50 डिग्री से अन्यून हो, जैसा कि ब्रिक्स द्वारा उपदर्शित हो। 50 डिग्री ब्रिक्स के नीचे उसे किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में ब्रिक्स प्रतिशत द्वारा उपदर्शित सांद्रता पर आधारित गाढ़ा रस या रस के रूप में माना जा सकता है;''

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

1254 RPH 2023 (Sheera Niyantran) (Sansadiya) Data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5–मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द ''कारखाना'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 7 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 8 में,– धारा 8 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) नियंत्रक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, विहित रीति से विक्रय करने अथवा आपूर्ति करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी को किसी संविदा के होते हुए भी उक्त आदेश का अनुपालन करना होगा।''

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(4) राज्य सरकार, समय–समय पर, शीरे के भंडारण, परिरक्षण, वितरण, आपूर्ति, विक्रय, परिवहन, ट्रैकिंग और निगरानी को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाय और ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाय, किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई से किसी प्रकार के शीरा का विक्रय या उसकी आपूर्ति, या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने पर, विनियामक शुल्क अधिरोपित कर सकती है और ऐसा विनियामक शुल्क चीनी कारखाना अथवा खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से वसूल किया जाएगा।''

स्पष्टीकरण :– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समस्त चीनी कारखाने और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयाँ, आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना, समान रूप से विनियमन के अध्यधीन होंगी।

7–मूल अधिनियम की धारा 10–क में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 10–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे तथा शब्द ''अन्तरित'' के स्थान पर शब्द ''विक्रीत'' रख दिया जायेगा। धारा 17 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 18 में,– धारा 18 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''कारखानों'' के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

10–मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द ''कारखानों'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द ''प्रशासनिक प्रभार'' के स्थान पर शब्द ''विनियामक शुल्क'' रख दिये जायेंगे। धारा 22 का संशोधन

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

निरसन और व्यावृत्ति

11—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के, भण्डारण, श्रेणीकरण तथा मूल्य पर नियंत्रण करने का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है।

सम्प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 158 चीनी कारखाने हैं, जिनमें से केवल 120 इकाइयाँ वर्तमान में चीनी का विनिर्माण और इसके उप–उत्पाद के रूप में शीरे का उत्पादन कर रही हैं। इन चीनी कारखानों के अतिरिक्त, खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो खांडसारी चीनी और इसके व्युत्पाद यथा शीरे के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई हैं। प्रायः यह देखा गया है कि खांडसारी इकाइयों से निर्मोचित शीरे की अनियंत्रित एवं अनियमित बिक्री हो रही है, जिसके कारण शीरे की तस्करी अक्षुण्ण रूप से जारी है। शीरा के मद्यसारिक पान में अवैध संपरिवर्तन किये जाने से न केवल राजस्व की वृहत क्षति होती है बल्कि मानव जीवन की भी भारी क्षति होती है।

अतएव अब, शीरे की तस्करी तथा इसके अपवंचक अपयोजन को रोकने के लिए न केवल चीनी कारखानों से, बल्कि खांडसारी चीनी विनिर्माण इकाइयों से भी उप–उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरा संव्यवहार और कारोबार को विनियमित किया जाना समीचीन हो गया है । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए चीनी उद्योगों और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों से उन्मोचित शीरा के विक्रय, आपूर्ति तथा वितरण पर विनियामक शुल्क अधिरोपित करने हेतु उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया ताकि ऐसी शीरा उन्मुक्ति के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में उपगत लागत और व्ययों को पूरा किया जा सके।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

नितिन अग्रवाल

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),

आबकारी।

1254 RPH 2023 (Sheera Niyantran) (Sansadiya) Data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964

धारा 2—परिभाषाएँ— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक से है।

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से चीनी विनिर्मित किये जाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्पादित गाढ़े, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव्य में चीनी अन्तर्विष्ट हो, जिसमें बी–हैवी शीरा और खाण्डसारी शीरा सम्मिलित है।

(घ–1) "कैप्टिव उपभोग के लिये शीरा" का तात्पर्य ऐसे अन्तरित शीरे से है जो चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी ऐसी आसवनी अथवा अन्य औद्योगिक इकाई को अन्तरित किया गया हो, जिनका स्वामित्व चीनी मिल का ही हो और वह चीनी मिल के परिसर में या चीनी मिल से लगे हुए समीपस्थ स्थल पर स्थित हो, जिससे किसी वाहन द्वारा चीनी मिल के परिसर या गेट के बाहर ऐसे शीरे के अन्तरण या परिवहन की आवश्यकता न हो।

(ङ) शक्कर के कारखाने के सम्बन्ध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत कारखानों का प्रबन्ध अभिकर्ता भी है।

(ज) "शक्कर के कारखाने" अथवा "कारखाने" का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं सहित किसी ऐसे भू–गृहादि से है, जहॉ बीस या उससे अधिक कर्मी काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत–शक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों द्वारा शक्कर के उत्पादन से सम्बन्धित निर्माण–प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती है।

(झ) "संभरण" के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

(ञ) "अन्तरण" के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को स्टाक अन्तरण या कैप्टिव उपभोग हेतु शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

धारा 5—शीरे का संरक्षण—शक्कर के कारखाने का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा—

(क) कारखाने में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिये कारखाने, के भू–गृहादि के भीतर आच्छादित स्थान;

(ख) चूने, रिसने ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संग्रहीत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय;

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगड़े हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध; और

(घ) शीरे के उठाने–धरने की, जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना, उसे पम्प करना और टंकी वैगनों, टैंक लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है,, के लिये पर्याप्त सुविधाएं।

धारा 6—अपमिश्रण से संरक्षण—

(1) शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक के किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(2) शक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा [लेन और इगनान के आयातनमिति विधि द्वारा अवधारित कुल अपाचयक शक्कर (reducing sugar) के रूप में व्यक्त] चालीस प्रतिशत से कम हो, यह परिकल्पना करने के लिए पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

धारा 7—अपमिश्रित शीरे का हटाया जाना—

(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, सम्भरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उदेश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू–गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजन के लिये अपमिश्रित समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

धारा 8–शीरे की बिक्री और उसका सम्भरण–(1) नियंत्रक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आज्ञा द्वारा शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, नियत रीति से अन्तरित करने अथवा बेचने अथवा सम्भरित करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी किसी संविदा के होते हुए भी उस आज्ञा का पालन करेगा।

धारा 8–(2) (ख) स्टाक की संपूर्ण मात्रा या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है, किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष में कारखाने के कुल शीरे का अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा, सिवाय उस दशा में जब नियंत्रक की राय में, निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो,

धारा 8–(4) राज्य सरकार, समय–समय पर ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जैसा विहित किया जाये, किसी चीनी कारखाना से शीरा का किसी प्रकार का विक्रय, अंतरण या आपूर्ति किये जाने पर शीरा के ऐसे संरक्षण, आपूर्ति एवं वितरण पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने पर उपगत लागत तथा व्ययों को पूरा करने हेतु विनियामक फीस अधिरोपित कर सकती है और ऐसी फीस की वसूली, चीनी कारखाना के अध्यासी से की जा सकती है।

धारा 10–क–संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि–शक्कर के प्रत्येक कारखाने के अध्यासी, नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विक्रय मूल्य से ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा।

शीरे की श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक

धारा 17–लेखे रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना आदि–प्रत्येक शक्कर का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त अध्यासी द्वारा शीरा अन्तरित अथवा सम्भरित किया जाय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह–

(क) ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेखे उपकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य रखे जो नियत किये जायें,

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांकों तक, ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियाँ प्रस्तुत करें जो नियंत्रक आज्ञा द्वारा नियत करें,

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख्य, उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करे, जिन्हें रखने की अपेक्षा उससे या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

धारा 18–कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास–शक्कर के कारखाने के अध्यासी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निर्देशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उदेश्य से नियंत्रक द्वारा शक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारियों के लिये शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर, ऐसे किराये का भुगतान करने और ऐसी शर्तों पर, जो नियत की जाये आवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

धारा 22–नियम बनाने का अधिकार–

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) परामर्श समिति का संघटन, उसके सदस्य चुने जाने की रीति, उनका कार्यकाल, उन्हें देय भत्ते यदि कोई हो, रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य–संचालन की प्रक्रिया,

(ख) परामर्श समिति के सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित प्रक्रिया,

(ग) शक्कर के कारखानों द्वारा शीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से सम्बन्धित शर्तें,

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विशिष्टियों और परीक्षण, जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जाँच भी सम्मिलित है,

(ङ) शीरे की बिक्री और उसके सम्भरण की रीति,

(ङङ) रीति जिसके अनुसार धारा–8 की उपधारा (4) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाएगा,

(च) राज्य सरकार के समक्ष अपील का प्रपत्र और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रक्रिया,

(ज) शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य,

(झ) किराया और शर्तें, जिन पर शक्कर के कारखानों की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी,

(ञ) शीरे के उत्पादन, वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े एकत्र करना,

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण, तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जो, नियत किये जाने हों या नियत किये जायें।

(3) इस अधिनिमय के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान–मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

1254 RPH 2023 (Sheera Niyantran) (Sansadiya) Data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 820/XC-S-1–23-03S-2023
Dated Lucknow, March 9, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 22, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, . 1964

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from February 06, 2023.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"),–

(a) clause (a) shall be renumbered as (a-2) and before the said clause so renumbered the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(a) "B-Heavy molasses" means the molasses obtained as a result of curing of B-massecuite and having purity comparable with the average purity as obtained during the same period of previous three sugar seasons with the similar process in a vacuum pan sugar factory;

(a-1) "Brix" means the density of solution expressed on brix densitometric scale and taken to represent the percentage of dissolved solid matter in it;"

(b) for clause (d), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(d) "Molasses" means a heavy, dark coloured, viscous liquid produced as a by-product during the manufacture of sugar or khandsari sugar from the juice of sugarcane or sugar syrup when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar and it also includes the by-product obtained during the manufacture of sugar through reverse process from rab or jaggery ;"

(c) clause (d-1) shall be *omitted*;

(d) for clause (e), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(e) "Occupier" means the person who has ultimate control over the

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

affairs of the sugar factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit and includes a managing agent of the factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit;"

(e) after clause (h), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(h-1) "Khandsari Sugar Manufacturing Unit" means a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture or production of or khandsari sugar in a reserved area, and which is capable of handling sugarcane juice produced with the aid of a horizontal crusher driven by any mechanical power;"

(f) for clause (i), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(i) "Supply" means to provide molasses by an occupier of a sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry;"

(g) clause (j) shall be *omitted*;

(h) after clause (j), the following clauses shall be *inserted,* namely:-

"(k) "Sugarcane juice" means primary juice, secondary juice, mixed juice and clear juice as obtained by sulphitation or defecation process in a vacuum pan sugar factory;

(l) "Sugar syrup" means concentrated juice of sugarcane having total dissolved solid content not less than 50 as indicated by brix. Below 50 brix, it may be treated as thick juice or juice depending upon the concentration as indicated by brix percentage in a vacuum pan sugar factory; "

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 7

5. In section 7 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 8

6. In section 8 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(1) The Controller may, with the prior approval of the State Government, by order require the occupier of any sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to sell or supply in the prescribed manner such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order, and the occupier shall, notwithstanding any contract, comply with the order."

(b) in clause (b) of sub-section (2), after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

(c) for sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(4) The State Government may, from time to time, in such manner as may be prescribed and at such rates as may be determined by the State Government by notification in the *Gazette*, impose regulatory fee on the sale or supply of any type of molasses from any sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit either to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry, in order to regulate the storage, preservation, distribution, supply, sale, transport, tracking and surveillance of such molasses, and such regulatory fee shall be recovered from the Occupier of the sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit.

Explanation—For the purpose of this Act, all sugar factories as well as khandsari

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of captive units, shall be equally subjected to regulation."

Amendment of section 10A

7. In section 10A of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted*.

Amendment of section 17

8. In section 17 of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted* and for the word "transferred", the word "sold " shall be *substituted*.

Amendment of section 18

9. In section 18 of the principal Act,—

(a) in the marginal heading after the word "factories", the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted*;

(b) after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted*.

Amendment of section 22

10. In section 22 of the principal Act, after the word "factories", wherever occurring, the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted* and for the words "administrative charges", the words "regulatory fees" shall be *substituted*.

Repeal and saving

11. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shcera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to provide for the control of storage,gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

At present there are around 158 sugar factories in the State of Uttar Pradesh out of which only 120 units are currently manufacturing sugar and producing molasses as its by-product. Besides these sugar factories, there has also been an unexpected growth in the Khandsari Sugar manufacturing Units which are engaged in manufacturing and production of khandsari sugar and its derivatives like molasses. It has often been observed that uncontrolled and unregulated sale of molasses released from Khandsari units is taking place due to which smuggling of molasses has continued unabated.The illegal conversion of molasses into alcoholic Liquar not only entails colossal loss of revenue but also takes heavy toll on human life.

Therefore, it has become expedient to regulate the transaction and business in molasses obtained as a by-product not only from sugar factories but also from Khandsari Sugar Manufacturing Units in order to prevent smuggling of molasses and its deceptive diversion. In view of the above, it was decided to amend the relevant sections of the said Act to impose regulatory fee on sale, supply and distribution of

1254 RPH 2023 (Sheera Niyantran) (Sansadiya) Data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

molasses released from sugar industries as well as Khandsari Sugar Manufacturing Units so as to meet the cost and expenses incurred in supervision and control over such release of molasses.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no. 1 of 2023) was promulgated by the Governor on February 06, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NITIN AGARWAL

Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),

Aabkaari.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1254 राजपत्र—2023—(2097)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1254 RPH 2023 (Sheera Niyantran) (Sansadiya) Data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–211(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2327/वि0स0/संसदीय/109(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

809 RPH 2023 (U.P. Sheera Niyantran 2nd Amendment) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 में नई धारा 8क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"**विधिमान्यकरण 8क**–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) के किसी उपबंध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।"

धारा 22 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेष, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथासंषोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के भण्डारण, श्रेणीकरण तथा मूल्य पर नियंत्रण करने और उसकी पूर्ति तथा वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 8 [उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 35 सन् 2021) द्वारा यथा संषोधित] षीरे की उनकी आसवनी इकाईयों के आबद्ध खपत हेतु षीरे के विक्रय तथा पूर्ति पर विनियामक षुल्क अधिरोपित किये जाने का उपबंध करती है। चीनी कारखानों के कुछ अध्यासियों द्वारा उक्त धारा पर आक्षेप किया गया और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कतिपय रिट याचिकाओं में चीनी मिलों की आसवनी इकाईयों द्वारा षीरे की आबद्ध खपत पर विनियामक षुल्क की वसूली को आस्थगित कर दिया।

तत्पश्चात समस्त चीनी कारखानों के साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों को उनकी आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना विनियम के आध्यधीन समान रूप से उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 8 का संषोधन किया गया।

पूर्वोक्त रिट याचिकाओं के लम्बित होने के दृष्टिगत, चीनी मिल स्वामियों द्वारा उनकी आसवनी इकाइयों की सीमित खपत हेतु षीरे की आबद्ध खपत पर विनियामक षुल्क की वसूली संभव नहीं हो पा रही थी जिससे सरकार को वित्तीय हानि हो रही थी।

अतएव, उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित करके चीनी उद्योगों के साथ–साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों से उन्मोचितषीरे के विक्रय, पूर्ति तथा वितरण पर विनियामक षुल्क अधिरोपित तथा विधिमान्य करने और उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 35 सन् 2021 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 24 दिसम्बर, 2021 से इसके अधीन कृत कार्यवाही को विधिमान्य करना आवष्यक हो गया था।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, विधिमान्यकरण हेतु एक नयी धारा 8–क को बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम में संषोधन करने और ''नियम बनाने की षक्ति" की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विद्यमान धारा 22 का संषोधन करने का विनिष्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
आबकारी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है:–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने की षक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त विधायन सामान्य प्रकार के हैं।

————————

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाषन के पष्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। धारा–22 नियम बनाने का अधिकार

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
आबकारी।

————————

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

————————

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 1184/XC-S-1–23-11S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

———

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 29th November, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :–.

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of December, 2021.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Insertion of new section 8A in U.P. Act no. 24 of 1964

2. In the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam,1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"), *after* section 8, the following section shall be *inserted,*namely:-

"**Validation 8A.** Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary, anything done or purporting to be done, and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no. 1 of 2023) from the 24th day of December, 2021 shall be valid and shall be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times."

Amendment of section 22

3. In section 22 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act."

Repeal and Saving

4.(1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed. — U.P. Ordinance no. 15 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

————————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to provide for the control of storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

Section 8 of the said Act [as amended by Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021(U.P. Act no. 35 of 2021)] provides for imposition of regulatory fee on sale and supply of molasses for captive consumption of their distillery units. The said section has been challenged by some occupiers of sugar factories and the Hon'ble High Court of Allahabad has deferred the realisation of regulatory fee on captive consumption of molasses by distillery units of sugar mills in certain writ petitions.

Subsequently, sections 2 and 8 of the said Act were amended *vide* the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) making all sugar factories as well as khandsari sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of their captive units, equally subject to regulation.

In view of pendency of the aforesaid writ petitions, recovery of regulatory fee on captive consumption of molasses by the sugar mill owners for limited consumption of their distillery units was not being possible, which was causing financial loss to the Government.

Therefore, it had become necessary to impose and validate regulatory fee on sale, supply and distribution of molasses released from sugar industries as well as khandsari sugar manufacturing units by implementing the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) with retrospective effect and to validate actions taken under it with effect from the date of commencement of U.P. Act no. 35 of 2021 *viz*, December 24, 2021.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to insert a new section 8-A for validation and to amend the existing section 22 in order to simplify the process of "power to make rules".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no.15 of 2023) was promulgated by the Governor on September 01, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NITIN AGARWAL

Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Aabkaari.

————

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 809 राजपत्र—2023—(2307)—599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

809 RPH 2023 (U.P. Sheera Niyantran 2nd Amendment) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—211(क—6)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2317 / वि0स0 / संसदीय / 110(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

अयोध्या की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत—संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियाँ विकसित करने; जिला अयोध्या के किसी विभाग / स्थानीय निकाय / प्राधिकरण को अयोध्या क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिये श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला अयोध्या के भीतर स्थित अयोध्या क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अयोध्या क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला अयोध्या के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(ङ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य अयोध्या जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्‌भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या अयोध्या क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(झ) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या अयोध्या जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिनके क्रियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ट) "योजना" का तात्पर्य श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति है;

(ड) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ढ) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य उक्त योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ण) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(त) ''श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास योजना'' का तात्पर्य अयोध्या क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और अयोध्या क्षेत्र की दोनों मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है;

अध्याय–दो

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद

परिषद का गठन और निगमन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह–संयोजक–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(द) नगर आयुक्त, अयोध्या नगर निगम, पदेन;

(ध) अयोध्या क्षेत्र के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पांच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(न) दस करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्ता गण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विषेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी', परिषद का अधिकारी होगा और परिषद द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणधीन होंगे।

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक समिति

5–(1) किसी आपात या अन्य समय में संवेदनशील मामला होने की स्थिति में जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसका अनुसमर्थन कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशाक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु, एक नियोजन तथा विकास समिति, का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) आयुक्त, अयोध्या, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या, पदेन;

(घ) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(ङ) नगर आयुक्त, अयोध्या नगर निगम, पदेन;

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद, अयोध्या या उसका नाम निर्देशिती, जो सेना में कैप्टन की श्रेणी से नीचे का न हो, पदेन;

(छ) सहयुक्त नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, पदेन;

(ज) अयोध्या जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन;

(झ) मुख्य अभियंता, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, जल शक्ति विभाग, अयोध्या, पदेन;

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम (नागरिक एवं ग्रामीण), अयोध्या, पदेन;

(ड) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम अयोध्या, पदेन;

(ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या, पदेन;

(त) अधीक्षक पुरातत्वविद, अयोध्या, पदेन;

(थ) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(द) उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, अयोध्या, पदेन;

(ध) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) अयोध्या क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरण विद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(प) अयोध्या क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(फ) अयोध्या क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ब) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(भ) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ध),(न),(प),(फ),(ब) और (भ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7—(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के, या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

8–परिषद का मुख्यालय अयोध्या में होगा। परिषद का मुख्यालय

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। परिषद की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा। नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

11–परिषद अथवा नियोजन तथा विकास समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी। रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

12– परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति आधे सदस्यों से होगी। बैठक की गणपूर्ति

अध्याय–तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

13–परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगीः– परिषद की शक्ति

(क) उक्त योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, यथा स्थिति योजना, या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, अयोध्या की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण अयोध्या क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्‌देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को सौंपना, जैसा कि वह अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

14–परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे– परिषद के कृत्य

(क) योजना तैयार करना;

(ख) किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(घ) अयोध्या क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा अयोध्या की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) अयोध्या क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों तथा जलाशयों के विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) अयोध्या क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों—सरकारी विभागों स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) अयोध्या क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) अयोध्या क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्संबधी मामलों तथा क्रिया—कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15—(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:—

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे उक्त योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना, जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौपें जायं;

2—जिला में विभागीय आय—व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनों की समभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय—चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16—(1) उक्त योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक

मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी, जिसमें अयोध्या क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा अयोध्या की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात्–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल–निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना, जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) अयोध्या क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17–उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विकासकर्ताओं या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18–(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व परिषद नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपतियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्रारूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19–उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी।

योजना का उपान्तरण

20–(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजनाओं में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू–उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

हो;

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विहित दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझाओं पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होंगे।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरणों या परिवर्तनों का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा—स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन, उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय तथा समाभिरूपता

22—(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों के सहयोग से योजना की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय—व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समाभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित् करना होगा।

अध्याय—पांच

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान, अग्रिम और ऋण

23—राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24—(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री अयोध्या जी विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी—

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि; और

(ग) अन्य स्रोतों यथा मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

के लिये किया जायेगा—

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति किया जाना;

(ख) अयोध्या क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) परिषद द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन उक्त योजना तथा परियोजनाओं के कियान्वय हेतु सहभागी विभाग और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय—व्ययक

25—परिषद, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय—व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26—परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया—कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

27—(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा—परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा—परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा—परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा—परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विषेषाधिकार, ये होंगे;

(क) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) यथास्थिति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा—परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय;

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा—परीक्षक रिपोर्ट

28—(1) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा—परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशाक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

(2) कार्यपालक उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव /सचिव, जो परिषद के सदस्य हों, के परामर्श से एक प्राविधिक दल गठित करेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। उक्त दल परिषद द्वारा किये गये कार्यों का समय—समय पर परीक्षण करेगा और

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

कार्यपालक उपाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—छः

भूमि का अधिग्रहण और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजानार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2)—जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3)—राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् अयोध्या क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम में यथा उपबन्धित हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण, धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाय।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरण तथा परिवर्तन को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसे शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहां ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिषद में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजे कर सकता है, जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जांच करना आवश्यक होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक होंगे।

सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के संबंध संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उनके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं; अर्थातः—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्य के पद की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

812 RPH 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh Amendment) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विनियमावली बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं; अर्थात्

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तदनुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियाँ, निधि और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगे;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये किसी कार्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं मानी जायेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

43—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

812 RPH 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh Amendment) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उद्देश्य और कारण

अयोध्या की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियाँ विकसित करने, जिला अयोध्या के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को अयोध्या क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की स्थापना का उपबन्ध करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

———

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के अध्याय–2 के खण्ड 4 (1) में एक कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा 4(2) में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किये जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रवर्तन में आने पर उक्त प्रावधानों से राज्य की समेकित निधि से आवर्तक व्यय होगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नही है।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

———

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् का गठन करने की शक्ति

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
	प्रदान की जा रही है, जिसे ''श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद्'' के नाम से जाना जायेगा।
3(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपखण्ड 3 के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
6(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपखण्ड 2 के खण्ड (ध), (न), (प), (फ), (ब) और (भ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
18(1)	इसके द्वारा परिषद् को नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना को तैयार करने तथा यथा विहित प्रारूप तथा रीति से एक नोटिस प्रकाशित कराते हुए योजना के संबंध में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
19	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति से नोटिस प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की जा रही हैं।
20(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति तथा प्रारूप से आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
25	इसके द्वारा परिषद् को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तथा समय पर वित्तीय वर्ष का आय–व्ययक तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
26	इसके द्वारा परिषद् को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में वार्षिक क्रिया–कलापों की रिपोर्ट तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
27(1)	इसके द्वारा परिषद् को लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपखण्ड (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
40 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
41 (1)	इसके द्वारा परिषद् को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
42 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा परिषद् के विघटन की शक्ति प्रदान की जा रही है।
43 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही हैं।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

812 RPH 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh Amendment) data 4e

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1181/XC-S-1–23-07S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shree Ayodhya Ji Teerth Vikas Parishad Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHREE AYODHYA JEE TEERTH VIKAS PARISHAD BILL, 2023

A

BILL

to provide for the constitution of Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Ayodhya Heritage in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Ayodhya in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Ayodhya region and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Act, 2023.

(2) It extends to the Ayodhya region situated within the revenue District of Ayodhya in Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Ayodhya Region" means the whole of the area within the revenue district of Ayodhya in Uttar Pradesh;

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Parishad appointed under section 4;

(c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(d) "Executive Vice-Chairperson" means the Executive Vice-Chairperson of the Parishad appointed under section 4;

(e) "Implementing agency" means a department of the State Government or a Local Body in Ayodhya district or a public undertaking under the jurisdiction of

812 RPH 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh Amendment) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

the State Government or the Government of India chosen for preparation and/or implementation of any Project plan;

(f) "Land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(g) "Local body" means a Development Authority, Municipal Body or any other local authority concerned with the urban development of the Ayodhya region or any Gram Panchayat;

(h) "Member" means a member of the Parishad or the Planning and Development Committee and includes the Chairperson there of;

(i) "Parishad" means the Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad constituted under section 3;

(j) "Participating Department" means the State Government Department or a Local Body in Ayodhya District whose activities have or are likely to have bearing on the functions of the Parishad;

(k) "Plan" means the Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Plan;

(l) "Planning and Development Committee" means the Planning and Development Committee constituted under section 6;

(m) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "Project Plan" means a detailed plan prepared to implement one or more elements to the Plan;

(o) "Regulations" means regulations made by the Parishad under this Act;

(p) "Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Plan" means the plan prepared under this Act for the development of the Ayodhya region and for the development of infrastructure facilities for tourism and conservation of the Heritage, both tangible and intangible, in Ayodhya region.

CHAPTER II

THE SHREE AYODHYA JEE TEERTH VIKAS PARISHAD

Constitution and incorporation of the Parishad

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette,* constitute for the purpose of this Act, a Parishad, to be called the Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad.

(2) The Parishad shall be a body corporate.

(3)The Parishad shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief Minister, Uttar Pradesh who shall be the Chairperson of the Parishad;

(b) Vice-Chairperson- The Minister of Tourism Department Government of Uttar Pradesh.

(c) Executive Vice-Chairperson-Appointed by Government of Uttar Pradesh.

(d) Member Co-ordinator–The Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism, *ex officio;*

(e) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Housing and Urban Planning, *ex officio;*

(f) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

the Department of Finance, *ex officio;*

(g) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Culture, *ex officio;*

(h) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Religious Affairs, *ex officio;*

(i) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Urban Development, *ex officio;*

(j) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Transport, *ex officio;*

(k) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment, Forest and Climate change, *ex officio;*

(l) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Public Works, *ex officio;*

(m) The Commissioner, Ayodhya Division, Ayodhya, *ex officio;*

(n) The District Magistrate, Ayodhya, *ex officio;*

(o) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, *ex officio;*

(p) The Chief Executive Officer of the Parishad who shall be the Member-Secretary.

(q) The Vice Chairperson, Ayodhya-Development Authority, Ayodhya, *ex officio;*

(r) the Municipal Commissioner, Ayodhya Nagar Nigam, *ex officio*

(s) five eminent persons having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Ayodhya region, to be nominated by the Chairperson in consultation with the State Government;

(t) donors who make a donation of Rs. Ten crore or more shall be eligible to be considered as a nominated member after the approval of the Parishad.

(4) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (p) and (q) of sub-section (3) shall be such as may be prescribed.

The Executive Vice-Chairperson and The Chief Executive Officer

4. (1) There shall be an Executive Vice-Chairperson of the Parishad to be appointed by the State Government.

(2) There shall be the Chief Executive Officer of the Parishad to be appointed by the State Government from amongst the officers not below the rank of Special Secretary of the State Government.

(3)The Chief Executive Officer shall be the officer of the Parishad and all the officers and employees appointed by the Parishad shall be under the administrative control of the Chief Executive Officer.

(4) The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the fund of the Parishad such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(5) All orders and decisions and other instruments of the Parishad shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer.

The Executive Committee

5.(1) There shall be an Executive Committee to exercise the powers and the functions of the Parishad in the event of an emergent or other time-sensitive matters when it is not practicable to assemble the entire Parishad. The Executive Committee shall comprise of all the *ex-officio* members of the Parishad and shall be chaired by the Chief Secretary.

(2) The Parishad shall, in its next meeting, review the minutes of the Executive Committee and may modify, reject or ratify the action taken by the Executive Committee.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Composition of the Planning and Development Committee

6.(1) The Parishad shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Planning and Development Committee, for assisting the Parishad in the discharge of its functions.

(2) The Planning and Development Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) the commissioner, Ayodhya, who shall be the Chairperson, *ex officio;*

(b) the Chief Executive Officer, who shall be the member secretary;

(c) the Senior Superintendent of Police, Ayodhya, *ex officio;*

(d) the Vice-Chairperson, Ayodhya Development Authority, Ayodhya, *ex officio;*

(e) the Municipal Commissioner, Ayodhya Nagar Nigam, *ex- officio;*

(f) the Chief Executive Officer Cantonment Parishad, Ayodhya or his nominee not below rank of the Captain in the Army, *ex officio;*

(g) the Associate Planner, Town and Country Planning, Ayodhya Division, Ayodhya, *ex officio;*

(h) the Chairperson of every Local Body in the Ayodhya District, *ex officio;*

(i) the Chief Engineer, Ayodhya Development Authority, Ayodhya, *ex officio;*

(j) the Superintending Engineer, Public Works Departments, Ayodhya, *ex officio;*

(k) the Superintending Engineer, Jal Shakti Department, Ayodhya, *ex officio;*

(l) the Superintending Engineer, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (Urban and Rural), Ayodhya, *ex officio;*

(m) the Superintending Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Ayodhya, *ex officio;*

(n) the Divisional Forest Officer, Ayodhya, *ex officio;*

(o) the Regional Officer, Pollution Control Parishad, Ayodhya, *ex officio;*

(p) the Superintendent Archaeologist, Ayodhya, *ex officio;*

(q) the Regional Tourist Officer, Ayodhya, *ex officio;*

(r) the Deputy Director Government Museum, Ayodhya, *ex- officio;*

(s) a Landscape Designer and interpretive planner, to be nominated by the State Government;

(t) an Environmentalist having experience of Ayodhya region, to be nominated by the State Government;

(u) an Eminent historian having experience in the cultural and mythological history of Ayodhya Region, to be nominated by the State Government;

(v) a Litterateur or an Artist of repute having experience of the Ayodhya region, to be appointed by the State Government;

(w) an Eminent lawyer, to be appointed by the State Government;

(x) two eminent public representative or Social Worker, to be appointed by the State Government;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) The terms and conditions of office of the members nominated under clauses (s), (t), (u), (v), (w) and (x) of sub- section (2) shall be such as may be prescribed.

Power to co-opt

7. (1) The Parishad or the Planning and Development Committee may meet at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Parishad or of the Planning and Development Committee.

(2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Parishad or of the Planning and Development Committee, as the case may be, but shall not be entitled to vote.

Headquarters of the Parishad

8. The headquarter of the Parishad shall be at Ayodhya.

Meetings of the Parishad

9. The Parishad shall meet at such times and at such place as may be determined by the Parishad from time to time.

Meetings of the Planning and Development Committee

10. The Planning and Development Committee shall meet at such times as may be decided by the Chairperson of the Planning and Development Committee or directed by the Vice-Chairperson of the Parishad but the time between two consecutive meetings shall not exceed sixty days.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Parishad of the Planning and Development Committee

11. No act or proceeding of the Parishad or of the Planning and Development Committee shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Parishad or the Planning and Development Committee as the case may be.

Quorum of the meeting

12. The quorum for the meetings of the Parishad and the Planning and Development Committee shall comprise of one half of the members.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD AND OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT COMMITTEE

Powers of the Parishad

13. The powers of the Parishad shall include the powers to-

(a) call for reports and information from the Participating Departments with regard to preparation, enforcement and implementation of the Plan and the Projects;

(b) ensure that the preparation, enforcement and implementation of the Plan or the Project, as the case may be, is in conformity with the Ayodhya Culture and Architecture;

(c) indicate the stages for the implementation of the Plan;

(d) review the implementation of the Plan and the Projects;

(e) select and approve comprehensive projects from the participating Departments, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Parishad may deem fit;

(f) levy fee or charges for providing services and facilities or for maintenance and development thereof from the tourists;

(g) *suo-moto* take up any work/project in order to promote and secure the development, re-development and beautification of any area in the entire Ayodhya region;

(h) select an Implementing Agency for preparation and implementation of any Project plan;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

entrust to the Planning and Development Committee such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Act.

Functions of the Parishad

14. The functions of the Parishad shall be-

(a) to prepare the Plan;

(b) to arrange for the preparation of projects by any of the Participating Departments;

(c) to co-ordinate the enforcement and implementation of the Plan and the Projects through any one or more of the Participating Departments or Implementing Agencies;

(d) to ensure proper and systematic programming by the participating departments in regard to project formulation, determination of priorities in the Ayodhya region and phasing of development of infrastructural facilities for tourism and conservation of the Ayodhya Heritage in accordance with stages indicated in the Plan;

(e) to make concerted efforts towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(f) to undertake and encourage research in the field of heritage of the region,

(g) to undertake conservation and development of rivers and water bodies and their catchments in the Ayodhya Region, to undertake measures for pollution control therein and development of river fronts and water bodies;

(h) to formulate Architectural Regulations to bring about uniformity of the buildings and structures in conformity with the heritage architecture of the region;

(i) to formulate policies to ensure co-ordination between various stakeholders- Government Departments, Local Bodies, Temple Management/Trusts, Self Help Groups, Researchers and Scholars for integrated development of tourism infrastructure and Activities/projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich cultural heritage of the Ayodhya region;

(j) to arrange for, and oversee, the financing of selected development projects in the Ayodhya region through State funds and other sources of revenue like funds from Temple Trusts, donations, Non-Government Organization, company/firms and tourists, etc.

(k) to coordinate with authorities in adjoining regions in matters and activities there that have or may have a bearing in Ayodhya region to promote harmony in actions.

Functions of the Planning and Development Committee

15. (1) The functions of the Planning and Development Committee shall be to assist the Parishad in-

(a) the preparation and co-ordinated implementation of the Plan and the Projects;

(b) scrutinizing the projects of the Participating Department or an Implementing Agency to ensure that the same are in conformity with the Plan;

(c) make such recommendations to the Parishad as it may think necessary to amend or modify any Plan;

(d) co-ordinate and Implement different Project at the District level;

(e) perform such other functions, in connection with the administration of this Act, as may be entrusted to it by the Parishad.

2. Different Government departments in the District having departmental budget sanctions and other implementing Agencies shall also

co-ordinate with the Planning and Development Committee to ensure convergence and co-ordination of their schemes/Projects with those which are under the Plan.

CHAPTER IV

THE PLAN AND THE PROJECT PLANS

Contents of Plan

16. (1) The Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations, and descriptive matters, as the Parishad may deem appropriate for the purpose of explaining or illustrating the proposals contained in the Plan and every such maps, diagrams, illustration, and descriptive matters shall be deemed to be a part of the Plan;

(2) The Plan shall indicate the manner in which the development activities in the Ayodhya Region or conservation and such other matters, as are likely to have any important influence on the development of the tourism in Ayodhya Region and conservation of Ayodhya Heritage shall be undertaken. The Plan shall include the following elements needed to achieve objectives of the Plan, namely-

(a) the policy to regulate land-use and the allocation of land for different uses;

(b) the proposals for major Urban settlement pattern and architectural regulations;

(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) the proposals regarding transport and communication including railways and arterial roads serving the region including local transport;

(e) the proposal for the supply of urban services like drinking water, sewerage and drainage;

(f) indication of the areas which require immediate development as priority areas;

(g) the proposals towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(h) such other matter as may be included by the Parishad in consultation with the concerned participating departments for the proper planning for the growth and balanced development of the Ayodhya Region

Surveys and Studies

17. For the preparation of the Plan, the Parishad may cause such surveys and studies as it may consider necessary to be made by such participating development or persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by it.

Procedure to be followed for preparation of the Plan

18. (1) Before finalising the Plan, the Parishad shall prepare with the assistance of the Planning and Development Committee a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Parishad shall also give reasonable opportunities to every Local Authority/ Department, within whose local limits any land affected in any manner by the Plan is situated, to make any representation with respect to the

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

draft Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that have been received by the Parishad, the Parishad shall finally prepare the Plan.

Date of coming into operation of the Plan

19. Immediately after the Plan has been finally prepared, the Parishad shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice stating that the Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into force and will be deemed to have been duly prepared.

Modifications of the Plan

20. (1) The Parishad may, subject to the provisions of sub-section (2) make such modifications in the Plan , as it may think fit, which in its opinion do not affect important character of the Plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

(2) Before making any modification in the finally prepered plan the Parishad shall publish a notice in such form and in such manner as may be prescribed indicating therein the modifications which are proposed to be made in the finally prepared Plan, and inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modifications before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every modification made under this section shall be published in such manner as the Parishad may specify and the modification shall come into operation either on the date of such publication or on such later date as the Parishad may fix.

(4) If any question arises whether the modification proposed to be made are modifications which affect important character of the Plan, it shall be decided by the Parishad whose decision thereon shall be final.

Review and revision of the Plan

21. (1) After every five year from the date of coming into operation of the finally prepared Plan, the Parishad shall review such Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Plan or may carry out such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary.

(2) Where it is proposed to substitute the Plan with a fresh Plan or where it is proposed to carry out any modification or alteration, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Plan referred to in section 18 and 19 or as if they were the modifications or alterations in the plan made under section 20.

Preparation of the Project Plan, co-ordination and convergence

22. (1) A participating department may, by itself or in collaboration with one or more of the participating departments, as the case may be, prepare Project Plans for one more elements of the Plan.

(2) Various participating departments in the district receiving grants, loans or budget sanctioned by the State Government, shall ensure convergence/co-ordination of their departmental schemes with the schemes/projects under the Plan.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants, advances

23. The State Government may, after due appropriation made by Legislature

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

and loans by the Government

by law in this behalf, make to the Parishad grants, advances and loans of such sums of money as it may consider necessary to enable the Parishad to carry out its functions under this Act.

Constitution of the fund

24. (1) There shall be constituted a Fund to be called the Shree Ayodhya Jee Vikas Parishad Fund, to be maintained in a separate bank account of its own and there shall be credited thereto-

(a) any grants and loans made to the Parishad by the State Government under section 23;

(b) all sums paid to the Parishad by the participating departments; and

(c) sums received from other sources such as Temple Trusts, donations from Non-Government Organization, companies, firms and individuals, etc; and

(d) any other sums received by the Parishad from such other sources as may be decided upon by the State Government in consultation with the Parishad.

(2) The sums credited to the Fund referred to in sub-section (1) shall be applied for-

(a) meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Executive Vice-Chairperson, Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Parishad and for meeting other administrative expenses of the Parishad;

(b) conducting surveys, preliminary studies and drawing up plans/projects for the Ayodhya Region;

(c) providing financial assistance to the participating departments and Implementing Agencies for the implementation of the Plan and the projects subject to such terms and conditions as may be decided by the Parishad;

(d) meeting any other expenses incurred by the Parishad in the administration of this Act.

Budget

25. The Parishad shall prepare in such from and at such time every year, as the State Government may specify, a budget for the next ensuing financial year and forward the same to the State Government at least ninety days prior to the commencement of the financial year.

Annual Report

26. The Parishad shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Accounts and audit

27. (1) The Parishad shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the State Government may specify.

(2) The accounts of the Parishad shall be subject to audit annually by the Examiner, Local fund Accounts and/or the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

sub-section (2) shall,

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or, as the case may be, the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts; and

(c) in the case of any other auditor, be as prescribed;

(4) The Parishad shall furnish, to the State Government annually or at such times as may be directed by it, a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

Annual report and Auditor's report to be laid before the State Legislature

28. (1) The State Government shall cause the annual report and the auditor's report to be laid as soon as may be after their receipts, before each House of the State Legislature while it is in session.

(2) The Executive Vice-Chairperson shall constitute a technical team in consultation with the Principal Secretary/ Secretary of such departments as are members of the Parishad comprising experts of different fields. The team will examine from time to time the works done by the Parishad and submit its report to the Executive Vice-Chairperson.

CHAPTER VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

Acquisition of land for the purpose of the Bill

29. (1) If, in the opinion of the State Government, any land is required for the purpose of the development or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land under the provisions of the Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [Act no. 30 of 2013].

(2) Where any land has been acquired by the State Government, it may, after it has taken possession of the land, transfer the land to the Parishad for the purpose for which the land has been acquired on payment by the Parishad of the compensation awarded under the Act referred to in sub section (1) and of the charges incurred by the State Government in connection with the acquisition.

(3) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the land acquired by the State Government and transferred to the Parishad may be transferred by the Parishad to such agency owned or controlled by State Government, in such manner and subject to such terms and conditions as it may consider expedient for securing the development of the Ayodhya region after undertaking or carrying out such development as it thinks fit for the purpose of this Act.

No change of purpose allowed

30. No change of purpose or related purposes for which land is originally sought to be acquired shall be allowed except for as provided in the Act referred to in sub section (1) of section 29.

Return of unutilized land

31. When any land acquired for the purpose of this Act remains unutilized it shall be disposed of according to the provisions of the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

CHAPTER VII

Miscellaneous

Provisions to be in addition to

32.The Provision of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or law for the time being in force.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

existing laws

Power of the State Government to give directions

33. The State Government may, from time to time, give such directions to the Parishad as it may think fit for the efficient administration of this Act and the Parishad shall be bound to comply with such directions.

Technical Assistances to the Parishad/Planning and Development Committee

34.(1) The State Government may direct any of its departments to provide, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, such technical assistance to the Parishad as it may consider necessary.

(2) With a view to enabling the Planning and Development Committee to discharge its functions, the Parishad shall, out of the technical assistance received by it under sub-section (1) make available to the Planning and Development Committee such technical assistance as the Planning and Development Committee may require.

Officers and employees of the Parishad

35. (1) The State Government may appoint two suitable persons respectively as Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer of the Parishad who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Parishad or the Chief Executive Officer.

(2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Parishad may, subject to any rules that may be made in this behalf, make appointments on such post and determine the designations and grades of persons so appointed as may be necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(3) There shall be a legal advisor to advise the Parishad in legal matters, who shall be appointed in consultation with the law department of the State Government.

(4) The qualifications, terms and conditions of service and functions and duties of officers and employees, appointed under sub-section (2), shall be such as may be prescribed.

(5) The Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other Officers and employees of the Parishad shall be entitled to receive from the Fund of the Parishad such salaries and allowances as may be determined by the State Government in this behalf.

Delegation

36.The Parishad may, by general or special order, direct that any function or power (other than the power to approve the Plan, modifications and alterations therein and to make regulations), or duty performed, exercised or discharged by it under this Act or the rules made thereunder shall, subject to such conditions, if any, as may specified in such order, be performed, exercised or discharged also by such officer as may be specified in the said order and where any such delegation of power is made, the officer to whom such power is delegated shall perform, exercise or discharge those powers.

Power of entry

37. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Parishad in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Parishad under this Act:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that no such person shall enter any building or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling- house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice in writing of his intention to do so.

Officers and employees of the Parishad to be public servants

38.The Officers and other employees of the Parishad shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code [Act No. 45 of 1860].

Protection of action taken in good faith

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Parishad, Planning and Development Committee, their Members, officers or employees including any other person authorized by them to exercise any power or to discharge any function under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

Power to make rules

40. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the terms and conditions of the office of the members as required by sub-section (4) of section 3 and sub section (3) of section 6;

(b) the form and manner in which notice under sub-section (1) of section 17 and sub section (2) of section 19 shall be published;

(c) the manner in which notice under sub-section (1) of section 18 shall be published;

(d) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be, or may be made by rules.

Power to make regulations

41. (1) The Parishad may, with the previous approval of the State Government by notification in the *Gazette* make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner in which and the purpose for which the Parishad may associate with itself any person under section 16;

(b) the terms and conditions of service of the officers and employees of the Parishad under sub section (4) of section 34;

(c) any other matter in respect of which provision is to be, or may be made by Regulations.

Dissolution of the Parishad

42. (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Parishad was established under this Act have been substantially achieved or the Parishad has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Parishad in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may, by notification in the *Gazette,* declare that the Parishad shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Parishad shall be deemed to have been dissolved accordingly.

(2) From the said date-

(a) all properties, fund and dues which are vested in or, realizable by the Parishad shall vest in, or be realizable by, the State Government ;

(b) all liabilities which are enforceable against the Parishad shall be enforceable against the State Government;

(c) for the purpose of carrying out any work which has not been fully carried out by the Parishad and for the purpose of realizing properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Parishad shall be discharged by the State Government.

(3)Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government from reconstituting the Parishad in accordance with the provisions of this Act.

Power to remove difficulties

43. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the Gazette, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been felt a need to provide for the constitution of Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Ayodhya heritage in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Ayodhya in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Ayodhya region and for matters connected therewith or incidental thereto.

In view of the above, it has been decided to make a law to provide for the establishment of Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad.

The Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Bill, 2023 is introduced accordingly.

JAIVEER SINGH
Mantri,
Paryatan.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 812 राजपत्र—2023—(2310)—599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

812 RPH 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh Amendment) data 4e

क्रम-संख्या–211(क–7)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———

संख्या 2307 / वि0स0 / संसदीय / 113(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

शुक क्षेत्र की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला मुजफ्फरनगर के किसी विभाग / स्थानीय निकाय / प्राधिकरण को शुक क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मुजफ्फरनगर के भीतर स्थित शुक क्षेत्र में होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(ग) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(घ) "कियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे कियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपकम से है;

(ङ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(च) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या जिला मुजफ्फरनगर के भीतर नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या तद्धीन किसी ग्राम पंचायत से है;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ज) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् से है;

(झ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या मुजफ्फरनगर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके कियाकलाप, परिषद के कृत्यों से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हों;

(ञ) ''योजना'' का तात्पर्य श्री शुक तीर्थ विकास योजना से है;

(ट) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ठ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को कियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ढ़) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ण) "श्री शुक तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन शुक क्षेत्र के विकास के लिये और पर्यटन तथा संस्कृति विशेष रूप से धार्मिक कियाकलापों तथा अध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए तैयार की गयी योजना से है। परिषद् के कृत्य, शुक क्षेत्र की दोनो मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये होंगे;

(त) "शुक क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के राजस्व तहसील जानसठ के भीतर शुक के सम्पूर्ण क्षेत्र से है।

अध्याय–दो

श्री शुक तीर्थ विकास परिषद

श्री शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन और निगमन

3–(1)राज्य सरकार इस अधिनियम के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''श्री शुक तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी;

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थातः–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो धारा 4(1) के अधीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह–संयोजक–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(द) उत्तर प्रदेश के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पांच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ध) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दानकर्तागण, परिषद के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये नाम–निर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे;

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) परिषद का एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद का अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये गये या संविदा पर रखे गये समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे;

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे;

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता, सहायक मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता एक नगर योजनाकार, दो कार्यपालक अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता, छः अवर अभियन्ता और चार प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग करेंगे, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर होंगे। कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्ते वहीं होंगे जो इनके पैतृक विभाग में होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संविदा के आधार पर नियोजित किये जायेंगे और उनकी परिलब्धियों तथा वेतन संरचना का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी भर्ती तथा वेतन संरचना, न्यासी मण्डल के अनुमोदन के आधार पर होगी;

(7) न्यासी मण्डल के पास अपेक्षानुसार अधिकारियों या कर्मचारिवर्ग की संख्या को बढ़ाने या उसमें कमी करने का अधिकार होगा।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे;

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद, यथाशक्य शीघ्र, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु, एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी;

नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) आयुक्त, सहारनपुर, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(घ) मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ङ) अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(च) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर, पदेन;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ज) अधीक्षण अभियंता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (नगरीय एवं ग्रामीण), मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ट) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर/सहारनपुर मंडल, पदेन;

(ठ) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ, पदेन;

(ड) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ढ़) एक पर्यावरणविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ण) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(त) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(थ) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3)उपधारा (2) के खण्ड (ड), (ढ़),(ण),(त),(थ) और (द) के अधीन नियुक्त सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति परिषद के, या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

8–परिषद का मुख्यालय मुजफ्फरनगर में होगा।

परिषद की बैठकें

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति, ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय, किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11–परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12–परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्याय–तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13–परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगीः–

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति, योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण शुक क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

14—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे— परिषद के कृत्य

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/ अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) शुक क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा शुक की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) शुक क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों और उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) शुक क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों—सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) शुक क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) शुक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया—कलापों में समन्वय करना;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15—(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगेः—

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) शुक क्षेत्र योजना के अनुरूप जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपे जायं।

2—जिला में विभागीय आय—व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/ परियोजनों की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय—चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16—(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें शुक क्षेत्र में विकास सम्बन्धी किया—कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका शुक क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा शुक की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। इस सम्बन्ध में पहला कार्य शुक क्षेत्र के विकास के लिये एक महा योजना तैयार करना है। ये विकास परक योजनायें दो चरणों में कियान्वित की जायेंगी। समस्त कियाशील अभिकरणों को कियान्वयन के पूर्व परिषद् से सहमति प्राप्त करनी होगी और पुष्टि करानी होगी। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात्—

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू—उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) शुक क्षेत्र के उन्नयन तथा संतुलित विकास के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सर्वेक्षण और अध्ययन

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से, एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20—(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू—उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो;

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी;

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा;

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय;

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा—स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22—(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है;

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय—व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समाभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित करना होगा।

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अध्याय–पांच

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री शुक तीर्थ विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(ग) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) शुक क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/ परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वय हेतु सहभागी विभागों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना;

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी;

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी;

लेखा और लेखा–परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में जैसा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिये प्रयोज्य हो, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो;

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार :–

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का विकास हेतु अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है;

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो;

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् शुक क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय;

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी;

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे;

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि और अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद की निधियों से वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होंगे।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना, नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहित, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है;

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा(4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विनियम बनाने की शक्ति

41–(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो;

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्:–

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42–(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तद्नुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से–

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल गिये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उद्देश्य और कारण

शुक क्षेत्र की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला मुजफ्फरनगर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को शुक क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत श्री शुक तीर्थ विकास परिषद की स्थापना का उपबंध करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023 पुरः स्थापित किया जाता है।

जयवीर सिंह,
मंत्री
पर्यटन।

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के अध्याय 2 के खण्ड 4(1) में एक कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा 4(2) में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किये जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रवर्तन में आने पर उक्त प्रावधानों से राज्य की समेकित निधि से आवर्तक व्यय होगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार हैः-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् का गठन करने की शक्ति प्रदान की जा रही है, जिसे "श्री शुक तीर्थ विकास परिषद" के नाम से जाना जायेगा।
3(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उक्त उपखण्ड 3 के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
6(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उक्त उपखण्ड 2 के खण्ड (ड), (ढ़), (ण), (त), (थ) और (द) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
18(1)	इसके द्वारा परिषद को नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना को तैयार करने तथा यथा विहित प्रारूप तथा रीति से एक नोटिस प्रकाशित कराते हुए योजना के सम्बन्ध में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
19	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति से नोटिस प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
20(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति तथा प्रारूप से आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
25	इसके द्वारा परिषद को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तथा समय पर वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
26	इसके द्वारा परिषद को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में वार्षिक क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
27(1)	इसके द्वारा परिषद को लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपखण्ड (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
40(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
41(1)	इसके द्वारा परिषद् को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
42(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा परिषद के विघटन की शक्ति प्रदान की जा रही है।
43(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1186/XC-S-1–23-13S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shree Shuk Teerth Vikas Parishad Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHREE SHUK TEERTH VIKAS PARISHAD BILL, 2023

A

BILL

to provide for the constitution of Shree Shuk Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Shuk region in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Muzaffarnagar in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Shuk region and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER- I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1 (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shree Shuk Teerth Vikas Parishad Act, 2023 .

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) It extends to the Shuk region situated within the revenue District of Muzaffarnagar in Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Parishad appointed under section 4;

(b) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(c) " Executive Vice-Chairperson" means the Executive Vice-Chairperson of the Parishad appointed under section 4;

(d) "Implementing agency" means a department of the State Government or a public undertaking under the jurisdiction of the State Government or the Government of India chosen for preparation and/or implementation of any Project plan;

(e) "Land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(f) "Local body" means a Development Authority, Municipal Body or any other local authority concerned with the urban development within the Muzaffarnagar District or any Gram Panchayat under the same;

(g) "Member" means a member of the Parishad or the Planning and Development Committee and includes the Chairperson thereof;

(h) "Parishad" means the Shree Shuk Teerth Vikas Parishad constituted under section 3;

(i) "Participating Department" means the State Government Departments or a Local Body in Muzaffarnagar District whose activities have or are likely to have bearing on the functions of the Parishad;

(j) "Plan" means the Shree Shuk Teerth Vikas Plan;

(k) "Planning and Development Committee" means the Planning and Development Committee constituted under section 6;

(l) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Project Plan" means a detailed plan prepared to implement one or more elements to the Plan;

(n) "Regulations" means regulations made by the Parishad under this Act;

(o) "Shree Shuk Teerth Vikas Plan" means the plan prepared under this Act for the development of the Shuk region and for the development of infrastructure facilities for tourism and culture essentially for religious activities and Spiritual Tourism. The function of the Parishad would be for conservation of the Heritage, both tangible and intangible, in the Shuk region;

(p) " Shuk region " means the whole of the area of Shuk within the revenue Tehsil of Jansath in the District Muzaffarnagar of Uttar Pradesh;

CHAPTER-II

THE SHREE SHUK TEERTH VIKAS PARISHAD

Constitution and incorporation of Shree Shuk Teerth Vikas Parishad

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, constitute for this Act, a Parishad, to be called the Shree Shuk Teerth Vikas Parishad.

(2) The Parishad shall be a corporate body.

(3) The Parishad shall consist of the following members, namely: -

(a) the Chief Minister, Uttar Pradesh who shall be the Chairperson of the Parishad;

(b) Vice-Chairperson- The Minister of Tourism Department, Government of Uttar Pradesh;

(c) Executive Vice-Chairperson- Appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh under section 4(1);

(d) Member Co-ordinator -The Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism, *ex officio* ;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(e) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Housing and Urban Planning, *ex officio* ;

(f) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance , *ex officio* ;

(g) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Culture, *ex officio* ;

(h) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Religious Affairs, *ex officio* ;

(i) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Urban Development, *ex officio* ;

(j) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Transport, *ex officio* ;

(k) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment, Forest and Climate change, *ex officio* ;

(l) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Public Works, *ex officio* ;

(m) the Commissioner, Saharanpur Division Saharanpur, *ex officio* ;

(n) the District Magistrate, Muzaffarnagar, *ex officio* ;

(o) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, *ex officio* ;

(p) the Chief Executive Officer of the Parishad who shall be the Member-Secretary;

(q) the Vice Chairperson, Muzaffarnagar Development Authority, Muzaffarnagar , *ex officio* ;

(r) five eminent persons having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Uttar pradesh, to be nominated by the Chairperson in consultation with the State Government;

(s) Donors who donate a sum of Rs. One crore or more shall be eligible to be considered as a nominated member for a period of three years upon approval of the Parishad.

(4) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (p) and (q) of sub-section (3) shall be such as may be prescribed.

The Executive Vice-Chairperson and The Chief Executive Officer

4. (1) There shall be an Executive Vice-Chairperson of the Parishad to be appointed by the State Government.

(2) There shall be the Chief Executive Officer of the Parishad to be appointed by the State Government from amongst the officers not below the rank of Special Secretary of the State Government.

(3) The Chief Executive Officer shall be the officer of the Parishad and all the officers and employees appointed by the Government on deputation or taken on contractual basis shall be under the administrative control of the Chief Executive Officer.

(4) The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the fund of the Parishad such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government issued in this behalf.

(5) All orders and decisions and other instruments of the Parishad shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer.

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(6) The Chief Executive Officer will be supported by Assistant Chief Executive Officer who shall be of the rank of Additional District Magistrate. The CEO will be assisted by One Town Planner, Two Executive Engineer, Four Assistant Engineer, Six Junior Engineer and Four administrative staff who shall be on deputation from different departments of the State Government. The salary and other allowances for the staff shall be such as in the parent department. The class IV employees shall be employed on contractual basis and their emolument and salary structure shall be decided by the Parishad. Moreover, their recruitment and salary structure shall be on the approval of the Board of Trustees.

(7) The Board of Trustees has the right to increase or decrease number of officers or staff as per the requirement.

The Executive Committee

5. (1) There shall be an Executive Committee to exercise the powers and the functions of the Parishad in the event of an emergency or other time-sensitive matters when it is not practicable to assemble the entire Parishad. The Executive Committee shall comprise of all the *ex-officio* members of the Parishad and shall be chaired by the Chief-Secretary.

(2) The Parishad shall, in its next meeting, review the minutes of the Executive Committee and may modify, reject or rectify the action taken by the Executive Committee.

Composition of the Planning and Development Committee

6. (1) The Parishad shall, as soon as may be, after the commencement of this Act, constitute a Planning and Development Committee, for assisting the Parishad in the discharge of its functions.

(2) The Planning and Development Committee shall consist of the following members, namely: -

(a) the Commissioner, Saharanpur, who shall be the Chairperson, *ex officio*;

(b) the Chief Executive Officer, who shall be the Member Secretary;

(c) the Senior Superintendent of Police, Muzaffarnagar, *ex officio*;

(d) the Chief Development Officer, Muzaffarnagar, *ex officio*

(e) the Additional Superintendent of Police, Muzaffarnagar, *ex officio*

(f) the Sahyukt Niyojak, Nagar evam Gram Niyojan Vibhag, Meerut, Uttar Pradesh, *ex officio*;

(g) the Superintending Engineer, Public Works Departments, Muzaffarnagar, *ex officio*;

(h) the Superintending Engineer, First Division, Irrigation Works Meerut, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, *ex officio*;

(i) the Superintending Engineer, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (Urban and Rural), Muzaffarnagar, *ex officio*;

(j) the Superintending Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Muzaffarnagar, *ex officio*;

(k) the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Muzaffarnagar/ Saharanpur Division, *ex officio*;

(l) the Regional Tourist Officer, Meerut, *ex officio*;

(m) a Landscape Designer and interpretive planner, to be nominated by the State Government;

(n) an Environmentalist to be nominated by the State Government;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(o) an Eminent historian having experience in the cultural and mythological history of the State, to be nominated by the State Government;

(p) a Litterateur or an Artist of repute having experience of the State, to be appointed by the State Government;

(q) an Eminent lawyer, to be appointed by the State Government;

(r) two eminent public representative's or Social Worker's, to be appointed by the State Government;

(3) The terms and conditions of office of the members appointed under clauses (m), (n), (o), (p), (q), and (r) of sub- section (2) shall be such as may be prescribed.

Power to co-opt

7. (1) The Parishad or the Planning and Development Committee may meet at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Parishad or of the Planning and Development Committee;

(2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Parishad or of the Planning and Development Committee, as the case may be, but shall not be entitled to vote.

Headquarters of the Parishad

8. The headquarter of the Parishad shall be at Muzaffarnagar.

Meetings of the Parishad

9. The Parishad shall meet at such times and at such place as may be determined by the Parishad from time to time.

Meetings of the Planning and Development Committee

10. The Planning and Development Committee shall meet at such times as may be decided by the Chairperson of the Planning and Development Committee or directed by the Vice-Chairperson of the Parishad but the time between two consecutive meetings shall not exceed sixty days.

Vacancies, *etc*. not to invalidate proceedings of the Parishad or the Planning and Development Committee

11. No Act or proceeding of the Parishad or of the Planning and Development Committee shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Parishad or the Planning and Development Committee as the case may be.

Quorum of the meeting

12. The quorum for the meetings of the Parishad and the Planning and Development Committee shall comprise of 2/3 rd of the members.

CHAPTER- III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD AND OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT COMMITTEE

Power of the Parishad

13 The powers of the Parishad shall include the powers to-

(a) call for reports and information from the Participating Departments with regards to preparation, enforcement and implementation of the Plan and the Projects;

(b) ensure that the preparation, enforcement and implementation of the Plan or the Project is in conformity with the Uttar Pradesh Culture and Architecture;

(c) indicate the stages for the implementation of the Plan;

(d) review the implementation of the Plan and the Projects;

(e) select and approve comprehensive projects from the participating Departments, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Parishad may deem fit;

(f) levy fee or charges for providing services and facilities or for maintenance and development thereof from the tourists;

(g) *suo-moto* take up any work/project to promote and secure the development, re-development and beautification of any area in the entire Shuk region;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(h) select an Implementing Agency for preparation and implementation of any Project plan in a transparent manner by following all the rules and regulations of the State Government of Uttar Pradesh;

(i) entrust to the Planning and Development Committee such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Act.

Functions of the Parishad

14. The functions of the Parishad shall be–

(a) to prepare the Plan;

(b) to arrange for the preparation of projects by any of the Participating Departments (All departments of State Government);

(c) to co-ordinate the enforcement and implementation of the Plan and the Projects through any one or more of the Participating Departments or Implementing Agencies;

(d) to ensure proper and systematic programming by the participating departments regarding project formulation, determination of priorities in the Shuk region and phasing of development of infrastructural facilities for tourism and conservation of the Shuk Heritage in accordance with stages indicated in the Plan;

(e) to make concerted efforts towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(f) to undertake and encourage research in the field of heritage of the region;

(g) to undertake conservation and development of rivers and water bodies and their catchments in the Shuk region, to undertake measures for pollution control therein and development of river fronts and water bodies;

(h) to formulate Architectural Regulations to bring about uniformity of the buildings and structures in conformity with the heritage architecture of the region;

(i) to formulate policies to ensure co-ordination between various stakeholders- Government Departments, Local Bodies, Temple Management/Trusts, Self Help Groups, Researchers and Scholars for integrated development of tourism infrastructure and Activities/projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich cultural heritage of the Shuk region;

(j) to arrange for, and oversee, the financing of selected development projects in the Shuk region through State funds and other sources of revenue like funds from Temple Trusts, donations, Non-government Organization, company/firms and tourists, *etc*;

(k) to coordinate with authorities in adjoining regions in matters and activities there that have or may have a bearing in Shuk region to promote harmony in actions.

Functions of the Planning and Development Committee

15. (1) The functions of the Planning and Development Committee shall be to assist the Parishad in: -

(a) the preparation and co-ordinated implementation of the Plan and the Projects with the various departments in a synchronised way;

(b) scrutinizing the projects of the Participating Department or an Implementing Agency to ensure that the same are in conformity with the Plan;

(c) making such recommendations to the Parishad as it may think necessary to amend or modify any Plan;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(d) co-ordinating and implementing different Projects at the District level in conformity with the plan of Shuk region Plan;

(e) performing such other functions, in connection with the administration of this Act, as may be entrusted to it by the Parishad.

(2) Different Government departments in the District having departmental budget sanctions and other Implementing Agencies shall also co-ordinate with the Planning and Development Committee to ensure convergence and co-ordination of their Schemes/Projects with those which are under the Plan.

CHAPTER- IV

THE PLAN AND THE PROJECT PLANS

Contents of the Plan

16. (1) The Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations, and descriptive matters, as the Parishad may deem appropriate for explaining or illustrating the proposals contained in the Plan and every such maps, diagrams, illustration, and descriptive matters shall be deemed to be a part of the Plan;

(2) The Plan shall indicate the way the development activities in the Shuk region or conservation and such other matters, as are likely to have any important influence on the development of the tourism in Shuk region and conservation of Shuk Heritage shall be undertaken. In this connection first task is to draw a Master Plan for the development of Shuk region. These developmental plans to be implemented into the stages. All working agencies to take consent and confirmation from the Parishad before executing. The Plan shall include the following elements needed to achieve objectives of the Plan, namely:-

(a) The policy to regulate land-use and the allocation of land for different uses;

(b) The proposals for major Urban settlement pattern and architectural regulations;

(c) The proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) The proposals regarding transport and communication including railways and arterial roads serving the region including local transport;

(e) The proposal for the supply of urban services like drinking water, sewerage and drainage;

(f) Indication of the areas which require immediate development as priority areas;

(g) The proposals towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(h) Such other matter as may be included by the Parishad in consultation with the concerned participating departments for the proper planning for the growth and balanced development of the Shuk region.

Surveys and Studies

17. For the preparation of the Plan, the Parishad may cause such surveys and studies as it may consider necessary to be made by such participating departments or persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by it.

Procedure to be followed for preparation of the Plan

18. (1) Before finalising the Plan, the Parishad shall prepare with the assistance of the Planning and Development Committee a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) The Parishad shall also give reasonable opportunities to every Local Authority/ Department, within whose local limits, any land affected in any manner by the Plan is situated, to make any representation with respect to the draft Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that have been received by the Parishad, the Parishad shall finally prepare the Plan.

Date of coming into operation of the Plan

19. Immediately after the Plan has been finally prepared, the Parishad shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice stating that the Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into force and will be deemed to have been duly prepared.

Modifications of the Plan

20. (1) The Parishad may, subject to the provisions of sub-section (2) make such modifications in the Plan, as it may think fit, which in its opinion do not affect important character of the Plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

(2) Before making any modification in the finally prepared plan the Parishad shall publish a notice in such form and in such manner as may be prescribed indicating therein the modifications which are proposed to be made in the finally prepared Plan, and inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modifications before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every modification made under this section shall be published in such manner as the Parishad may specify and the modification shall come into operation either on the date of such publication or on such later date as the Parishad may fix.

(4) If any question arises whether the modifications proposed to be made are modifications which affect important character of the Plan, it shall be decided by the Parishad whose decision thereon shall be final.

Review and revision of the plan

21. (1) After every five years from the date of coming into operation of the finally prepared Plan, the Parishad shall review such Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Plan or may carry out such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary in concurrence with Planning and Development Committee.

(2) Where it is proposed to substitute the Plan with a fresh Plan or where it is proposed to carry out any modification or alteration, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Plan referred to in section 18 and 19 or as if they were the modifications or alterations in the plan made under section 20.

Preparation of the project plan, co-ordination and convergence

22. (1) A participating department may, by itself or in collaboration with one or more of the participating departments, as the case may be, prepare Project Plans for one or more element of the Plan.

(2) Various participating departments in the district receiving grants, loans or budget sanctioned by the State Government, shall ensure convergence/co-ordination of their departmental schemes with the schemes/projects under the Plan.

CHAPTER- V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants, Advances, loans by the Government

23. The State Government may, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, make to the Parishad grants, advances and loans of such sums of money as it may consider necessary to enable the Parishad to carry out its functions under this Act.

Constitution of the fund

24. (1) There shall be constituted a Fund to be called the **Shree Shuk Teerth Vikas Parishad Fund**, to be maintained in a separate bank account of its own and there shall be credited thereto:-

(a) any grants and loans made to the Parishad by the State Government under section 23;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(b) sums received from other sources such as Temple Trusts, donations from Non-Government Organization, companies, firms and individuals, *etc*; and

(c) any other sums received by the Parishad from such other sources as may be decided upon by the State Government in consultation with the Parishad.

(2) The sums credited to the Fund referred to in sub-section (1) shall be applied for-

(a) meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Executive Vice-Chairperson, Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Parishad and for meeting other administrative expenses of the Parishad;

(b) conducting surveys, preliminary studies and drawing up plans/projects for the Shuk region;

(c) providing financial assistance to the participating departments and Implementing Agencies for the implementation of the Plan and the projects;

(d) meeting any other expenses incurred by the Parishad in the administration of this Act.

Budget

25. The Parishad shall prepare in such form and at such time every year, as the State Government may specify, a budget for the next ensuing financial year and forward the same to the State Government at least ninety days prior to the commencement of the financial year.

Annual report

26. The Parishad shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Accounts and audit

27. (1) The Parishad shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as applicable to the various State Government Departments.

(2) The accounts of the Parishad shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts and/or the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall,-

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government Accounts; and

(c) in the case of any other auditor, be as prescribed;

(4) The Parishad shall furnish, to the State Government annually or at such times as may be directed by it, a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

Annual report and Auditor's report to be laid before the State legislature

28. The State Government shall cause the annual report and the auditor's report to be laid as soon as may be after their receipts, before each House of the State Legislature while it is in session.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

CHAPTER- VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

Acquisition of Land for purpose of the Act

29. (1) If, in the opinion of the State Government, any land is required for the development or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land under the provisions of the Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013).

(2) Where any land has been acquired by the State Government, it may, after it has taken possession of the land, transfer the land to the Parishad for the purpose for which the land has been acquired on payment by the Parishad of the compensation awarded under the Act referred to in sub-section (1) and of the charges incurred by the State Government in connection with the acquisition.

(3) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the land acquired by the State Government and transferred to the Parishad may be transferred by the Parishad to such agency owned or controlled by State Government, in such manner and subject to such terms and conditions as it may consider expedient for securing the development of the Shuk region after undertaking or carrying out such development as it thinks fit for the purpose of this Act.

No change of purpose allowed

30. No change of purpose or related purposes for which land is originally sought to be acquired shall be allowed except for as provided in the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

Return of unutilized land

31. When any land acquired for this Act remains unutilized it shall be disposed of according to the provisions of the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

CHAPTER- VII

MISCELLANEOUS

Provisions to be in addition to existing laws

32. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or law for the time being in force.

Power of the State Government to give directions

33. The State Government may, from time to time, give such directions to the Parishad as it may think fit for the efficient administration of this Act and the Parishad shall be bound to comply with such directions.

Technical Assistances to the Parishad/Planning and Development Committee

34. (1) The State Government may direct any of its departments to provide, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, such technical assistance to the Parishad as it may consider necessary.

(2) With a view to enabling the Planning and Development Committee to discharge its functions, the Parishad shall, out of the technical assistance received by it under sub-section (1) make available to the Planning and Development Committee such technical assistance as the Planning and Development Committee may require.

Officers and employees of the Parishad

35. (1) The State Government may appoint two suitable persons respectively as Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer of the Parishad who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Parishad or the Chief Executive Officer.

(2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Parishad may, subject to any rules that may be made in this behalf, make appointments on such post and determine the designations and grades of persons so appointed as may be necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(3) There shall be a legal advisor to advise the Parishad in legal matters, who shall be appointed in consultation with the law department of the State Government.

(4) The qualifications, terms and conditions of service and functions and duties of officers and employees, appointed under sub-section (2), shall be such as may be prescribed.

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(5) The Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other Officers and employees of the Parishad shall be deputed from any department on deputation and shall be entitled to receive the salaries and allowances from the funds of the Parishad for a minimum period of 3 years and maximum period of 5 years with the approval of the State Government.

Delegation

36. The Parishad may, by general or special order, direct that any function or power (other than the power to approve the Plan, modifications and alterations therein and to make regulations), or duty performed, exercised or discharged by it under this Act or the rules made thereunder shall, subject to such conditions, if any, as may specified in such order, be performed, exercised or discharged also by such officer as may be specified in the said order and where any such delegation of power is made, the officer to whom such power is delegated shall perform, exercise or discharge those powers.

Power of entry

37. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Parishad in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Parishad under this Act:

Provided that no such person shall enter any building, or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling- house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice in writing of his intention to do so.

Officers and employees of the Parishad to be public servants

38. The Officers and other employees of the Parishad shall be deemed, when acting or purporting to Act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Parishad, Planning and Development Committee, their members, officers or employees including any other person authorized by them to exercise any power or to discharge any function under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

Power to make rules

40. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the terms and conditions of the office of the members as required by sub-section (4) of section 3 and sub-section (3) of section 6;

(b) the form and manner in which notice under sub-section (1) of section 18 and sub-section (2) of section 20 shall be published;

(c) the manner in which notice under sub-section (1) of section 19 shall be published;

(d) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be or may be made by rules.

Power to make regulations

41. (1) The Parishad may, with the previous approval of the State Government by notification in the *Gazette* make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such regulations may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the manner in which and the purpose for which the Parishad may associate with itself any person under section 17;

(b) the terms and conditions of service of the officers and employees of the Parishad under sub-section (4) of section 35;

(c) any other matter in respect of which provision is to be or may be made by Regulations.

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Dissolution of the Parishad

42. (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Parishad was established under this Act have been substantially achieved or the Parishad has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Parishad in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may, by notification in the *Gazette*, declare that the Parishad shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Parishad shall be deemed to have been dissolved accordingly.

(2) From the said date–

(a) all properties, fund and dues which are vested in or, realizable by the Parishad shall vest in, or be realizable by, the State Government;

(b) all liabilities which are enforceable against the Parishad shall be enforceable against the State Government;

(c) for carrying out any work which has not been fully carried out by the Parishad and for realizing properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Parishad shall be discharged by the State Government.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government from reconstituting the Parishad in accordance with the provisions of this Act.

Power to remove difficulties

43. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub -section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of the State Government.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been felt a need to provide for the constitution of Shree Shuk Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Shuk region in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Muzaffarnagar in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Shuk region and for matters connected therewith or incidental thereto.

In view of the above, it has been decided to make a law to provide for the establishment of Shree Shuk Teerth Vikas Parishad.

The Uttar Pradesh Shree Shuk Teerth Vikas Parishad Bill, 2023 is introduced accordingly.

JAIVEER SINGH
Mantri,
Paryatan.

———

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 813 राजपत्र–2023–(2311)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

813 RPH (Shuk Teerth) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–211 (क–5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2312 / वि0स0 / संसदीय / 111(सं)-2023
लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

देवीपाटन धाम की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी देवीपाटन धाम की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला बलरामपुर के किसी विभाग / स्थानीय निकाय / प्राधिकरण को देवीपाटन क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला बलरामपुर के भीतर स्थित तहसील तुलसीपुर की सीमाओं में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) ''देवीपाटन क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व तहसील तुलसीपुर जिला—बलरामपुर के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(ङ) "कियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार या भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे कियान्वित करने के लिये चयनित राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू—बद्ध चीजें या भू—बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला बलरामपुर के भीतर किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या तद्धीन किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(झ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(ञं) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या बलरामपुर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके कियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ट) ''योजना'' का तात्पर्य श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ढ) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को कियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ण) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(त) "श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास योजना'' का तात्पर्य देवीपाटन क्षेत्र के विकास के लिए और धार्मिक कियाकलापों तथा अध्यात्मिक पर्यटन हेतु आवश्यक रूप में पर्यटन एवं संस्कृति की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है। न्यास का कृत्य देवीपाटन क्षेत्र के दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अध्याय—दो

श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद

श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन और निगमन

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष— मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, धारा 4(1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह—संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) अध्यक्ष, विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बलरामपुर पदेन;

(द) कार्यपालक अधिकारी, बलरामपुर नगर पालिका परिषद, पदेन;

(ध) उत्तर प्रदेश के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पाँच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(न) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, तीन वर्ष की अवधि के लिये और परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम—निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4—(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) परिषद का एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के ज्येष्ठ प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का अधिकारी होगा और सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त या संविदा पर लिये गये समस्त अधिकारी और कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे;

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते, जैसा कि पैतृक विभाग में उसके द्वारा धारित श्रेणी के लिए या किसी विशेष शासनादेश द्वारा लागू हो, प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिसे आगे सी0ई0ओ0, कहा गया है) की सहायता, सहायक मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता एक नगर योजनाकार, एक अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता, तीन अवर अभियंता और चार प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग करेंगे, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति होंगे। कर्मचारिवर्ग के लिए वेतन और भत्ते वहीं होंगे जो पैतृक विभाग में होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संविदा के आधार पर नियोजित किये जायेंगे और उनकी परिलब्धियों तथा वेतन संरचना का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी भर्ती और वेतन संरचना परिषद् के अनुमोदन पर होगी;

(7) परिषद् के पास अपेक्षानुसार अधिकारियों या कर्मचारिवर्ग की संख्या में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार होगा।

कार्यपालक समिति

5—(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे;

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के विनिश्चयों की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी;

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(क) आयुक्त, देवीपाटन, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, पदेन;

(घ) प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रखण्ड पदेन;

(ङ) मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर, पदेन;

(च) अपर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, पदेन;

(छ) कार्यपालक अधिकारी, बलरामपुर नगर पालिका परिषद, पदेन;

(ज) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गोण्डा, देवीपाटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (नगरीय एवं ग्रामीण), बलरामपुर, पदेन;

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर, पदेन;

(ड) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बलरामपुर, देवीपाटन मण्डल पदेन;

(ढ़) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(ण) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(त) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पर्यावरण विद्;

(थ) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(ध) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (थ), (द), (ध) और (न) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

परिषद का मुख्यालय

8–परिषद का मुख्यालय बलरामपुर में होगा।

परिषद की बैठकें

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11–परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

बैठक की गणपूर्ति — 12—परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो—तिहाई सदस्यों से निकटतम पूर्णांकित रूप से होगी।

अध्याय—तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति — 13—परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगीः—

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, देवीपाटन की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के प्रवर्तन विनियमन और क्रियान्वयन के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर की अध्यक्षता में परिषद् द्वारा एक समिति गठित की जायेगी। समिति के गठन में कोई परिवर्तन करने का अधिकार परिषद् के पास आरक्षित है।

(घ) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(ङ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(च) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(छ) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(ज) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण देवीपाटन क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(झ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(ञ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य — 14—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) देवीपाटन क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा देवीपाटन की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) पर्यटन विभाग की ओर से देवीपाटन के लिये बजट का उपबंध किया जायेगा और निधि लाभांश के आधार पर अन्य स्रोतों यथा दान, किरायों तथा अवसंरचनात्मक उपयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी की रीति से ग्रहण की जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(च) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(छ) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(ज) देवीपाटन क्षेत्र में नदियों और जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(झ) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(ञ) देवीपाटन क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों–सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ट) देवीपाटन क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ठ) परिषद् निधि व्यवस्था को गतिशील करने के लिये न्यास और प्रतिधारण खाता, या इस्क्रो खाता खोल सकती है;

(ड) देवीपाटन क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया–कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौपें जायं;

(2) जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/ परियोजनों की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय—चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16—(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें देवीपाटन क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया—कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका देवीपाटन क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा देवीपाटन की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात् :—

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू—उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी करण करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) देवीपाटन क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले ऐसे अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए, परिषद, ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपतियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात्, परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी। योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

20—(1) परिषद, उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू—उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो; योजना का उपान्तरण

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय। योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा—स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

22—(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है; परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय—व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित् करना होगा।

अध्याय—पाँच

वित्त, लेखा और लेखा—परीक्षा

23—राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे। सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

निधि का गठन

24—(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी—

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) अन्य स्रोतों यथा—मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा—

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) देवीपाटन क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहभागी विभागों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय—व्ययक

25—परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय—व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26—परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया—कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा—परीक्षा

27—(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप, जैसा कि विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के लिये लागू हो, में तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा—परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा—परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा—परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो;

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा—परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार;

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा—परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय;

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है;

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो;

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे कियान्वित करने के पश्चात् देवीपाटन क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने के लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम हेतु अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1) राज्य सरकार प्रत्येक के लिए एक व्यक्ति को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो;

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संविदा के आधार पर की जायेगी। विधि सलाहकार को प्रत्येक वाद के आधार पर संदाय किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे;

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद् की निधियों से वेतन तथा भत्तें प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो :

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है;

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा(4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है;

(ङ) परिषद् के अधिकारीगण, किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के अनुमोदन से लिये जा सकते हैं;

(च) परिषद के लिये पारदर्शिता लाने तथा आचार सम्बंधित कार्य हेतु समस्त विभागों के लिये समय—समय पर सरकार द्वारा जारी सामान्य नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करना आवश्यक है।

विनियम बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो;

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं; अर्थात्

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तद्नुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुर्नगठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

देवीपाटन धाम की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी देवीपाटन धाम की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के कियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला बलरामपुर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को देवीपाटन क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना का उपबन्ध करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023 पुरः स्थापित किया जाता है।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के अध्याय–2 के खण्ड 4(1) में एक कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा 4(2) में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किये जा रहें हैं। उक्त विधेयक के प्रवर्तन में आने पर उक्त प्रावधानों से राज्य की समेकित निधि से आवर्तक व्यय होगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जयवीर सिंह
मंत्री,
पर्यटन।

811 RPH (Shree Devipatan Dham) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है -:

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् का गठन करने की शक्ति प्रदान की जा रही है, जिसे ''श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद्'' के नाम से जाना जायेगा।
3(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उक्त उपखण्ड 3 के खण्ड (ध) और (न) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
6(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उक्त उपखण्ड 2 के खण्ड (थ), (द), (ध) और (न) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है।
18(1)	इसके द्वारा परिषद को नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना को तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
19	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति से नोटिस प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की जा रही हैं।
20(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को यथा विहित रीति तथा प्रारूप से आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
25	इसके द्वारा परिषद् को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तथा समय पर वित्तीय वर्ष का आय–व्ययक तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
26	इसके द्वारा परिषद को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में वार्षिक क्रिया–कलापों की रिपोर्ट तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
27(1)	इसके द्वारा परिषद को लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
35(4)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उपखण्ड (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
40 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
41 (1)	इसके द्वारा परिषद् को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
42 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा परिषद के विघटन की शक्ति प्रदान की जा रही है।
43 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही हैं।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

जयवीर सिंह

मंत्री,

पर्यटन।

———

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 1182/XC-S-1–23-12S-2023

Dated Lucknow, December 20, 2023

———

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHREE DEVIPATAN DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD BILL, 2023

A

BILL

To provide for the constitution of Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Devipatan Dham's in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Balrampur in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Devipatan region and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Act, 2023 .

(2) It extends to the boundaries of Tulsipur tehsil situated within the revenue District of Balrampur in Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* , appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Devipatan Region" means the whole of the area within the revenue Tehsil of Tulsipur in District Balrampur of Uttar Pradesh;

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Parishad appointed under section 4;

(c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(d) "Executive Vice-Chairperson" means the Executive Vice-Chairperson of the Parishad appointed under section 4;

(e) "Implementing agency" means a department of the State Government or a public undertaking under the jurisdiction of the State Government or the Government of India chosen for preparation and/or implementation of any Project plan;

(f) "Land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(g) "Local body" means a Development Authority, Municipal Body or any other local authority concerned with the urban development within the Balrampur District or any Gram Panchayat under the same;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(h) "Member" means a member of the Parishad or the Planning and Development Committee and includes the Chairperson thereof;

(i) "Parishad" means the Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad constituted under section 3;

(j) "Participating Department" means the State Government Departments or a Local Body in Balrampur District whose activities have or are likely to have bearing on the functions of the Parishad;

(k) "Plan" means the Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Plan;

(l) "Planning and Development Committee" means the Planning and Development Committee constituted under section 6;

(m) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "Project Plan" means a detailed plan prepared to implement one or more elements to the Plan;

(o) "Regulations" means regulations made by the Parishad under this Act;

(p) "Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Plan" means the plan prepared under this Act for the development of the Devipatan region and for the development of infrastructure facilities for tourism and culture essentially for religious activities and Spiritual Tourism. The function of the trust would be for conservation of the Heritage, both tangible and intangible, in the Devipatan region;

CHAPTER-II

THE SHREE DEVIPATAN DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD

Constitution and incorporation of Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette,* constitute for this Act, a Parishad, to be called the Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad.

(2) The Parishad shall be a corporate body.

(3) The Parishad shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief Minister, Uttar Pradesh who shall be the Chairperson of the Parishad;

(b) Vice-Chairperson-The Minister of Tourism Department, Government of Uttar Pradesh.

(c) Executive Vice-Chairperson-Appointed by Government of Uttar Pradesh under section 4(1).

(d) Member Co-ordinator-The Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism, *ex-officio*;

(e) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Housing and Urban Planning, *ex-officio*;

(f) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance, *ex-officio*;

(g) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Culture, *ex-officio*;

(h) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Religious Affairs, *ex-officio*;

(i) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Urban Development, *ex-officio*;

(j) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Transport, *ex-officio*;

(k) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment, Forest and Climate change, *ex-officio*;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(l) The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Public Works, *ex-officio*;

(m) The Commissioner, Devipatan Division, *ex-officio*;

(n) The District Magistrate, Balrampur , *ex-officio*;

(o) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, *ex-officio*;

(p) The Chief Executive Officer of the Parishad who shall be the Member-Secretary;

(q) The Chairman, Regulated area Development Authority, Balrampur, *ex-officio*;

(r) The Executive Officer Balrampur Nagar Palika Parishad, *ex-officio*;

(s) Five eminent persons having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Uttar Pradesh, to be nominated by the Chairperson in consultation with the State Government ;

(t) Donors who donate a sum of Rs. One crore or more shall be eligible to be considered as a nominated member for a period of three years and upon approval of the Parishad.

(4) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (p) and (q) of sub-section (3) shall be such as may be prescribed.

The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive officer

4. (1) There shall be an Executive Vice-Chairperson of the Parishad to be appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh.

(2) There shall be the Chief Executive Officer of the Parishad to be appointed by the State Government from amongst the Senior PCS officers of the State Government.

(3) The Chief Executive Officer shall be the officer of the Parishad and all the officers and employees appointed by the Government on deputation or taken on contractual basis shall be under the administrative control of the Chief Executive Officer.

(4) The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the fund of the Parishad such salaries and allowances as applicable to the rank held by him/her in the parent department or any special order of the Government and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(5) All orders and decisions and other instruments of the Parishad shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer.

(6) The Chief Executive Officer (hereinafter referred to as "CEO") will be supported by Assistant Chief Executive Officer who shall be of the rank of Additional District Magistrate. The CEO will be assisted by One Town Planner, One Executive Engineer, Two Assistant Engineer, Three Junior Engineer s and Four administrative staff who shall be on deputation from different departments of the State Government. The salary and other allowances for the staff shall be as in the parent department. The class IV employees shall be employed on contractual basis and their emolument and salary structure will be decided by the Parishad. Moreover, their recruitment and salary structure will be on the approval of the Parishad.

(7) The Parishad shall have the right to increase or decrease number of officers or staff as per the requirement.

The Executive Committee

5. (1) There shall be an Executive Committee to exercise the powers and the functions of the Parishad in the event of an emergency or other time-sensitive matters when it is not practicable to assemble the entire Parishad. The Executive Committee shall comprise of all the *ex-officio* members of the Parishad and shall be chaired by the Chief Secretary .

(2) The Parishad shall, in its next meeting, review the decisions of the Executive Committee and may modify, reject or rectify the action taken by the Executive Committee.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Composition of the Planning and Development Committee

6. (1) The Parishad shall, as soon as may be, after the commencement of this Act, constitute a Planning and Development Committee, for assisting the Parishad in the discharge of its functions.

(2) The Planning and Development Committee shall consist of the following members, namely: -

(a) the commissioner, Devipatan mandal , who shall be the Chairperson, *ex-officio;*

(b) the Chief Executive Officer, who shall be the Member Secretary,

(c) the Senior Superintendent of Police, Balrampur, *ex-officio;*

(d) the Divisional Forest Officer, Sohelwa Wildlife Division, *ex-officio;*

(e) the Chief Development Officer, Balrampur, *ex-officio;*

(f) the Additional Superintendent of Police, Balrampur *ex-officio ;*

(g) the Executive Officer, Balrampur Nagar Palika Parishad , *ex-officio;*

(h) the Sahyukt Niyojak, Nagar evam Gram Niyojan Vibhag, Ayodhya, Uttar Pradesh, *ex-officio*;

(i) the Superintending Engineer, Public Works Departments, Balrampur, *ex-officio;*

(j) the Superintending Engineer, Drainage Board Gonda, Devipatan, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, *ex-officio;*

(k) the Superintending Engineer, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (Urban and Rural), Balrampur, *ex-officio;*

(l) the Superintending Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Balrampur, *ex-officio;*

(m) the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Balrampur/ Devipatan Division, *ex-officio;*

(n) the Regional Tourist Officer, Ayodhya, *ex-officio;*

(o) a Landscape Designer and interpretive planner, to be nominated by the State Government;

(p) an Environmentalist to be nominated by the State Government;

(q) an Eminent historian having experience in the cultural and mythological history of the state, to be nominated by the State Government;

(r) a Litterateur or an Artist of repute having experience of the state, to be appointed by the State Government;

(s) an Eminent lawyer, to be appointed by the State Government;

(t) two eminent public representatives or Social Workers, to be appointed by the State Government;

(3) The terms and conditions of office of the members nominated under clauses (q), (r), (s) and (t) of sub- section (2) shall be such as may be prescribed.

Power to co-opt

7. (1) The Parishad or the Planning and Development Committee may meet at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Parishad or of the Planning and Development Committee;

(2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Parishad or of the Planning and Development Committee, as the case may be, but shall not be entitled to vote.

Headquarters of the Parishad

8. The headquarter of the Parishad shall be at Balrampur.

Meetings of the Parishad

9. The Parishad shall meet at such times and at such place as may be determined by it from time to time.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Meetings of the Planning and Development Committee

10. The Planning and Development Committee shall meet at such times as may be decided by the Chairperson of the Planning and Development Committee or directed by the Vice-Chairperson of the Parishad but the time between two consecutive meetings shall not exceed sixty days.

Vacancies, *etc.* not to invalidate proceedings of the Parishad or the Planning and Development Committee

11. No act or proceeding of the Parishad or of the Planning and Development Committee shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Parishad or the Planning and Development Committee as the case may be.

Quorum of the meeting

12. The quorum for the meetings of the Parishad and the Planning and Development Committee shall comprise of 2/3 rd of the members, rounded down to nearest integer.

CHAPTER-III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD AND OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT COMMITTEE

Power of the Parishad

13. The powers of the Parishad shall include the powers to-

(a) call for reports and information from the Participating Departments with regards to preparation, enforcement and implementation of the Plan and the Projects;

(b) ensure that the preparation, enforcement and implementation of the Plan or the Project is in conformity with the Devipatan Culture and Architecture;

(c) a committee will be formed by the Parishad under the Chairmanship of District Magistrate Balrampur for enforcement, regulation and implementation of the plan. The Parishad reserves the right to make any changes in the constitution of the committee;

(d) indicate the stages for the implementation of the Plan;

(e) review the implementation of the Plan and the Projects;

(f) select and approve comprehensive projects from the participating Departments, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Parishad may deem fit;

(g) levy fee or charges for providing services and facilities or for maintenance and development thereof from the tourists;

(h) *suo-moto* take up any work/project to promote and secure the development, re-development and beautification of any area in the entire Devipatan region;

(i) select an Implementing Agency for preparation and implementation of any Project plan in a transparent manner by following all the rules and regulations of the state government of Uttar Pradesh;

(j) entrust to the Planning and Development Committee such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Act.

Functions of the Parishad

14. The functions of the Parishad shall be-

(a) to prepare the Plan;

(b) to arrange for the preparation of projects by any of the Participating Departments (All departments of State Govt.);

(c) to co-ordinate the enforcement and implementation of the Plan and the Projects through any one or more of the Participating Departments or Implementing Agencies;

(d) to ensure proper and systematic programming by the participating departments regarding project formulation, determination of priorities in the Devipatan region and phasing of development of infrastructural facilities for tourism and conservation of the Devipatan Heritage in accordance with stages indicated in the Plan;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(e) there will be budgetary provision for the Devipatan from the Department of Tourism and Fund will be raised from other sources like donations, rentals, utilization of infrastructure under PPP mode on profit sharing basis;

(f) to make concerted efforts towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(g) to undertake and encourage research in the field of heritage of the region;

(h) to undertake conservation and development of rivers and water bodies and their catchments in the Devipatan Region, to undertake measures for pollution control therein and development of river fronts and water bodies;

(i) to formulate Architectural Regulations to bring about uniformity of the buildings and structures in conformity with the heritage architecture of the region;

(j) to formulate policies to ensure co-ordination between various stakeholders-Government Departments, Local Bodies, Temple Management/Trusts, Self Help Groups, Researchers and Scholars for integrated development of tourism infrastructure and Activities/projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich cultural heritage of the Devipatan region;

(k) to arrange for, and oversee, the financing of selected development projects in the Devipatan region through State funds and other sources of revenue like funds from Temple Trusts, donations, Non-government Organization, company/firms and tourists, etc;

(l) the Parishad may open Trust and Retention Account (TRA) account or Escrow Account for mobilization of funding;

(m) to coordinate with authorities in adjoining regions in matters and activities there that have or may have a bearing in Devipatan region to promote harmony in actions.

Functions of the Planning and Development Committee

15. (1) The functions of the Planning and Development Committee shall be to assist the Parishad in-

(a) the preparation and co-ordinated implementation of the Plan and the Projects;

(b) scrutinizing the projects of the Participating Department or an implementing agency to ensure that the same are in conformity with the Plan;

(c) making of such recommendations to the Parishad as it may think necessary to amend or modify any Plan;

(d) co-ordinating and Implementing different Projects at the District level;

(e) performing of such other functions, in connection with the administration of this Act, as may be entrusted to it by the Parishad.

(2) Different Government departments in the District having departmental budget sanctions and other implementing agencies shall also co-ordinate with the Planning and Development Committee to ensure convergence and co-ordination of their schemes/Projects with those which are under the Plan.

CHAPTER-IV

THE PLAN AND THE PROJECT PLANS

Contents of the Plan

16. (1) The Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations, and descriptive matters, as the Parishad may deem appropriate for explaining or illustrating the proposals contained in the Plan and every such maps, diagrams, illustration, and descriptive matters shall be deemed to be a part of the Plan;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) The Plan shall indicate the way the development activities in the Devipatan Region or conservation and such other matters, as are likely to have any important influence on the development of the tourism in Devipatan Region and conservation of Devipatan Heritage shall be undertaken. The Plan shall include the following elements needed to achieve objectives of the Plan, namely:–

(a) the policy to regulate land-use and the allocation of land for different uses;

(b) the proposals for major Urban settlement pattern and architectural regulations;

(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) the proposals regarding transport and communication including railways and arterial roads serving the region including local transport;

(e) the proposal for the supply of urban services like drinking water, sewerage and drainage;

(f) indication of the areas which require immediate development as priority areas;

(g) the proposals towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(h) such other matter as may be included by the Parishad in consultation with the concerned participating departments for the proper planning for the growth and balanced development of the Devipatan Region.

Surveys and Studies

17. For the preparation of the Plan, the Parishad may cause such surveys and studies as it may consider necessary to be made by such participating departments or persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by it.

Procedure to be followed for preparation of the Plan

18. (1) Before finalising the Plan, the Parishad shall prepare with the assistance of the Planning and Development Committee, a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Parishad shall also give reasonable opportunities to every Local Authority/ Department, within whose local limits, any land affected in any manner by the Plan is situated, to make any representation with respect to the draft Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that have been received by the Parishad, the Parishad shall finally prepare the Plan.

Date of coming into operation of the Plan

19. Immediately after the Plan has been finally prepared, the Parishad shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice stating that the Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into force and will be deemed to have been duly prepared.

Modifications of the Plan

20. (1) The Parishad may, subject to the provisions of sub-section (2) make such modifications in the Plan, as it may think fit, which in its opinion do not affect important character of the Plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

(2) Before making any modification in the finally prepared plan the Parishad shall publish a notice in such form and in such manner as may be prescribed indicating therein the modifications which are proposed to be made in the finally prepared Plan, and inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modifications before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every modification made under this section shall be published in such manner as the Parishad may specify and the modification shall come into operation either on the date of such publication or on such later date as the Parishad may fix.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(4) If any question arises whether the modifications proposed to be made are modifications which affect important character of the Plan, it shall be decided by the Parishad whose decision thereon shall be final.

Review and revision of the plan

21. (1) After every five years from the date of coming into operation of the finally prepared Plan, the Parishad shall review such Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Plan or may carry out such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary in concurrence with Planning and Development Committee.

(2) Where it is proposed to substitute the Plan with a fresh Plan or where it is proposed to carry out any modification or alteration, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Plan referred to in section 18 and 19 or as if they were the modifications or alterations in the plan made under section 20.

Preparation of the Project Plan, co-ordination and convergence

22. (1) A participating department may, by itself or in collaboration with one or more of the participating departments, as the case may be, prepare Project Plans for one more element of the Plan.

(2) Various participating departments in the district receiving grants, loans or budget sanctioned by the State Government, shall ensure convergence/co-ordination of their departmental schemes with the schemes/projects under the Plan.

CHAPTER-V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants, advances, loans by the government

23. The State Government may, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, make to the Parishad grants, advances and loans of such sums of money as it may consider necessary to enable the Parishad to carry out its functions under this Act.

Constitution of the fund

24. (1) There shall be constituted a Fund to be called the **Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Fund** , to be maintained in a separate bank account of its own and there shall be credited thereto,-

(a) any grants and loans made to the Parishad by the State Government under section 23;

(b) all sums paid to the Parishad by the participating departments;

(c) sums received from other sources such as Temple Trusts, donations from Non-Government Organization, companies, firms and individuals, etc; and

(d) any other sums received by the Parishad from such other sources as may be decided upon by the State Government in consultation with the Parishad.

(2) The sums credited to the Fund referred to in sub-section (1) shall be applied for-

(a) meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Executive Vice-Chairperson, Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Parishad and for meeting other administrative expenses of the Parishad;

(b) conducting surveys, preliminary studies and drawing up plans/projects for the Devipatan Region;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(c) providing financial assistance to the participating departments and Implementing Agencies for the implementation of the Plan and the projects;

(d) meeting any other expenses incurred by the Parishad in the administration of this Act.

Budget

25. The Parishad shall prepare in such form and at such time every year, as the State Government may specify, a budget for the next ensuing financial year and forward the same to the State Government at least ninety days prior to the commencement of the financial year.

Annual Report

26. The Parishad shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Accounts and audit

27. (1) The Parishad shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as applicable to the various State Government Departments.

(2) The accounts of the Parishad shall be subject to audit annually by the Examiner, Local fund Accounts and/or the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall,

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts; and

(c) in the case of any other auditor, be as prescribed;

(4) The Parishad shall furnish, to the State Government annually or at such times as may be directed by it, a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

Annual report and Auditor's report to be laid before the State legislature

28. The State Government shall cause the annual report and the auditor's report to be laid as soon as may be after their receipts, before each House of the State Legislature while it is in session.

CHAPTER-VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

Acquisition of Land for the purpose of the Bill

29. (1) If, in the opinion of the State Government, any land is required for the development or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land under the provisions of the Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 [Act No. 30 of 2013].

(2) Where any land has been acquired by the State Government, it may, after it has taken possession of the land, transfer the land to the Parishad for the purpose for which the land has been acquired on payment by the Parishad of the compensation awarded under the Act referred to in sub section (1) and of the charges incurred by the State Government in connection with the acquisition.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the land acquired by the State Government and transferred to the Parishad may be transferred by the Parishad to such agency owned or controlled by State Government, in such manner and subject to such terms and conditions as it may consider expedient for securing the development of the Devipatan region after undertaking or carrying out such development as it thinks fit for the purpose of this Act.

No change of purpose allowed

30. No change of purpose or related purposes for which land is originally sought to be acquired shall be allowed except for as provided in the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

Return of unutilised land

31. When any land acquired for this Act remains unutilized it shall be disposed of according to the provisions of the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Provisions to be in addition to existing laws

32. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or law for the time being in force.

Power of the State Government to give directions

33. The State Government may, from time to time, give such directions to the Parishad as it may think fit for the efficient administration of this Act and the Parishad shall be bound to comply with such directions.

Technical Assistances to the Parishad/ Planning and Development Committee

34. (1) The State Government may direct any of its departments to provide, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, such technical assistance to the Parishad as it may consider necessary.

(2) With a view to enabling the Planning and Development Committee to discharge its functions, the Parishad shall, out of the technical assistance received by it under sub-section (1) make available to the Planning and Development Committee such technical assistance as the Planning and Development Committee may require.

Officers and employees of the Parishad

35. (1) The State Government may appoint one person each as Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer of the Parishad who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Parishad or the Chief Executive Officer.

(2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Parishad may, subject to any rules that may be made in this behalf, make appointments on such post and determine the designations and grades of persons so appointed as may be necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(3) There shall be a legal advisor to advise the Parishad in legal matters, who shall be appointed on contractual basis by the State Government as approved by Board of Trustees. The legal advisor shall be paid case to case basis.

(4) The qualifications, terms and conditions of service and functions and duties of officers and employees, appointed under sub-section (2), shall be such as may be prescribed.

(5) The Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other Officers and employees of the Parishad shall be deputed from any department on deputation and shall be entitled to receive the salaries and allowances from the funds of the Parishad for a minimum period of 3 years and maximum period of 5 years with the approval of the State Government.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Delegation

36. The Parishad may, by general or special order, direct that any function or power (other than the power to approve the Plan, modifications and alterations therein and to make regulations), or duty performed, exercised or discharged by it under this Act or the rules made there under shall, subject to such conditions, if any, as may specified in such order, be performed, exercised or discharged also by such officer as may be specified in the said order and where any such delegation of power is made, the officer to whom such power is delegated shall perform, exercise or discharge those powers.

Power of entry

37. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Parishad in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Parishad under this Act :

Provided that no such person shall enter any building, or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling- house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice in writing of his intention to do so.

Officers and employees of the Parishad to be public servants

38. The Officers and other employees of the Parishad shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Parishad, Planning and Development Committee, their Members, officers or employees including any other person authorized by them to exercise any power or to discharge any function under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

Power to make rules

40. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette* , make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the terms and conditions of the office of the members as required by sub-section (4) of section 3 and sub-section (3) of section 6;

(b) the form and manner in which notice under sub-section (1) of section 18 and sub-section (2) of section 20 shall be published;

(c) the manner in which notice under sub-section (1) of section 19 shall be published;

(d) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be or may be made by rules;

(e) the officer's staff for the Parishad may be taken from any of the Departments on the basis of deputation for a minimum period of 3 years and maximum period of 5 years with the approval of the State Government;

(f) the Parishad must follow the general rules and guidelines issued by the Government, for all departments from time to time for bringing transparency and ethical work.

Power to make regulations

41. (1) The Parishad may, with the previous approval of the State Government by notification in the *Gazette* make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

811 RPH (Shree Devipatan Dham) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(a) the manner in which and the purpose for which the Parishad may associate with itself any person under section 17;

(b) the terms and conditions of service of the officers and employees of the Parishad under sub-section (4) of section 34;

(c) any other matter in respect of which provision is to be or may be made by Regulations.

Dissolution of the Parishad

42. (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Parishad was established under this Act have been substantially achieved or the Parishad has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Parishad in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may, by notification in the *Gazette,* declare that the Parishad shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Parishad shall be deemed to have been dissolved accordingly.

(2) From the said date–

(a) all properties, fund and dues which are vested in or, realizable by the Parishad shall vest in, or be realizable by, the State Government;

(b) all liabilities which are enforceable against the Parishad shall be enforceable against the State Government;

(c) for carrying out any work which has not been fully carried out by the Parishad and for realizing properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Parishad shall be discharged by the State Government.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government from reconstituting the Parishad in accordance with the provisions of this Act.

Power to remove difficulties

43. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of the State Government.

811 RPH (Shree Devipatan Dham) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been felt a need to provide for the constitution of Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Devipatan Dham in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Balrampur in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Devipatan region and for matters connected therewith or incidental thereto.

In view of the above, it has been decided to make a law to provide for the establishment of Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad.

The Uttar Pradesh Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Bill, 2023 is introduced accordingly.

JAIVEER SINGH
Mantri,
*Paryatan***.**

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 811 राजपत्र—2023—(2309)—599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

811 RPH (Shree Devipatan Dham) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–42

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2023

फाल्गुन 18, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 211 / वि0स0 / संसदीय / 08(सं)-2023

लखनऊ, 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 फरवरी, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 26—क का संशोधन

2—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26—क में, उपधारा (1) तथा उपधारा (2) में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" रख दिये जायेंगे;

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वेतन, भत्तों का भुगतान तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के भूतपूर्व सदस्य पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26—क की उपधारा (2) के अधीन मृत भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नियाँ भी पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) को संशोधित करके भूतपूर्व सदस्यों के लिए अनुमन्य पेंशन को दस हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया। अतएव उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात दिनांक 11 सितम्बर, 2016 के पश्चात् मृत भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नियाँ, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये पेंशन अथवा मृत भूतपूर्व सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन, जो भी अधिक हो, के लिए हकदार हैं। किन्तु पूर्वोक्त अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने से पूर्व मृत भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नियों की पारिवारिक पेंशन, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26—क की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार अधिकतम दस हजार रुपये अथवा मृत भूतपूर्व सदस्य को अन्यथा अनुमन्य सीमा तक सीमित है। अतएव ऐसे पति/पत्नियाँ, दिनांक 11 सितम्बर, 2016 के पश्चात् मृत भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नियों की तुलना में बहुत कम पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे/रही हैं। इस विसंगति को दूर करने और ऐसे पति/पत्नियों को पच्चीस हजार रुपये न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की प्रसुविधा प्रदान किये जाने का उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
संसदीय कार्य।

———————

<u>उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन—पत्र।</u>

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के खण्ड—2 द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2016 से पूर्व दिवंगत विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों के आश्रित पति/पत्नी को अनुमन्य पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि में वृद्धि की जा रही है, जिसके फलस्वरूप उक्त विधेयक के प्रावधानों के प्रवर्तन में आने पर राज्य की समेकित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त है। इस सम्बन्ध में लगभग रु0 5,44,16,000.00 (रुपये पाँच करोड़ चौवालीस लाख सोलह हजार मात्र) का अतिरिक्त आवर्तक व्यय अनुमानित है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
संसदीय कार्य।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980

धारा

[26–क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय तो मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो, के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय ऐसे भूतपूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।]

[परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।]

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 821/XC-S-1–23-02S-2023
Dated Lucknow, March 9, 2023

———

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Upalabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 22, 2023.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 .

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2023. Short title and commencement

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 26-A of U.P. Act no. 23 of 1980

2. (1) In section 26-A of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, in sub-sections (1) and (2) *for* the words "ten thousand" the words "twenty five thousand" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 has been enacted to consolidate and amend the law relating to payment of salaries, allowances and other facilities to the members of the State Legislature.

Under the aforesaid Act, the *ex-members* of either house of State Legislature are entitled to get pension and other benefits. The spouses of deceased *ex-members* are also entitled to get family pension under sub-section (2) of section 26-A of the aforesaid Act. Through the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016, the pension admissible to *ex-members* was raised from rupees ten thousand to rupees twenty five thousand by amending the sub-section (1) of section 24 of the aforesaid Act. Therefore the spouses of those *ex-members* who expired after the commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016 *i.e.*, September 11, 2016, are entitled to a minimum pension of rupees twenty five thousand or pension otherwise admissible to the deceased *ex-member*, whichever is greater. But the family pension of spouses of those *ex-members* who expired before the commencement of the aforesaid Act of 2016 is confined to a maximum limit of rupees ten thousand or pension as otherwise admissible to the dues *ex-members* as per the provision of sub-section (2) of section 26-A of the aforesaid Act. Therefore such spouses are getting much less family pension as compared to spouses of those *ex-members* who expired after September 11, 2016. To remove this discrepancy and to provide for giving the benefit of a minimum family pension of rupees twenty five thousand to such spouses, it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2023 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA
Mantri,
Sansadiya Karya.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1255 राजपत्र–2023–(2098)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1255 RPH 2023 (Members Emolution and Pension) (Sansadiya) Data 4e

क्रम-संख्या–211 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2349 / वि0स0 / संसदीय / 112(सं)-2023

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 नवम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :—

''(ठ) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा;।''

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

''(1—झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1—ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।''

''(1—ट) जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।''

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप धारा (2—छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

''(2—ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2—झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2—ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।''

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में ,— अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या—6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''6—डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या—

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुलतानपुर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिले''

(ख) क्रम संख्या—7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''7—महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले
(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले''

(ग) क्रम संख्या—10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''10—महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी—

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक	वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;
(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर	वाराणसी, चंदौली जिले,''

(घ) क्रम संख्या—13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''13—सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर—

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले''

(ङ) क्रम संख्या–17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

''18–माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले
19–माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र जिले
20–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले''

कठिनाईयों को दूर किया जाना

6–(1) राज्य सरकार माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर या माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के अनुसरण में देवीपाटन मण्डल, विन्ध्याचल मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल, प्रत्येक में उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता थी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उपर्युक्त के दृष्टिगत, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा में, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर में, माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर; और मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना का उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम, में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा ।

———

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4, धारा 50, धारा 52 एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची–5 में यथावश्यक संशोधन के प्राविधान किए जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रवर्तन के आने पर राज्य की समेकित निधि से आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय होगा।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा ।

———

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

अनुसूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुलतानपुर जिले

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुसूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
7	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले
*	*	*
*	*	*
10	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर और सोनभद्र जिले
*	*	*
*	*	*
13	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	बलरामपुर, बस्ती, महराजगंज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिले

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1187/XC-S-1–23-17S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2023 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 30, 2023.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 8, 2023.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A) *after* clause (k), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(l) a University to be known as Maa Pateswari Devi State University, Balrampur;

(m) a University to be known as Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur;

(n) a University to be known as Uttar Pradesh State University, Moradabad."

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-H), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

"(1-I) Until the First Statutes of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under this section, the Statutes of the University of Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-J) Until the First Statutes of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under this section, the Statutes of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-K) Until the First Statutes of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under this section, the Statutes of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of section 52

4. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-G) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

"(2-H) Until the First Ordinances of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under sub-section (2), the Ordinances of the Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-I) Until the First Ordinances of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-J) Until the First Ordinances of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

807 RPH (State University) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) *for* the entries appearing at serial no. 6, the following entries shall *substituted*, namely :-

"6 . Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Barabanki, and Sultanpur."

(b) *for* the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall *substituted*, namely :-

"7. Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly -

(i)	Until the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Bijnor, Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Rampur and Sambhal.
(ii)	Upon the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur."

(c) *for* the entries appearing at serial no. 10, the following entries shall *substituted*, namely :-

"10. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi -

(i)	Until the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Mirzapur, Sonbhadra
(ii)	Upon the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli."

(d) *for* the entries appearing at serial no. 13, the following entries shall *substituted*, namely :-

"13. Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Balrampur, Shravasti, Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar."

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(e) *after* serial no. 17, the following serial numbers and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

"18.	Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Bahraich, Gonda, Balrampur, Shravasti Districts.
19.	Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Mirzapur, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Sonbhadra Districts.
20.	Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal Districts."

Power to remove difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur, or Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur, or Uttar Pradesh State University, Moradabad, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act .

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 18 of 2023

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) President's Act no. 10 of 1973(has been enacted to amend and consolidate the laws relating to certain Universities in the State of Uttar Pradesh.

The Government of Uttar Pradesh has set a vision of establishing one State University in each division to provide quality higher education. In pursuance of this goal, there was a need to establish one State University each in Devipatan division, Vindhyachal division and Moradabad division to ensure availability of higher education.

In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to provide for the establishment Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur in Devipatan division, Gonda; Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur in Vindhyachal division, Mirzapur; and Uttar Pradesh State University, Moradabad in Moradabad division, Moradabad.

807 RPH (State University) (Sansadiya) 2023 Data 1e

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023(U. P. Ordinance no. 18 of 2023 (was promulgated by the Governor on 8th November, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uccha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 807 राजपत्र–2023–(2305)–599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

807 RPH (State University) (Sansadiya) 2023 Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(छ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1274 / वि0स0 / संसदीय / 77(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

''(क) 'सुख—सुविधा' में सड़क, जलापूर्ति, मार्ग—प्रकाश, जल—निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल—जल उपचार संयत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधाएं, जैसाकि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख—सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें, सम्मिलित
है; ''

(ख) खण्ड (छछछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

''(छछछ) 'विकास शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में सुख—सुविधाएं प्रदान करने और उनके सुधार एवं अनुरक्षण के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है।''

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

''(टट) 'विशेष सुख—सुविधा' में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाय, सम्मिलित हैं।

''(टटट) 'विशेष सुख—सुविधा शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख—सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है;''

(घ) खण्ड (टट), खण्ड (टटटट) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा;

(ड.) खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

''(दो) 'नगरीय उपयोग प्रभार' का तात्पर्य धारा 38ख के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निकाय से उद्गृहीत प्रभार से है।''

(च) खण्ड (दो) को, खण्ड (तीन) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

''7—प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने, गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सेवाओं, सुविधाओं तथा विशेष सुख—साधनों का उपबंध करने और सामान्यतः ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन कोई कार्य करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत किया जाना नहीं लगाया जायेगा।''

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) महायोजना को प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व, यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझे, पुनरीक्षित किया जा सकता है।''

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5—मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— धारा 15 में संशोधन

''(2ख) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख—सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां प्राधिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विशेष सुख—सुविधा शुल्क उद्‌गृहीत करने का हक होगाः

परन्तु यह कि विशेष सुख—सुविधा शुल्क उद्‌गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्‌गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि इस अधिनियम की धारा 20—क के अधीन यथा स्थापित ''विशेष सुख—सुविधा विकास निधि'' में जमा की जाएगी और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित रीति से एक या उससे अधिक विशेष सुख—सुविधा परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा।''

6—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 20क का बढ़ाया जाना

''20—क(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख—सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां राज्य सरकार संबंधित प्राधिकरण को एक ऐसी पृथक निधि स्थापित करने और उसे अनुरक्षित रखने का निदेश देगी, जिसे ''विशेष सुख—सुविधा विकास निधि'' कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित आगम जमा किये जायेंगेः—

विशेष सुख—सुविधा विकास निधि

(क) धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन विशेष सुख—सुविधा शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि;

(ख) विशेष सुख—सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुपात में तथा रीति से किन्हीं अन्य शुल्कों/प्रभारों के कारण संग्रहीत धनराशि।

(2) निधि का उपयोग सम्बन्धित विशेष सुख—सुविधा परियोजना (परियोजनाओं) की वित्तीय वहनीयता के लिये ही ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष सुख—सुविधा विकास निधि के प्रशासन के लिए अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

(क) सम्बन्धित प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष;

(ग) सम्बन्धित विकास क्षेत्र में विशेष सुख—सुविधा परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण का परियोजना प्रतिनिधि।''

7—मूल अधिनियम की धारा 38क में, उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायेगा। धारा 38क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 38क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 38ख का बढ़ाया जाना

''38ख—जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप सड़क, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख—सुविधाओं से भिन्न किसी विशिष्ट भूमि के भू—उपयोग, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू—उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्‌गृहीत करने का हक होगाः

नगरीय उपयोग प्रभार उद्‌गृहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु यह कि जहां महायोजना प्रथम बार तैयार की जाए, वहां ऐसी भूमि के स्वामी से कोई नगरीय उपयोग प्रभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।''

निरसन और व्यावृत्ति

9—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

——————

उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के योजनानुसार विकास तथा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

भारत सरकार की अमृत योजना के अधीन तैयार की जा रही उत्तर प्रदेश राज्य के 59 नगरों की जी0आई0एस0 आधारित महायोजनाओं और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य नगरों की नयी महायोजनाओं के अधीन विद्यमान भू—उपयोग के उन्नयन की सम्भावना है। नयी महायोजना के अधीन उन्नत भू—उपयोग प्रस्तावित होने के कारण वर्तमान महायोजना के अधीन भू—उपयोग के विरूद्व किये गये सन्निर्माण कार्यों को बिना किसी शुल्क के नियमित कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप विकास प्राधिकरणों को वित्तीय हानि हुयी अतएव विकास प्राधिकरणों को पूर्वोक्त संभावित वित्तीय हानि से बचाव के उद्‌देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन ''विशेष सुख सुविधा'' के रूप में भारी निवेश से अवसंरचना परियोजनाओं को परिभाषित करते हुए ''विशेष सुख-सुविधा शुल्क'' के उद्‌ग्रहण, उन्नत भू—उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृति के समय ''नगरीय उपयोग प्रभार'' संगृहीत किये जाने तथा अनुमोदित महायोजनाओं के दस वर्ष के पश्चात या उससे पूर्व पुनरीक्षण हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में उपबंध किये जाने का विनिश्चय किया गया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, ''नगरीय उपयोग प्रभार'', ''विशेष सुख-सुविधा शुल्क'' और ''महायोजना का पुनरीक्षण'' से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

499 RPH (Nagar Yojna Aur Vikas) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
2(क)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से सड़क, जलापूर्ति, मार्ग–प्रकाश, जल–निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल–जल उपचार संयत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधाओं को ''सुख–सुविधा'' के रूप में विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।
2(ग)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना को ''विशेष सुख–सुविधा'' के रूप में सम्मिलित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।
5	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से जहां किसी विकास क्षेत्र में एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने पर प्राधिकरण को विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत करने हेतु विनिर्दिष्ट किये जाने की शक्ति दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि ''विशेष सुख–सुविधा विकास निधि'' में जमा किये जाने और इसके उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट किये जाने की शक्ति दी जा रही है।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से ''विशेष सुख–सुविधा'' के संबंध में अन्य शुल्कों/प्रभारों के कारण संग्रहीत धनराशि के अनुपात और रीति को विनिर्दिष्ट करने की भी शक्ति दी जा रही है, तथा अधिसूचना के माध्यम से ''विशेष सुख–सुविधा'' विकास निधि का विशेष सुख–सुविधा परियोजना की वित्तीय वहनीयता के लिए रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है, तथा अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक विशेष सुख–सुविधा निधि के प्रशासन के लिए बोर्ड के गठन की शक्ति दी जा रही है।
8	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने की रीति एवं दरों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

499 RPH (Nagar Yojna Aur Vikas) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973

धारा 2(क)	''सुविधा'' के अन्तर्गत है सड़क, जल आपूर्ति, सड़क प्रकाश, जल निकास, मल निकास, लोक कार्य और ऐसी अन्य सुविधा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;
धारा 2(छछछ)	''विकास शुल्क'' से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है, जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, जल निकास, मल निकास, विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति लाइन के निर्माण के लिए धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकास से उद्ग्रहीत है;
धारा 7	प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास सुनिश्चित करना होगा और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, प्रबन्ध और व्ययन करने, भवन निर्माण, अभियन्त्रिकी, खनन एवं अन्य कार्य करने, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के संबंध में कार्य सम्पन्न करने, मल निकास का निस्तारण करने एवं अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा बनाए रखने और साधारणतः ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज करने की शक्ति होगी : परन्तु यह कि जैसे अधिनियम में उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थान्वयन् प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार द्वारा अवमान को प्राधिकृत करने हेतु नहीं किया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1036/XC-1014(003)-9-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "UTTAR PRADESH NAGAR YOJANA AUR VIKAS (SANSODHAN) VIDHEYAK, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from July 10, 2023.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(a) *'amenity'* includes road, water supply, street-lighting, drainage, sewerage, development of public parks and open spaces, solid waste management and disposal, sewage treatment plant and other public works including utilities, services and such other conveniences as the State Government may, by notification in the *Gazette*, specify to be an amenity for the purposes of this Act;"

(b) *for* clause (ggg), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(ggg) *'development fee'* means the fee levied under section15 for providing amenities in the development area and improvement and maintenance thereof;"

(c) *after* clause (k), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(kk) *'special amenity'* includes projects of vital importance such as mass rapid transit systems (metro rail, light rail, regional rapid rail, bus rapid transit system, ropeway, *etc.*), freeways (elevated roads, *etc.*), urban revitalization projects (river front development, *etc.*) or any other major infrastructure project which may be notified to be as such by the State Government;"

"(kkk) *'special amenity fee'* means the fee levied under sub-section (2B) of section 15 for provision of special amenities in the development area and improvement and maintenance thereof;"

(d) clause (kk) shall be renumbered as (kkkk);

(e) *after* clause (l), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(ll) *'urban use charge'* means the charge levied upon a person or body under section 38B;"

(f) clause (ll) shall be renumbered as (lll).

Amendment of section 7

3. *For* section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"7. The objects of the Authority shall be to promote and secure the development of the development area according to plan and for that purpose the Authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose of sewage, provision of other services, facilities and special amenities as the State Government may, by notification in the *Gazette,* specify and generally to do anything necessary or expedient for purposes of such development and for purposes incidental thereto:

Provided that save as provided in this Act, nothing contained in this Act, shall be construed as authorizing the disregard by the Authority of any law for the time being in force."

Amendment of section 8

4. *After* sub-section (3) of section 8 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(4) A master plan may be revised at the end of every ten years or earlier if the State Government so thinks fit."

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of section 15

5. *After* sub section (2-A) of section 15 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2-B) Where in any development area, the State Government declares its intention to undertake one or more special amenity projects, the Authority shall be entitled to levy special amenity fee in such manner and at such rate as State Government may, by notification in the *Gazette*, specify:

Provided that the additional amount levied and collected as a result of levy of special amenity fee shall be credited to the Special Amenities Development Fund as established under section 20-A of this Act and it shall be utilized solely for the purpose of one or more special amenity projects in such manner as may be notified by the State Government from time to time."

Insertion of new section 20-A

6. *After* section 20 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

Special Amenities Development Fund

"20-A (1) Where, in any development area, the State Government declares its intention to undertake one or more special amenity projects, the State Government shall direct the concerned Authority to establish and maintain a separate fund which shall be called the Special Amenities Development Fund and to which the following proceeds shall be credited:-

(a) money collected as special amenity fee under sub-section (2-B) of section 15;

(b) money collected on account of any other fees/charges in relation to the special amenity in such proportion and in such manner as State Government may, by notification in the *Gazette*, specify.

(2) The fund shall be utilized solely for the financial sustainability of the concerned special amenity project(s) in such manner as State Government may, by notification in the *Gazette,* specify.

(3) The State Government shall, by notification, constitute a Board for the administration of each of the Special Amenities Development Fund(s) consisting of the following members:-

(a) the Chairman of the concerned Authority;

(b) the Vice-Chairman of the concerned Authority;

(c) a representative of the project implementation agency of the special amenity project in the concerned development area."

Amendment of section 38-A

7. In section 38-A of the principal Act, the second proviso to sub-section (1) shall be *omitted.*

Insertion of new section 38-B

8. *After* section 38-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

Power of the Authority to levy Urban Use Charge

"38-B. Where, in any development area, the land use of a particular land other than roads, parks and open spaces, green belts, and public amenities is changed to higher use, as specified in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014 as a result of revision of master plan under sub-section (4) of section 8 or preparation of zonal development plan under section 9, the Authority shall be entitled to levy urban use charge on the owner of such land at the time of granting permission under section 15 in such manner and at such rates as may be prescribed:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that where the master plan is prepared for the first time, no urban use charge shall be levied upon the owner of such land."

Repeal and saving

9. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Ordinance, 2023 is herby repealed. U. P. Ordinance no. 12 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) was enacted to provide for the development of certain areas of Uttar Pradesh according to plan and for matters ancillary thereto.

There is a possibility of upgradation of existing land use under the GIS based master plans of 59 cities of the State of Uttar Pradesh and new master plans of other cities of the State of Uttar Pradesh being prepared under the AMRUT Yojna of the Government of India. Due to elevated land use proposed under the new master plan, construction works done against land use under the present master plan were regularized without any fee, and the same resulted in causing financial losses to the development authorities. Therefore, in order to protect the development authorities from the aforesaid possible financial losses it was decided to collect "urban use charges" at the time of approval of map for elevated land use, levy a "special amenity fee" by defining infrastructure projects with heavy investment as "special amenity facilities" under the aforesaid Act, and to make a provision in the aforesaid Act for revision of approved master plans after ten years or earlier.

In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to incorporate provisions pertaining to "urban use charges", "special amenity fee" and "revision of master plans".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 12 of 2023) was promulgated by the Governor on 10th July 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 499 राजपत्र–2023–(1629)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

499 RPH (Nagar Yojna Aur Vikas) (Sansadiya) 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–144(ज)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1302 / वि0स0 / संसदीय / 85(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा-2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में विद्यमान खण्ड–(झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(झ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा या महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर से है।''

धारा-2क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–2–क में,–

(क) उपधारा (1–ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(1–ग) उपधारा (1), (1–क) और (1–ख) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विविद्यालय, कुशीनगर के रूप में जाना जायेगा, की स्थापना की जायेगी।''

(ख) उपधारा–(2) में शब्द और अंक ''उपधारा (1) या उपधारा (1–क) या उपधारा (1–ख)'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उपधारा (1), (1–क) या (1–ख)'' रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

4–मूल अधिनियम की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्या–2 के स्तम्भ–3 की प्रविष्टि से शब्द ''गोरखपुर'', ''बस्ती'' और ''आजमगढ़'' मण्डल निकाल दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या–5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और इससे संबंधित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः–

6	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर	गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़

उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण लोगों के लाभ हेतु और कृषि के विकास में कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करने तथा निगमित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन 1958) अधिनियमित किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लाभों को उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के कृषकों हेतु अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाने तथा पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों को कृषि शिक्षा का लाभ उनके निवास स्थान के निकट उपलब्ध कराने हेतु जिला कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन–पत्र

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य की समेकित निधि से रू0 750.00 करोड़ का अनावर्तक व्यय तथा रू0 20.00 करोड़ का आवर्तक व्यय अनुमानित है।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

———

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर को स्थापित करने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

———

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1958

धारा 2

[2][(ठ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा [3][आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] अथवा [4][चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] है।

धारा 2(क)

x x x x x

[4][(2) [5][(उपधारा (1) या उपधारा (1–क) या उपधारा (1–ख)] के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में,–

(क) राज्य सरकार [6][कुलाधिपति] (Chancellor) से भिन्न] विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्ति अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग–अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।]

अनुसूची

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
1	x x	x x
2	[6][आचार्य] नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	[7][अयोध्या], गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर डिवीजन

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

———

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1039/XC-1014(003)-10–2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Krishi evam Praudyogik Vishvavidyalaya (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 45 of 1958

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (hereinafter referred to as the "principal Act") *for* the existing clause (l), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(l) University means the Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Banda Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda or the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar, as the case may be."

Amendment of section 2-A

3. In section 2-A of the principal Act,-

(a) *after* sub-section (1-B), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(1-C) Besides the Universities referred to in sub-sections (1), (1-A) and (1-B) there shall be established, with effect from such date as the State Government may by notification in *Gazette* appoint in this behalf, a University at Kushinagar to be known as the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar."

(b) in sub-section(2), *for* the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A) or sub-section (1-B)", the words and figures "sub-sections (1), (1-A), (1-B) or (1-C)" shall be *substituted.*

Amendment of Schedule

4. In the Schedule to the principal Act,-

(a) from the entries in column-3 of serial number-2, the words "Gorakhpur", "Basti" and "Azamgarh" shall be *omitted;*

(b) *after* serial number-5, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely :-

6	Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar	Gorakhpur, Basti and Azamgarh Divisions

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P.Act no. 45 of 1958) has been enacted to establish and incorporate Agriculture Universities for the development of agriculture in, and for the benefit of rural people of the State of Uttar Pradesh.

In order to make the benefits of new technology and research in the field of agriculture more accessible to the farmers of Purvanchal region of the State Uttar Pradesh, and to provide the benefits of agriculture education to the students of Purvanchal region near their place of residence, it has been decided to amend the aforesaid Act to establish Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya in district Kushinagar.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2023 is introduced accordingly.

SURYA PRATAP SHAHI
Mantri,
Krishi Shiksha evam Anushandhan Vibhag.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 502 राजपत्र—2023—(1632)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

502 RPH (Krishi Evm Produdhiki Viswavidhyalya) (Sansadiya) 2023 Data 7e